Seventeenth Series, Vol. XIX No. 7

Tuesday, July 26, 2022
Sravana 4, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Ninth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XIX contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Mahavir Singh

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Arora

Joint Director

Anil Kumar Chopra

Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XIX, Ninth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 7, Tuesday, July 26, 2022/Sravana 4, 1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCE BY THE SPEAKER	
23rd Anniversary of Kargil Vijay Diwas	9
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 121 to 124	10-23
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 125 to 140	24-87
Unstarred Question Nos. 1381 to 1490 and 1492 to1610	88-734

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 735-741

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
15th Report 742

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT
5th to 7th Reports 743

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
82nd to 85th Reports 743

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
46th Report 743

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
Statements 744

STATEMENT BY MINISTER

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development
Shri Faggansingh Kulaste 745

MATTERS UNDER RULE 377 748-767

(i) Regarding construction of ring road in Bulandshahr district Uttar Pradesh
Shri Bhola Singh 748-749

(ii) Regarding alleged irregularities in implementation of works under Jal Jeevan Mission in Shahjahanpur district, Uttar Pradesh
Shri Arun Kumar Sagar 750-751

(iii) Regarding discussion and dialogue with experts and affected stakeholders on policy reforms

Shri Vivek Narayan Shejwalkar 752

(iv) Need to include Sheohar district in Bihar in Aspirational Districts Programme

Shrimati Rama Devi 753

(v) Regarding development of Government Kameshwar Singh Ayurvedic Hospital and Rajkiya Maharani Rameshwari Bharatiya Chikitsa Vigyan Sansthan in Darbhanga district by the Central Government

Shri Gopal Jee Thakur 754-755

(vi) Regarding four-laning of Ahmednagar-Karmala-Tembhurni Section of NH- 561A in Ahmednagar Parliamentary Constituency

Dr. Sujay Vikhe Patil 755-756

(vii) Regarding implementation of Jal Jeevan Mission in Rajashthan

Shri Rahul Kaswan 757

(viii) Need to rescind Section 28 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960

Shri Sunil Kumar Soni 758

(ix) Regarding operation of inter state domestic air services from Rajasthan

Shri Ramcharan Bohra 758-759

(x) Regarding implementation of the Eastern Dedicated Freight Corridor between Kharagpur and Vijayawada

Shri Lavu Srikrishna Devarayalu 759-760

(xi)	Need to permit observance of Shirola Nag Panchami festival in Hatkanangle Parliamentary Constitueny in Maharashtra **Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane**	761-762
(xii)	Regarding development of Someshwar Parbat, a place of religious attraction in Bihar on the lines of Mata Vaishno Devi **Shri Sunil Kumar**	762
(xiii)	Regarding introduction of a train from Dhenkanal to Chennai **Shri Mahesh Sahoo**	763
(xiv)	Regarding setting up of district level coaching centre for competitive examinations across the country **Shri P. Ravindhranath**	764
(xv)	Regarding alleged shoddy construction of roads under Bharatmala Project in Rajasthan **Shri Hanuman Beniwal**	765-766
(xvi)	Regarding relief and assistance to pomegranate farmers distressed due to attack of shothole borer pest on pomegranate in Maharashtra **Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya Swamiji**	766
(xvii)	Regarding implementation of scheme to remove Juliflora and allocation of funds for setting up of grove forest in Ramanathapuram district **Shri K. Navaskani**	767

FAMILY COURTS (AMENDMENT) BILL, 2022 768-865

Motion to Consider	768
Shri Kiren Rijiju	768, 845-864
Sushri Sunita Duggal	768-771
Shri Kaushlendra Kumar	771-772
Shri Bhartruhari Mahtab	772-776
Dr. Sanjeev Kumar Singari	776-782
Shri Ritesh Pandey	782-785
Shri Jayadev Galla	785-787
Dr. Rajdeep Roy	788-791
Shri Hanuman Beniwal	791-793
Shri P. Ravindhranath	794-795
Shri Gopal Shetty	795-797
Shrimati Vanga Geetha Viswanath	798-801
Shri Syed Imtiaz Jaleel	801-804
Shri Rajiv Pratap Rudy	804-807
Kunwar Danish Ali	807-813
Dr. Nishikant Dubey	814-821
Dr. S.T. Hasan	821-823
Shri Shankar Lalwani	824
Shrimati Navneet Ravi Rana	825-827
Shri Suresh Pujari	828-831
Shri Pratap Chandra Sarangi	832-838
Shri P. P. Chaudhary	838-841

Shri Anubhav Mohanty	842-845
Clauses 2, 3 and 1	864
Motion to Pass	865

*[*] **ANNEXURE – I***

Member-wise Index to Starred Questions	831
Member-wise Index to Unstarred Questions	832-838

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	839
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	840

[*] Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, July 26, 2022/Sravana 4, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

REFERENCE BY THE SPEAKER

23rd Anniversary of Kargil Vijay Diwas

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज संपूर्ण देश हमारी राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की याद में कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ मना रहा है।

हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध के दौरान कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम के बावजूद अदम्य साहस और अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और विजय प्राप्त की।

आज इस अवसर पर हम अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं तथा शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। आज के दिन हम उन शहीदों के परिवारों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के वीर सैनिकों के अदम्य साहस और उनकी वीरता को नमन करता हूं तथा उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अब यह सभा हमारे वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन खड़ी रहकर सम्मान प्रकट करेगी।

The Members then stood in silence for a short while.

____

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने जो भी एड्जर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है, मैं उस पर प्रश्न काल के बाद आपसे चर्चा करूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी महत्वपूर्ण प्रश्न काल है। मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप सदन को चलने दें और नियमित रूप से सदन में बाधा उत्पन्न न करें।

… (व्यवधान)

11.01 hrs

At this stage, Shri Benny Behanan, Shri Hibi Eden, Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

11.02 hrs

ORAL ANASWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल, प्रश्न संख्या 121

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री हरीश द्विवेदी जी

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

(Q. 121)

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 122, श्री संजीव कुमार शिंगरी।

… (व्यवधान)

(Q. 122)

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI: Hon. Speaker, Sir, this question is with regard to the 61-day fishing ban. … (*Interruptions*)

The annual 61-day fishing ban was brought to facilitate fish breeding and thereby to protect the fishermen's long-term economic interests. But reports suggest that despite the ban being imposed, there has been a decrease in the fish population. … (*Interruptions*)

I would like to know from the hon. Minister whether there has been a study on the efficacy of imposing the 61-day ban in terms of increasing or stabilising the fish population. … (*Interruptions*)

DR. L. MURUGAN: Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to inform the hon. Member that fishing ban is implemented based on the scientific advice for conservation and effective management of fishery resources. … (*Interruptions*)

Sir, this ban is essential to allow regeneration of fish stocks to ensure sustainability and livelihood protection of small-scale and traditional fishermen. The fishermen community knows that the ban period is very necessary and apart from that, our sea research institutes are doing research in this field. The Fishery Survey of India is doing survey. The survey tells that the ban period is very necessary. … (*Interruptions*)

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI: Can the Minister state the steps taken to provide alternative employment to fishermen during the 61 days ban? … (*Interruptions*)

DR. L. MURUGAN: The supplementary question is a very essential question. In this fishing sector, before 2014, there was no investment. Very meagre investment was there in this field, that is only Rs. 3,000 crore. In the last eight years, the Government is committed to fishermen's welfare and development of fisheries. In 2015, under the dynamic leadership of our Prime Minister Shri Narendra Ji, the Blue Revolution Scheme was introduced. In the Blue Revolution Scheme, Rs. 5,000 crore was invested. After that, the Fisheries Infrastructure Development Fund has promoted infrastructure in the fisheries sector, particularly, fish landing centres, fishing harbours, modernized fishing markets, hygienic markets, and hygienic process units are being ensured in this FIDF. Under this FIDF, Rs. 7,500 crore was given. Apart from this, we know that during the COVID-19 period, an Atmanirbhar package was given. Our hon. Prime Minister has come forward to take up this sector to new heights. An amount of Rs. 20,000 crore were invested in this sector. For the first time in history, Rs. 20,000 crore were invested in PMMSY. During the last eight years, a total investment of Rs. 32,000 crore has been made to develop the fishery sector. I want to tell this House that despite the COVID-19 pandemic, fishing export has grown. There was an increase of 32 per cent in exports. The hon. Member has asked about alternative employment provided during the COVID-19 period. Sea weed cultivation and cage culture are the alternative employment that we are providing.

For the first time in the country, the Central Government has announced about cage culture and sea weed cultivation in the Budget announcement. We allotted a special integrated park in Tamil Nadu for seaweed cultivation. It is to provide employment and to empower the fishermen, particularly the self-help group women. The hon. Member is from the State of Andhra Pradesh. We have allotted Rs. 774 crore to the State of Andhra Pradesh. I want to congratulate Andhra Pradesh fish farmers. We are the number one in shrimp export and production. In the world, India is number one in shrimp export and production. Proudly, we can say that it is because of our hon. Prime Minister's effort. It is because of the farmers' contribution, fishermens' contribution, and our Government's particularly, our Prime Minister's efforts. We are number two in aquaculture production and number three in fish production. We are the fourth largest exporter of fish and fish products. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं । यह आपका सदन है। आप सदन में चर्चा करें, संवाद करें, सहमति और असहमति व्यक्त करें। मैं सदन के अंदर किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। लेकिन, यह सदन तख्तियां लेकर आने के लिए नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है। देश की जनता आपको सदन में तख्तियों के साथ नहीं देखना चाहती है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल एक महत्वपूर्ण समय होता है। जो जीएसटी का प्रश्न है, वह भी आज लगा हुआ है। आप उस पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्लीज, मैं चाहता हूं कि आप अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी माननीय हैं, देश की जनता ने आपको यहां चुनकर भेजा है। आप लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद चर्चा और संवाद के लिए है, तख्तियां लहराने और नारेबाजी करने के लिए नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं। इसको देश और पूरे विश्व की जनता देखती है। आप सदन की मर्यादा को बनाए रखिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही ग्यारह बजकर पैंतालीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.11 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourty-Five Minutes past Eleven of the Clock.

11.45 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Forty-Five Minutes past Eleven of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS– Contd.

HON. CHAIRPERSON: Q. 122 – contd: Shri Sreenivasulu Reddy.

(Q. 122)

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY: Sir, our country has got a long coastline of which the length of the East Coast is about 2514 kilometres which comprises of four States. The fishermen are facing a lot of problems in that area. I would like to request the hon. Minister, through you, to have a common policy. The financial package which is being given is about Rs. 4500 crore and out of this, Rs. 1500 crore has to be ploughed back. So, altogether, they will get only Rs. 3000 crore per annum whereas in Andhra Pradesh, our hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, has given Rs. 10000 per affected family through a scheme called Y.S.R. Matsyakara Bharosa.… (*Interruptions*) The fish traders will try to take it away.… (*Interruptions*) So, I would request the hon. Minister to resolve the issue. … (*Interruptions*)

11.46 hrs

At this stage, Shri S. Venkatesan, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

DR. L. MURUGAN: Sir, the fish banning period is there on the eastern and western coastal areas. It is followed for some areas in the western coast and in some other areas, it is followed in the eastern coast. The amount which we are giving is not given as compensation. It is given as support for fishermen

who are not going to the sea during the ban period. Sir, the ban period is not applicable for traditional fishermen.… (*Interruptions*) Those fishermen who are having traditional boats can go and catch the fish within the territorial waters. There is no ban for them. The Government of India is giving additional support to the fishermen. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। Please go back to your seats.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न संख्या 123, श्री उत्तम कुमार रेड्डी जी – उपस्थित नहीं।

श्रीमती हेमामालिनी जी ।

… (व्यवधान)

(Q. 123)

श्रीमती हेमामालिनी: सर, मेरा क्वेश्चन 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना से संबंधित है। मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना से बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी एक मांग है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के समय बैंक द्वारा डॉक्यूमेंट को जांच करने के लिए एडवोकेट को नियुक्त किया जाता है, जिसकी फीस किसानों को देनी पड़ती है तथा वे उसे बंद करवाना चाहते हैं। उनकी इसे ऑनलाइन करने की मांग है।… (व्यवधान) इसके अलावा किसानों का कहना है कि उनको लोकल बैंक से नो ड्यूज़ लेने के लिए कहा जाता है, इसके लिए विजिट चार्ज, प्रोसेसिंग फीस और फाइल चार्जेस लिए जाते हैं, जिन्हें समाप्त किया जाना चाहिए और किसानों से एफिडेविट लिया जाना चाहिए।… (व्यवधान) मेरा मंत्री जी से यही कहना है कि मेरे क्षेत्र के जो किसान हैं, उनके सुझावों के ऊपर ध्यान दिया जाए।… (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी: माननीय सभापति महोदय, जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए प्रारम्भ की गई, चूँकि किसान पहले सेठ और साहूकारों से अधिक ब्याज पर पैसा लेते थे, लेकिन आज यह योजना ब्याज छूट के आधार पर प्रारम्भ की गई है, जिसमें किसानों से 4 परसेंट की दर से ब्याज वसूला जाता है ।… (व्यवधान) इस योजना में छोटे किसानों के लिए भी व्यवस्था है। इसमें 1,60,000 रुपये तक का किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज नहीं देना पड़ता **है**। इसलिए उनको आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार वे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं।… (व्यवधान) जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे किसानों से जो शुल्क वसूला जाता है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एक समय पहले किसानों से शुल्क वसूला जाता था, लेकिन अब वह शुल्क वसूली खत्म कर दी गई है और अब किसानों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं वसूला जाता है।… (व्यवधान)

दूसरा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात है, जो नए किसान हैं, अगर उनको अपनी फाइल सब्मिट करनी है, तो वे अपने ई-मित्र या जो सेंटर है, जहां पर जाकर वे अप्लाई करते हैं तो वहां भी वे डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भरकर सब्मिट कर सकते हैं, जिससे वह फॉर्म बैंक के पास जाएगा, उनको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन नए किसानों को केसीसी मिल जाएगा।…(व्यवधान) कुल मिलाकर, मेरा यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के समय में हर दृष्टि से किसानों के सपोर्ट के लिए सरकार तैयार है।… (व्यवधान) मुझे बताते हुए खुशी होती है कि पहले केसीसी के अंदर किसान था, लेकिन अब इसमें किसान के साथ पशुपालक भी है और फिशरमेन को भी इसमें जोड़ा गया है।…(व्यवधान) इसके साथ ही उनके लिए यह जो सुविधा की गई है, इसकी वजह से किसानों की संख्या बढ़ी है। …(व्यवधान)

इसके लिए हमने विशेष अभियान भी चलाए हैं।… (व्यवधान) कोरोना के पीरियड में भी लगभग 3 करोड़ से अधिक किसानों को इस नए केसीसी के साथ में जोड़ने का बहुत बड़ा काम हुआ है। … (व्यवधान) इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र के अंदर भी इस तरह से विशेष अभियान चलाकर किसानों को केसीसी के अंदर जोड़ा गया है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: किसानों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बेहतर होगा कि आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी सवाल पूछिए।

श्रीमती जसकौर मीना जी ।

… (व्यवधान)

श्रीमती जसकौर मीना : बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति जी ।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि कृषकों की आय दोगुना करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसान की आय में वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। … (व्यवधान) मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भूमिहीन किसानों को एफपीओ के साथ जोड़कर कृषि योजनाओं का लाभ दिए जाने की कोई योजना है? … (व्यवधान) यदि है तो राजस्थान में कितने भूमिहीन किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है? … (व्यवधान)

11.51 hrs

At this stage, Shrimati Supriya Sadanand Sule, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi and some other hon. Members left the House.

श्री कैलाश चौधरी: माननीय सभापति जी, भूमिहीन किसानों को एफपीओ के साथ जोड़ने की जहां तक बात है, एफपीओ के अंदर ऐसे भूमिहीन किसान भी सदस्य बन सकते हैं। इसके साथ ही, उसके लिए गाइडलाइन में यह प्रॉविजन है कि भूमि मालिक के साथ उसका एग्रीमेंट होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो भूमिहीन किसान हैं, वे भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का भी लाभ ले सकता है। फसल बीमा योजना के अंदर भी अगर उस किसान का जमीन के मालिक के साथ एग्रीमेंट है तो उसे फसल बीमा योजना से जोड़ा गया है। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड है, उस योजना का भी वे लाभ ले सकते हैं। कुल मिलाकर भूमिहीन किसानों के लिए सरकार द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है। हालांकि वह जमीन किसान की है, लेकिन उनका जो एग्रीमेंट है, उसके आधार पर उनको इस योजना से जोड़ा गया है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, एफपीओ के अंदर अगर वे अपना शुल्क जमा कराते हैं तो उनको उसका सदस्य बनाया जाता है और आने वाले समय में एफपीओ के अंदर उस किसान को लाभ होता है।

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I have a Point of Order.…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No Point of Order in Question Hour. Hon. Member please seat down.

Shri Bhartruhari Mahtab ji.

… (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): यह गलत बात है सौगत राय जी**,** क्वेश्चन ऑवर चल रहा है। You cannot challenge the Chair. … (*Interruptions*) अभी 12 नहीं बजे हैं, अभी क्वेश्चन ऑवर चल रहा है। …(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सौगत दादा, क्वेश्चन ऑवर चल रहा है। क्वेश्चन ऑवर के बाद बोलिए। …(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a very progressive programme. … (*Interruptions*) It was started in 1998 and repeatedly, it has undergone many avatars. … (*Interruptions*)

Under the present Fasal Bima Yojana, especially during K*harif* season, a person can insure his crop upto 31st August of that year. For paddy, most of the crop plantation takes place till 15th September or a little later than that.

My question here is, whether the Government is considering of extending the period of insurance of paddy crop of K*harif* season till the end of September.

श्री कैलाश चौधरी : माननीय सभापति जी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नई फसल बीमा योजना बनी, उसमें किसानों को पहले 50 परसेंट के ऊपर क्लेम मिलता था, अब वह 33 परसेंट के ऊपर क्लेम मिलना प्रारम्भ हुआ है और इसके साथ ही एक हेक्टेयर तक मिलता था, उसकी जगह पर अब दो हेक्टेयर तक किसान को उसका क्लेम मिलता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने 31 अगस्त तक की गाइडलाइन के बारे में कहा है, उसके अंदर राज्य से कोई प्रपोजल या कोई ऐसी बात आती है और उसमें समय को आगे-पीछे करने की बात होती है तो निश्चित रूप से भारत सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील रही है। मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई भी आवश्यकता है तो राज्य सरकार के प्रपोजल के ऊपर भारत सरकार विचार करती है।

HON. CHAIRPERSON: Question no. 124

(Q. 124)

श्री चंद्र शेखर साहू : सर, जो आंसर है, उसे माननीय मंत्री जी और मिनिस्ट्री ने अति विस्तार से दिया है। मेरे ख्याल से जितने भी मेरे क्वेश्चंस थे, उन सबका उत्तर भी है। मैंने जो स्पेसिफिक ओडिशा के लिए पूछा था, वह इसमें नहीं है।

Sir, I would like to know from the hon. Minister regarding the details of modernisation, and strengthening of forensic capabilities undertaken so far in the country, particularly, in Odisha during the last three years. The extent of time taken for completion of forensic investigations may have been reduced after such modernisation and strengthening. So, I want to know from the hon. Minister specifically about Odisha.

श्री अजय मिश्र टेनी : माननीय सभापति जी, जैसा माननीय सांसद ने जानना चाहा है, साइबरस्पेस बहुत तेजी से बढ़ा है और साइबरस्पेस की उपलब्धता के कारण अपराधियों को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए हमने साइबर सिक्योरिटी के साथ-साथ फोरेंसिक लैब्स को उससे जोड़ा है। इसके साथ-साथ यूनिवर्सिटी भी बनाई है। हम निदेशालय को बनाकर उन लोगों पर नजर रखने का काम भी करते हैं।

इसके अलावा अगर आप ओडिशा की बात करते हैं तो हमारी जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस की लैब है, उसमें कोलकाता ओडिशा से जुड़ा हुआ है। स्टेट्स की अपनी लैब्स भी हैं, लेकिन जहां तक मॉडर्नाइजेशन की बात है तो हमारी सरकार लगातार मॉडर्नाइजेशन का काम कर रही है। हम कोलकाता, जिससे ओडिशा जुड़ा हुआ है, 87 करोड़ 82 लाख रुपये की लागत से उसका मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो पुणे की प्रयोगशाला है, उसमें 62 करोड़ 45 लाख रुपये, गुवाहाटी के लिए 50 करोड़ रुपये और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भी 53 करोड़ रुपये की लागत से मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं।

इसके अलावा आपने ओडिशा प्रदेश का जिक्र किया है। जो प्रदेश अपने यहां स्टेट लेवल की ऐसी फोरेंसिक लैब बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने 203 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

उसके साथ ही साथ फोरेंसिक लैब में आधुनिक उपकरण लग सकें, उसके लिए 369 ऐसे आधुनिक उपकरण हैं, जो हमारे निदेशालय ने तय किए हैं, उनके लिए भी हमने धन आवंटित किया है। जिनमें से 269 उपकरणों की खरीद हो चुकी है। उसमें हमने उनको लगभग 270 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो विश्वविद्यालय है, आप सबको जानकारी होगी कि गुजरात में वर्ष 2008 में एक राष्ट्रीय फोरेंसिक यूनिवर्सिटी थी, जिसका अधिग्रहण इसी संसद ने वर्ष 2020 में किया था। उसके माध्यम से मानव उपलब्धता हो, उसके कारण हमने कई ऐसे कोर्सेज को शुरू किया है, जिसमें इस समय अपराध के क्षेत्र में बहुत बड़ी ब्लैक ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी चल रही है।

उसके लिए भी हमने एमएससी साइबर सिक्योरिटी, एमएससी डिजिटल फोरेंसिक एण्ड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कोर्सेज को शुरू किया है। अगर आप लोग चाहें तो आप भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं।

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU: Sir, our judicial system has been overloaded with the pendency of cases. One of the reasons may be the delays in completion of forensic investigations.

I would like to know from the hon. Minister regarding the shortage of manpower in various forensic labs in the country and the number of employees working against the sanctioned strength. Also, what is the number of research initiatives taken during each of the last three years? What are the steps taken by the Government to encourage research activities in forensic investigation in the country?

<u>12.00 hrs</u>

माननीय सभापति: मंत्री जी, आप संक्षिप्त उत्तर दे दीजिए।

श्री अजय मिश्र टेनी: माननीय सभापति जी, गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रालय ने लगातार मैन पावर के लिए, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है कि एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जिसके माध्यम हम लोग मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए ऐसे 51 कोर्सेज में सर्टीफिकेट और डिग्री देने का काम कर रहे हैं। इससे हम मैन पावर को भी पूरा करेंगे और उसके साथ-साथ मॉर्डनाइजेशन, सैम्पल का कलेक्शन ठीक तरह से हो सके, सैम्पल को कलेक्ट करके उसे सही तरह से पहुंचाया जा सके, उसके बाद उसका ठीक ढंग से परीक्षण हो सके, उसके लिए हम आधुनिक मशीनों का निर्माण कर रहे हैं, उनको लगा रहे हैं, ऐसे यंत्रों को देख रहे हैं। उसके साथ-साथ हम ने जो निदेशालय बनाया है, उसके माध्यम से हम ऐसी सारी गतिविधियों पर पूरी नजर रखने का काम करते हैं।

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 125 to 140

Unstarred Question Nos. 1381 to 1490 and 1492 to1610)

(Page No. 33 to 734)

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर – 2. श्री नित्यानन्द राय जी।

… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए अनुमति दीजिए।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आपसे यह अपेक्षा नहीं है। आप बहुत वरिष्ठ माननीय सांसद हैं।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: *Dada*, please take care of your seniority also. Please sit down.

… (*Interruptions*)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7200/17/22]

(3) (एक) पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन।

(दो) पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7201/17/22]

(5) पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत लद्दाख संघ-राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) योजना, 2022 (अंग्रेजी संस्करण में) जो दिनांक 21.2.2022 के लद्दाख राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 20 में प्रकाशित हुई थी और जिनका हिन्दी संस्करण दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित हुआ था तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण में) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. एसजी-एलडी-ई-26042022-107 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 7202/17/22]

(6) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1729(अ) जो 8 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 32 पर ''हाफिज तल्हा सईद'' का नाम जोड़ा गया है।

(दो) का.आ. 1735(अ) जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 33 पर ''मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर @मकतब अमीर @मुजाहिद भाई @मुहम्मद भाई @एम. अम्मार @अबू

अम्मार माडम @औरंगजेब अंजार @मौलाना अम्मार मदनी @मौलाना अम्मार @अबू अम्मार @अम्मार अल्वी'' का नाम जोड़ा गया है।

(तीन) का.आ. 1768(अ) जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 34 पर ''अली कासिफ जान @जान अली कासिफ'' का नाम जोड़ा गया है।

(चार) का.आ. 1820(अ) जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 35 पर ''मुश्ताक अहमद जरगर @लतराम'' का नाम जोड़ा गया है।

(पांच) का.आ. 1737(अ) जो 18 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 36 पर ''आशिक अहमद नींगरू @नेंगरू @अशाक हुसैन नेंगरू @अशाक मौलवी'' का नाम जोड़ा गया है।

(छह) का.आ. 1857(अ) जो 19 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 37 पर ''शेख सज्जाद @शेख सज्जाद गुल @सज्जाद गुल @सज्जाद अह शेख'' का नाम जोड़ा गया है।

(सात) का.आ. 1876(अ) जो 19 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 38 पर ''अर्जुमन्द गुलजार डार @हमज़ा बुरहान @डॉक्टर'' का नाम जोड़ा गया है।

[Placed in Library, See No. LT 7203/17/22]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे): सभापति महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7204/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI A. NARAYANASWAMY): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7205/17/22]

(2) A copy of the following papers (Hindi and English versions) under Section (6) of the Article 338A of the Constitution:-

(i) Annual Report of the National Commission for Scheduled Castes, New Delhi, for the years 2018-2019 and 2019-2020.

(ii) Explanatory Memorandum on the Annual Report of the National Commission for Scheduled Castes, New Delhi, for the years 2018-2019 and 2019-2020.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 7206/17/22]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7207/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the National Film Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the National Film Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7208/17/22]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the years 2016-2017 to 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the years 2016-2017 to 2018-2019.

(4) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7209/17/22]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7210/17/22]

<u>12.01½ hrs</u>

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

15th Report

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to present the Fifteenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2022-2023) on the subject "Role of autonomous bodies, Public Enterprises, educational Institutions including Central Universities, Engineering Colleges, IIMs, IITs, Medical Institutes including AIIMS in socio-economic development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with special reference to implementation of reservation policy in the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)".

12.02 hrs

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

5th to 7th Reports

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पांचवां, छठा और सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.02½ hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

82nd to 85th Reports

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) का 82वां, 83वां, 84वां और 85वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON FINANCE

46th Report

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): Sir, I beg to present the Forty-sixth Report* (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance on the subject "Strengthening Credit Flows to the MSME Sector".

---

* 46th Report was presented to hon. Speaker (17th Lok Sabha) on 8th April, 2022 under Direction 71 A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha when the House was not in Session and the same was seen by the hon. Chairman, Rajya Sabha on 13th April, 2022. The Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Report under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

12.03½ hrs

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES

Statements

ER. GUMAN SINGH DAMOR (RATLAM): Sir, I beg to lay on the Table, the following Further Action Taken Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Water Resources (2021-22):-

(1) Further Action Taken Statement on Thirteenth Report on Action Taken on Observations / Recommendations contained in Tenth Report (17^{th} Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Jal Shakti – Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

(2) Further Action Taken Statement on Fourteenth Report on Action Taken on Observations / Recommendations contained in Eleventh Report (17^{th} Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Jal Shakti – Department of Drinking Water and Sanitation.

____

12.04 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development*

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): सभापति महोदय, मैं भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7199/17/22.

माननीय सभापति : शून्यकाल।

श्री धर्मवीर सिंह ।

... (व्यवधान)

12.05 hrs

At this stage, Shri Dayanidhi Maran, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति : कृपया बैठ जाइए। शून्यकाल चलने दीजिए। मैं आपको बोलने का अवसर दूँगा।

... (व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

पूरी दुनिया जानती है कि कोविड-19 महामारी ने सबको हिलाकर रख दिया, जिससे उद्योगों से लेकर नौकरियाँ तक भयंकर रूप से प्रभावित हुई हैं।... (व्यवधान) सभी सेक्टर्स में नौकरियाँ कम हुईं। इन दो-तीन सालों के दौरान सरकारी नौकरियाँ भी नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से बहुत-से अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं।... (व्यवधान) सिविल सर्विसेज के बहुत-से अभ्यर्थी वर्षों से तैयारी कर रहे थे। कई छात्र तो इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन कोविड के कारण अच्छी तरह से तैयारी न कर पाने के कारण वे इंटरव्यू नहीं दे पाए।... (व्यवधान) कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके परिवार में कोई न कोई बहुत नजदीकी सदस्य गुजर गए थे। इस प्रकार से, बहुत-से अभ्यर्थी, जो प्री या मेन पेपर पास कर चुके थे, वे भी इस तरह की परेशानियों से गुजरे।... (व्यवधान) यह बेहद अफसोस की बात है कि बहुत-से अभ्यर्थी ओवरएज हो गए। इसमें सबसे ज्यादा सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं।... (व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसे अभ्यर्थियों को एक मर्सी चांस दिया जाए।... (व्यवधान)

वायुसेना के एक्स और वाई ग्रुप के फॉर्म्स वर्ष 2020 में निकाले गए थे, जिसकी लिखित परीक्षा सितम्बर, 2020 में हुई थी। इसके बाद फरवरी, 2021 में दौड़, मेडिकल आदि टेस्ट हो चुके थे।... (व्यवधान) इस परीक्षा के अभ्यर्थी फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे।... (व्यवधान) लेकिन अचानक 15 जून, 2022 को इसकी भर्ती बंद कर दी गई।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : हम आपको आपकी बात कहने का अवसर देंगे। No, this is not the right way.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

12.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON: The House will take up Matters under Rule 377.

Shri Prataprao Patil Chikhlikar – Not present

… (*Interruptions*)

14.01 hrs

At this stage, Shri D.M. Kathir Anand, Shri P.R. Natarajan, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhola Singh

… (*Interruptions*)

(i) Regarding construction of ring road in Bulandshahr district, Uttar Pradesh

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): सभापति जी, बुलन्दशहर जनपद एनसीआर क्षेत्र में शामिल होने के बाद भी अन्य जनपदों की अपेक्षा विकास में अभी काफी पीछे है। जनपद बुलन्दशहर में ट्रैफिक के साथ ही विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए जिले में रिंग रोड़ प्रस्तावित है। रिंग रोड़ निर्माण से जनपद में ट्रैफिक के साथ विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। बुलंदशहर में रिंग रोड़ नहीं होने के कारण शहर जाम की समस्या से काफी समय से झेल रहा है। जिले में साल 2016 में एनएच-235 का शिलान्यास करने आए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जनपद में रिंग रोड़ बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद तत्कालीन डीएम ने 2017 में रिंग रोड़ की

डीपीआर तैयार करा प्रदेश सरकार को भेज दी थी। प्रदेश सरकार की अनापत्ति मिलने के बाद डीपीआर केंद्र सरकार के पास लंबित है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि बुलंदशहर में रिंग रोड़ के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें। रिंग रोड़ निर्माण से शहर को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। रिंग रोड़ के माध्यम से ऐसे वाहनों को शहर के बाहर से ही निकाला जा सकेगा, जिन्हें दूर जाना है और शहर में प्रवेश नहीं करना है।… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Krishnapalsingh Yadav – Not present.

Shri Arun Kumar Sagar Ji

(ii) Regarding alleged irregularities in implementation of works under Jal Jeevan Mission in Shahjahanpur district, Uttar Pradesh

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत 'हर घर जल' के अंतर्गत टेंडर हैदराबाद की एक कंपनी को आवंटित किया गया है तथा जिसका कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कराया जा रहा है।

इस संदर्भ में, मुझे संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जो निर्माण कार्य ठेकेदार/फर्म द्वारा कराए जा रहे हैं वह गुणवत्ताविहीन और मानक के अनुरूप नहीं हैं। निर्माण कार्य में कथित रूप से घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है तथा ठेकेदार द्वारा कार्य को जिन छोटे-छोटे ठेकेदारों में बांटा गया है, उनको उक्त कार्य का अनुभव ही नहीं है तथा छोटे ठेकेदारों द्वारा भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कंपनी को शासन से मिल रही दरों का 40-50 प्रतिशत दरें ही उन छोटे ठेकेदारों को दी जा रही हैं, जिस कारण गुणवत्तापरक कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए कि कंपनी 40-50 प्रतिशत दरों पर काम को कैसे बांट रही है, क्या कंपनी को दरें अत्यधिक मिल रही हैं अथवा कंपनी की गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की मंशा नहीं है।

मैं सदन के संज्ञान में यह भी लाना चाहूंगा कि ठेकेदारों द्वारा जो पाइप लाइन डाली जा रही है उसकी गुणवत्ता भी घटिया है। पाइप लाइन बहुत हल्की है एवं साइट पर डालते समय टूट-फूट हो रही है। इसके अलावा पाइप लाइन डालने के उपरांत रोड को कहीं भी ठीक नहीं किया गया है। इस प्रकार से सरकारी राजस्व का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अत: जनहित में मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण में तुरंत संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्रालय स्तर पर उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी एजेंसी और अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और दोषी एजेंसी को तत्काल प्रभाव से

ब्लैक लिस्ट करवाते हुए कार्यों को गुणवत्ता के अनुरूप करवाकर सरकारी धन के दुरुपयोग को रोका जाए।... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let the Matters under Rule 377 be taken up first. Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

14.03 hrs

At this stage, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members left the House.

... (*Interruptions*)

14.04 hrs

At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members left the House.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: श्री विवेक नारायण शेजवलकर।

(iii) Regarding discussion and dialogue with experts and affected stakeholders on policy reforms

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): महोदय, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना देश की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के साथ ही देश सेवा व सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराएगी। योजना से भारतीय सेना में युवा शक्ति का विस्तार होगा। प्रशिक्षित, अनुशासित, संस्कारित और देश भक्त युवाओं की टीम तैयार होगी। 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात इन अग्निवीरों को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इन अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। अग्निपथ योजना सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म के लिए लाए गए तीनों कानूनों की तरह अग्निपथ योजना का अकारण विरोध चिंतनीय है। सरकार को चाहिए कि रिफॉर्म की घोषणा के पूर्व उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श एवं प्रभावित लोगों से विमर्श हों जिससे जनहितैषी नीतियों के क्रियान्वयन में कोई भी अवरोध न आए। इससे नकारात्मकता का वातावरण बनाने वालों पर भी अंकुश लगेगा। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

माननीय सभापति : श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी – उपस्थित नहीं।

श्रीमती रमा देवी जी।

… (व्यवधान)

(iv) Need to include Sheohar district in Bihar in Aspirational Districts Programme

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का शिवहर जिला स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ा जिला है। शिवहर बिहार का ऐसा जिला है जहां 60 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है तथा प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम है। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं अनवरत रुप से विगत 13 वर्षों से प्रयासरत हूं। यहां बाढ़ एवं सुखाड़ के कारण कृषि क्षेत्र में विकास नहीं है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए संस्थान नहीं है तथा चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कोई अस्पताल नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के पिछड़े जिलों को भी विकसित करने की सोच के तहत बिहार के 13 जिलों सहित देश के कुल 115 पिछड़े जिलों का 'आकांक्षी जिला' के रूप में चयन किया गया है, जिसका उद्देश्य इन पिछड़े जिलों का भी देश के अन्य जिलों के समकक्ष विकास करना है। परंतु, दुख के साथ कहना चाहती हूं कि शिवहर जिला को आकांक्षी जिला की श्रेणी में शामिल शामिल नहीं किया गया है, जबकि इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड को शिवहर जिला पूरा करता है। शिवहर सहित देश के कई ऐसे जिले हैं जो वास्तव में स्वास्थ, कृषि, शिक्षा, सड़क, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना जैसी बुनियादी सुविधाओं के आधार पर पिछड़े हैं। उनको आकांक्षी जिला की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर जिला को आकांक्षी जिला की श्रेणी में शामिल किया जाए, जिससे कि यहां पर बुनियादी आर्थिक विकास का ढांचा तैयार हो सके तथा यहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके।

माननीय सभापति : श्री नायब सिंह जी – उपस्थित नहीं।

श्री मोहनभाई कुंडारिया जी – उपस्थित नहीं।

श्री गोपाल जी ठाकुर।

(v) Regarding development of Government Kameshwar Singh Ayurvedic Hospital and Rajkiya Maharani Rameshwari Bharatiya Chikitsa Vigyan Sansthan in Darbhanga district by the Central Government

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आयुष मंत्री से यह प्रश्न है कि क्या यह सही है कि दरभंगा, बिहार में राज परिवार द्वारा 1878 से संचालित राज अस्पताल, कामेश्वर नगर दरभंगा को 10 एकड़ भूमि एवं भवन के साथ राज परिवार द्वारा आयुर्वेद/आयुष चिकित्सा, शिक्षा एवं शोध को ध्यान में रखते हुए इन सभी के विकास तथा संवर्धन के लिए राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कामेश्वर नगर एवं राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर को तकरीबन 20 एकड़ भूमि तथा मकान के साथ 1985 से ही दान में दिया गया है। क्या यह सही है कि अरबों रुपए की संपत्ति के साथ भूमि बिहार सरकार (आयुष) स्वास्थ्य विभाग को देने के बाद भी भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली द्वारा न्यूनतम मापदंडों को पूरा न करने के कारण 2003 से ही उक्त संस्थान के शैक्षणिक, शोध एवं अंतरंग चिकित्सा का कार्य अभी तक बंद है? क्या यह सही है कि भारत सरकार आयुर्वेद/आयुष के संवर्धन के लिए देश के विभिन्न राज्यों/शहरों में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, सरिता विहार, दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (विस्तारित शाखा) गोवा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे (महाराष्ट्र), मोरारजी देसाई योग संस्थान, दिल्ली, नार्थ-ईस्ट आयुर्वेद संस्थान, शिलांग, मेघालय के अतिरिक्त कई और केंद्रीय संस्थान एवं कॉलेज पूरे देश में संचालित हो रहे हैं? अगर उपरोक्त कथन सही है, तो मिथिला क्षेत्र का इकलौता एवं देश का प्राचीनतम राज अस्पताल, कामेश्वर नगर, जो वर्तमान में राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा के नाम से एवं मोहनपुर स्थित राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर दरभंगा को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार कब तक अपने अधीन लेकर इसे केंद्रीय/राष्ट्रीय/अखिल भारतीय आयुर्वेद/आयुष संस्थान का दर्जा देकर इस संस्थान को विकसित एवं संवर्धन करने का विचार रखती है?

सभापति महोदय, मंत्री महोदय को विदित हो कि हाल के वर्षों में बिहार सरकार द्वारा इसे विकसित एवं संचालित करने की योजना बनाई गई है, जो नाकाफी है । उक्त संस्थान नेपाल, भूटान, बंगाल, उत्तर प्रदेश इत्यादि से काफी करीब है । अभी भी इन राज्यों एवं देशों के रोगी यहां आ रहे हैं । उक्त राज अस्पताल का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरिमा थी । यहां पर दरभंगा महाराज के काल से ही आयुर्वेद, योग, नैचुरोपैथी, ज्योतिष चिकित्सालय एवं जड़ी बूटियों इत्यादि का संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य होता था । उक्त संस्थान के पुस्तकालय में 10,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं, जिसमें बहुतेरी दुर्लभ हैं । राज परिवार ने भी जिस अरमान एवं निष्ठा के साथ इतनी बड़ी संपत्ति/भवन उक्त संस्थान/चिकित्सालय के लिए दान में दिया है, उसका विकास बिहार सरकार से संभव प्रतीत नहीं हो रहा है । भारत सरकार ही दरभंगा महाराज एवं यहां की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप इसको अपने अधीन लेकर विकसित कर सकती है । इसमें आयुर्वेद, योग, नैचुरोपैथी, ज्योतिष चिकित्सा, हर्बल गार्डन तथा फार्मेसी के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा के विशेषज्ञों को समाहित कर विकसित कर सकती है ।

HON. CHAIRPERSON: Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya Swamiji – not present.

Dr. Dhal Singh Bisen – not present.

Dr. Sujay Vikhe Patil.

(vi) Regarding four-laning of Ahmednagar-Karmala-Tembhurni Section of NH-561A in Ahmednagar Parliamentary Constituency

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Sir, the Government has approved the project of four-laning of Ahmednagar-Karmala-Tembhurni Section of NH-561A in Ahmednagar District in my constituency. The project has been progressing in a swift manner and the issues concerning the same were resolved by our hon. Minister, Shri Nitin Gadkariji. However, there are few issues concerning the approved project which need to be resolved.

There is a total number of four proposed bypasses on this stretch which require improvement in order to ensure seamless connectivity on this stretch. The condition of the existing road in urban areas, where bypasses are proposed, is very delicate. Before handing over the city portion length of the project to PWD, one-time improvement of this portion is very much essential as per the norms of NHAI/MoRTH. I request the Ministry of Road Transport and Highways along with NHAI to kindly consider one-time improvement of these roads, where bypass roads are proposed, by including it in the revised DPR in order to provide seamless travel for passengers of Ahmednagar, and also avoid accidents or damage to vehicles due to non-maintenance of roads on this stretch, which will assist the common man and passengers and ensure ease of travel.

Thank you.

(vii) Regarding implementation of Jal Jeevan Mission in Rajasthan

श्री राहुल कस्वां (चुरू): महोदय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है। हाल ही में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। देश के सबसे संकटग्रस्त ऐसे सात राज्यों में जहां भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है, वहां विशेष तौर पर अटल भूजल योजना शुरू की गई है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। वर्तमान में जल जीवन मिशन योजना का कार्य बहुत ही घटिया किस्म का किया जा रहा है, सड़कें व रोड़ वगैरह तोड़ दी गई हैं, वापिस मरम्मत आदि का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जल जीवन मिशन योजना के तहत काफी गावों एंव ढाणियों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहां टंकियां काफी नीचे स्थित हैं और गांव व ढाणियां काफी उंचाई में बसी हुई हैं। इसके अलावा काफी ढाणियां जो योजना में शामिल नहीं हैं, उनका भी पुनः सर्वे करवाकर घर-घर कनेक्शन से लाभान्वित किया जाए।

(viii) Need to rescind Section 28 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): महोदय, आज मैं आपके संरक्षण में पशु क्रूरता निवारण " अधिनियम1960" की धारा 28 को हटाने का आग्रह कर रहा हूँ। इस धारा के अंतर्गत किसी भी जानवर को धार्मिक कारणों से मारने की अनुमति प्रदान की गई है । हर वर्ष बकरियाँ, भैंस, ऊँट सहित हजारों बेजुबान जानवरों को धार्मिक रीति रिवाज के नाम पर बेहद गंदी एवं अस्वस्थ परिस्थितियों में अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा मौत के घाट उतारा जाता है । यह क्रूर कृत्य है, बूचड़खानों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी जानवरों को मारा जाता है । इसमें मारे गये जानवरों के खून एवं शारीरिक अंगों का पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इस तरह कुर्बान किए गये जानवरों के माँस का सेवन मानव स्वास्थ्य हेतु बेहद खराब है, क्योंकि मारे गये जानवरों की किसी भी प्रकार की अधिकारिक स्वास्थ्य सुरक्षा जांच नहीं होती है। अतः मेरा अनुरोध है कि पीसीए अधिनियम 1960 की धारा 28 को हटाया जाए एवं जो जानवरों की कुर्बानी देना चाहते हैं, तो उन्हें केवल लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों में ऐसा करने की अनिवार्यता होनी चाहिए।

(ix) Regarding operation of inter state domestic air services from Rajasthan

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय सहित 71 उड़ानों का संचालन हो रहा है, परन्तु उनमें इन्टर स्टेट कनेक्टिविटी की 2 उड़ानें ही संचालित हो रही हैं। जैसलमेर और जोधपुर के लिए पहले उड़ानें प्रारम्भ की गई थीं, जो कि वर्तमान में बन्द हैं। महोदय, जयपुर प्रदेश की राजधानी होने के कारण उद्योग, पर्यटन, हस्तशिल्प आदि से प्रदेश के प्रत्येक जिले से जुड़ा हुआ है, परन्तु इंटर स्टेट उड़ानें नहीं होने के कारण व्यापार, पर्यटन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय नागर विमानन मंत्री जी से आग्रह है कि

राजस्थान प्रदेश का घरेलू उड़ानों से सम्पर्क हो, इसलिए इंटर स्टेट कनेक्टिविटी की घरेलू उड़ानें प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता हैं।

माननीय सभापति : श्री प्रद्युत बोरदोलोई – उपस्थित नहीं।

श्री बैन्नी बेहनन – उपस्थित नहीं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश – उपस्थित नहीं।

श्री एस.आर. पार्थिबन – उपस्थित नहीं।

श्री सी.एन. अन्नादुरई – उपस्थित नहीं।

श्री खलीलुर रहमान – उपस्थित नहीं।

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू।

(x) Regarding implementation of the Eastern Dedicated Freight Corridor between Kharagpur and Vijayawada

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): The Ministry of Railways said in March that preparation of DPRs for new Dedicated Freight Corridors (DFCs) has been sanctioned on three routes including the East Coast Corridor – Kharagpur to Vijayawada. This DFC was promised in the Union Budget 2021 and the project was supposed to be commissioned by June 2022.

But as per a news report, the Ministry is inclining towards scrapping the new DFCs owing to funding and land acquisition delays. The final decision will be taken when the DPR is out.

The DPR is facing a major delay of five months due to which the construction plan of DFC Eastern Corridor is on a standstill.

I strongly urge the Government to:

a) Expedite the DPR process for timely construction of DFCs.

b) Implement the Eastern DFC between Kharagpur-Vijayawada as promised. It is a critical step towards reforming the freight transportation system in Andhra Pradesh.

(xi) Need to permit observance of Shirola Nag Panchami festival in Hatkanangle Parliamentary Constituency in Maharashtra

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): महोदय, शिराला तहसील मेरे हातकणंगले संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह स्थान दुनिया भर में नाग पंचमी के त्यौहार और जिंदा सांपों के पूजन के लिए मशहूर है। श्रावण मास की पंचमी में शिराला गांव में जिंदा सांपों की पूजा करने की परंपरा महायोगी श्री शिव गोरखनाथ जी के काल 900 सदी से शुरू होकर 2002 तक अखंड रूप से चलती आ रही थी। परंतु भारतीय वन्यजीव अधिनियम, 1972 के लागू होने के बाद यह परंपरा बंद हो गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 2 में उत्सव तथा मेले में वन्यजीवों को पकड़ना तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करना और उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। वन्य जीव अधिनियम की धारा एक तथा दो की उपधारा 36 के अनुसूची क्रमांक से चार में सरपट रेंगने वाले प्राणियों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार संबंधी धारा 25 व 26 के अनुसार धारा 25 पसंदीदा धर्म, परंपरा, उपचार तथा प्रसार की अनुमति देती है। धारा 25 धार्मिक अनुष्ठान तथा कार्यों का पालन करने का अधिकार प्रदान करती है।

शिराला का नाग पंचमी त्यौहार एक शताब्दी वर्ष पुराना है तथा मूल घटना से जुड़ा एक धार्मिक त्यौहार है, जो भारतीय नागरिक संहिता की धारा 25 **व** 26 के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव अधिनियम, 1972 की धारा 11 **व** 12 के अनुसार शिराला में नाग पंचमी का त्यौहार मनाने की अनुमति देता है। सांप मानव बस्तियों में मिलने और रहने वाला एक प्राणी है। हमारे यहां सांपों को मानव तथा किसानों का मित्र समझा जाता है। हमारी धार्मिक श्रद्धा का विषय होने के नाते हम आपसे निवेदन करते हैं कि नाग-सांपों को वन्यजीव प्राणियों की सूची से अलग किया जाये। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 21 अगस्त, 2014 के दिन पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण का औचित्य जांचने के लिए सेवानिवृत कैबिनेट सचिव एस.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 21 नवंबर, 2014 में 106 पृष्ठों की 55 सिफारिशों का आकलन किया। इसमें मुख्यतया बैलगाड़ी शर्त (प्रतियोगिता), नाग पंचमी में जिंदा नागों की पूजा का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के

अनुसार आने वाली समस्याओं का उल्लेख किया गया है। सुब्रमण्यम समिति ने भारतीय त्यौहारों तथा उत्सव के बारे में काफी विचार-विमर्श के बाद अपना विचार दिया है। इस त्यौहार में नाग-सांपों को क्षति पहुंचाना, उनका गलत इस्तेमाल करना तथा कोई भी अनुचित प्रथा शामिल नहीं की जाती, इसमें सिर्फ शिरोला में नाग देवता का पूजन होता है। शिरोला की नाग पंचमी भारतीय संस्कृति को एक अलग पहचान देने के कारण इसके संवर्धन की आवश्यकता है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि भारतीय संस्कृति तथा परंपरा का पोषण व संवर्धन करने वाली शिरोला नाग पंचमी को मनाने की अनुमति मिले। धन्यवाद।

(xii) Regarding development of Someshwar Parbat, a place of religious attraction in Bihar on the lines of Mata Vaishno Devi

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक आस्था के महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत वाल्मीकि नगर के रामनगर प्रखंड में सोमेश्वर पर्वत स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2840 फीट है। यह बिहार का सर्वोच्च पर्वत है, जो भारत-नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। सोमेश्वर पर्वत पर माता काली का प्राचीन मंदिर है। प्रत्येक वर्ष चैत्रशुक्ल पक्ष के नवरात्रों में यहां पर हजारों की संख्या में हजारों श्रद्धालु पूरे बिहार तथा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से दर्शन करने के लिए आते हैं। यहां पर श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जिससे उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए सोमेश्वर पर्वत को माता वैष्णों देवी धाम की तर्ज पर विकसित किया जाए।

(xiii) Regarding introduction of a train from Dhenkanal to Chennai

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Sir, railway network plays an important role in the overall development of a region or place. Dhenkanal is one of the important district towns of Odisha and has several mines and other industrial units around the nearby locations. The railway station at Dhenkanal serves as the life line for the people and is connected with several towns and cities.

Chennai is the closest metropolitan city to Dhenkanal by distance after Kolkata. However, till today there are no direct train service to Chennai from the place. Several trains pass through Dhenkanal railway station, but none of them have Chennai as destination. There has been a long-standing demand from the people of my Parliamentary constituency that there should be a train from Dhenkanal which will connect the district town to Chennai. A train to Chennai that originates from Dhenkanal or a train with Chennai as destination be diverted and allowed to pass through Dhenkanal with a stoppage. This would help in the growth of economic activities both in Dhenkanal as well as along the route.

Therefore, I urge upon the Hon'ble Minster of Railways to consider the long standing demand of the people of my constituency and introduce a train to Chennai.

HON. CHAIRPERSON: Shri Srinivas Kesineni – not present.

Shri K. Navaskani – not present.

Shri P. Ravindhranath

(xiv) Regarding setting up of district-level coaching centres for competitive examinations across the country

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): I would like to urge the Government to set up at least one district-level coaching centre for rural youths across the country for various competitive examinations.

In India, a student's inability to access professional coaching to crack competitive exams unfairly affects his entry into the most sought-after jobs in the country. The Civil Services Exams, NDA, SSC, etc. are among the most challenging exams in the world and require expensive test preparation and considerable expenditure on books and coaching materials. There are millions of aspiring youths in rural India who do not have access to professional coaching both due to their financial constraints and due to the unavailability of high-quality coaching centres. Moreover, private coaching institutes levy exorbitant fees. It is critical that India's most marginalised are enabled to represent in the leadership of India's administrative, defence, technology and other Government service sectors.

I wish to urge upon the Government, through you, hon. Chairperson, Sir, to address this challenge by establishing at-least one such coaching centre in every district of our country that will admit students from Extremely Weaker Sections in the rural areas at free-of-cost or at a subsidized fee.

(xv) Regarding alleged shoddy construction of roads under Bharatmala Project in Rajasthan

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर आदि जिलों में भारतमाला योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़क के निर्माण में बरती गई कथित कोताही की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूं कि उक्त सड़क के निर्माण में संबंधित अधिकारी व कंसल्टेंसी/निर्माण करने वाली कार्यकारी कंपनी ने गुणवत्ता से संबंधित कमियों को कथित रूप से नजर अंदाज किया जिसके कारण सड़क निर्माण के बाद पहली बारिश में ही हाल ही में जोधपुर जिले में उक्त सड़क जगह-जगह से धंस गई और गड्ढे पड़ गये, चूंकि उक्त परियोजना में गुणवत्ता पैरामीटर के आधार पर उपयोग में ली जाने वाली जी.एस.बी. कंक्रीट सहीं नही है व उसकी गहराई बराबर मात्रा में नहीं ली गई जिसकी एग्रीगेट इम्पेक्ट वैल्यू बहुत कम है तथा मैटेरियल की उपलब्धता नजदीक नहीं होने की वजह से ज्यादा मात्रा में सैंडी सॉयल मिट्टी मिलाकर काम किया गया और किया जा रहा है जो गुणवत्ता के आधार पर सही नहीं है। Layer WBM-CTB में भी घटिया क्वालिटी प्रयुक्त ली गई और संबंधित रोड की ड्राइंग व डिजाइन के विपरीत जिम्मेदारों ने कई स्थानों पर कथित रूप से अनियमितता करके लेवल चेंज करवा दिया जिसके कारण निकट भविष्य में बहुत बड़ी बाधा आवागमन में उत्पन्न होगी और अभी भी कई जगह परेशानी का कारण बनी हुई है।

चूंकि यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है और प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में 39,600 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से उक्त परियोजना के अंतर्गत 2130 किलोमीटर लंबाई की 45 परियोजनाओं को चिह्नित किया है, ऐसे में मेरा आग्रह है कि भारतमाला योजना के अंतर्गत राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर सहित विभिन्न जिलों से गुजर रही सड़कें जिनका विभिन्न चरणों में निर्माण हो चुका है और निर्माण जारी है उनमें खराब गुणवत्ता, मनमाफिक लेवल लेने, निर्माण में प्रयुक्त निम्न स्तर की सामग्री की जांच करवाने के लिए केन्द्र के स्तर से एक विशेष टीम गठित करके त्वरित जांच करवाई

जाए व दोषी अभियन्ताओं, कार्यकारी एजेंसियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उनके विरूद्ध आर्थिक दंड भी लगाया जाए।

(xvi) Regarding relief and assistance to pomegranate farmers distressed due to attack of shothole borer pest on pomegranate in Maharashtra

डॉ. जयसिधेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शोलापुर, महाराष्ट्र तथा पूरे महाराष्ट्र मे अनार के ऊपर शॉट होल बोरर कीट के प्रभाव पड़ने से हजारों हेक्टेयर अनार का नुकसान हुआ। 70 हजार हेक्टेयर अनार शॉट होल बोरर कीट से प्रभावित है। इसी कारण, तुरंत कमेटी गठित करके शोलापुर जिले की अनार समस्या का हल करने के लिए इस गठित कमेटी ने शोलापुर के अनार की खेती का अध्ययन एवं मुआयना किया एवं इस परिस्थिति का विस्तृत अहवाल ICAR के हॉर्टीकल्चर विभाग को सौंप दिया। मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय से विनती करता हूँ कि अनार उत्पादक किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। किसानों को सहायता, राहत मिलने हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट अनुसार उचित कार्यवाही हो। अनार उत्पादक किसान अनार खेती से दूर न हों, इस पर केन्द्र सरकार द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा आग्रह है।

(xvii) Regarding implementation of scheme to remove Juliflora and allocation of funds for setting up of grove forest in Ramanathapuram District

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Sir, Ramanathapuram district is a dry belt with no waterbed resources from rivers or lakes. Moreover, due to Prosopis Juliflora, the groundwater is also affected. Hence, I request the Union Government to implement the special scheme to remove those Juliflora and also to set up a plan for grove forest. By setting up such a grove forest, the Juliflora will be removed completely, the groundwater level will also improve, and rainfall will also increase simultaneously. Hence, considering the need for water resources, I request the Union Minister to allocate sufficient funds to set up a grove forest in Ramanathapuram District.

14.31 hrs

FAMILY COURTS (AMENDMENT) BILL, 2022

HON. CHAIRPERSON: Now, we shall take up Item No. 15.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Family Courts Act, 1984 be taken into consideration."

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री किरेन रिजीजू : सर, हम इस सदन में फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का एक संशोधन लेकर आए हैं। इसमें एक छोटा अमेंडमेंट है। मैं चाहता हूँ कि सारे मेम्बर्स को सुनकर, अंत में मैं उसका जवाब दूँगा, जब पारित करना होगा। मेरा अनुरोध है, क्योंकि यह एक छोटा अमेंडमेंट है, हमें इस विषय पर लंबा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सीमित समय में, अगर हम इसको आज ही पारित कर सकें तो अच्छा होगा।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

माननीय सभापति: सुश्री सुनीता दुग्गल जी।

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): आदरणीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को पूरे संसद की तरफ से, पूरे हिन्दुस्तान की महिलाओं की तरफ से, हमारे हिन्दुस्तान की बच्चियों की तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहती हूँ।

आज हम जिस बिल पर डिस्कस करने वाले हैं, वह फैमिली कोर्ट बिल है। इस बिल पर आज हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। जो परिवार है, वह किसी भी समाज की छोटी इकाई है। हमारी

जो आदरणीय महामहिम है, वह इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से वह एक साहसी प्रेयसी रही हैं। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी माँ, एक बहुत ही अच्छी पत्नी और उसके बाद आप यह देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी-ऐसी ट्रेज़डी को झेला है। पहले, एक पुत्र धरती से गए, उसके बाद दूसरा पुत्र और उसके बाद भी वह एक ताकतवर इंसान की तरह आगे बढ़ीं। जब उनकी बेटी ने यह कहा कि मैं आपके साथ रहूँगी और मैं विवाह नहीं करना चाहती, तब उन्होंने कहा कि विवाह बहुत जरूरी है। अगर कल मुझे कहीं कुछ हो जाता है तो तुम किस तरह से अपनी जिंदगी को पास करोगी। एक परिवार का इतना सुंदर उदाहरण, जिसे हमारी महामहिम ने दिया और उसके बाद उनकी पुत्री ने विवाह किया।

आज हम फैमिली कोर्ट बिल पर चर्चा कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहती हूँ कि वर्ष 1984 में यह एक्ट आया। परिवार और मैरिज से रिलेटेड जो मामले हैं, उनको कंसीलिएशन एवं सेट्लमेंट के माध्यम से सॉल्व किया जाए तथा उनको बहुत लंबा नहीं खींचा जाए। इसी के तहत वर्ष 1984 में यह बिल आया। इसके अंदर यह प्रावधान था कि for establishment of family courts by the State Government in consultation with the High Court to promote conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs. उसके बाद इसके अंदर प्रावधान था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो हाई कोर्ट्स हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट आपस में कंस्लटेशन के बाद अपनी रेक्विजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजती है।

सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू यह इजाजत देती है कि आप अपने राज्य में फैमिली कोर्ट खोल सकते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, पिछले साल हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा केस आया, ओंकार शर्मा जी का वह केस है, जब मेंटीनेंस वगैरह का फाइनल केस हुआ, तो उन्होंने यह मामला डाला कि वह कोर्ट स्टैब्लिश्ड ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई नोटिफिकेशन ही वहां पर नहीं आई। इस बात की जरूरत महसूस की गई कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कितनी कोर्ट्स हैं, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं गई है, लेकिन वहां पर कोर्ट चल रही है।

वहां पाया गया कि तीन कोर्ट्स हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही थीं, शिमला में, धर्मशाला में और मंडी में।

इसी तरह से नागालैंड के अंदर दीमापुर और कोहिमा में कोर्ट्स चल रही थीं। इन जगहों पर बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के कोर्ट्स चल रही थीं। आप यह देखिए कि कोर्ट्स चल रही हैं, वहां पर इंप्लाईज़ भी हैं और खूब सारे केसेज़ चल रहे हैं। ऐसे में अगर वहां पर कोर्ट को ही नल एंड वोइड कर दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि इससे बहुत से परिवारों को नुकसान झेलना पड़ सकता है और इसीलिए इस अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। इसके सैक्शन के थ्रू इसमें यह अमेंडमेंट है । The Family Courts (Amendment) Bill, 2022, seeks to amend the said Act to insert a provision in sub-section 3 of Section 1 to provide for the establishment of family courts in the State of Himachal Pradesh with effect from 15th February, 2019. 15 फरवरी, 2019 से वहां पर कोर्ट चल रही थी, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली नोटिफिकेशन के थ्रू लागू किया जाए। इसके साथ-साथ नागालैंड में, with effect from 12th September, 2008. It says, "new sub-section 3(a) to retrospectively validate all actions under the said Act taken by the State Governments of Himachal Pradesh and Nagaland and the Family Courts of these States prior to the commencement of the Family Courts (Amendment) Act, 2022".

महोदय, मैं लिस्ट में देख रही थी कि अभी भी हमारे बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं, जहां पर आदरणीय मंत्री जी की नोटिफिकेशन जा चुकी है, लेकिन वहां पर अभी तक कोई कोर्ट नहीं खुली है। इसमें अगर हम देखें तो अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दीव एंड दमन, दादरा नगर हवेली, गोवा, मिजोरम में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन एक भी कोर्ट यहां पर अभी तक नहीं खोली गई । मैं गुजारिश करूंगी कि कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, तो मैक्सिमम कोर्ट्स छत्तीसगढ़ की तरफ चली गई। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही कोर्ट है। मैं यह कहना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। वहां पर अगर नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है तो आपके माध्यम से यदि कोई लेटर चला जाता है तो वहां पर

और ज्यादा संख्या में कोर्ट्स खुल सकती हैं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि इसमें ऐसा बहुत कुछ नहीं है। ये दो अमेंडमेंट्स ही इसके अंदर कर रहे हैं, ताकि इनको रेट्रोस्पेक्टिवली, विद इफेक्ट फ्रॉम जब से ये स्टैब्लिश्ड हुई हैं, इनको लागू किया जा सके।

सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए यही कहना चाहती हूं कि परिवार बहुत जरूरी है। हम तो यह चाहते हैं कि इसके अंदर मिनिमम डिस्प्यूट्स जाएं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेज़ पेंडिंग हैं। यह भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वहां ज्यादा से ज्यादा जजेज़ की नियुक्ति करके केस निपटायें जाएं। ऐसे केसेज़ हों ही न तो मैं अंत में यह कहना चाहूंगी कि

"कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो,
कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो,
रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से,
बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो।"

सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह संशोधन विधेयक मुख्य रूप से कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 1 (3) में संशोधन करने के लिए लाया गया है, जिससे यह हिमाचल प्रदेश एवं नागालैंड में अन्य राज्यों की भांति प्रभावी हो और अब तक जो भी वहां न्यायालय द्वारा फैसले हुए हैं, वे वैध हों।

इन दोनों राज्यों में बिना केन्द्र की अधिसूचना के ही न्यायालय काम कर रहा था। अब आज के बाद उसको वैधता मिल जाएगी।

महोदय, मैं एक विषय सरकार के समक्ष कहना चाहता हूं कि यह कानून विवाह और कुटुम्बिक मामलों से संबंधित है और उससे जुड़े मामलों में सुलह को बढ़ावा देने और जल्द से जल्द से निपटारा सुनिश्चित कराने हेतु बना था। देश के करीब 720 कुटुम्ब न्यायालयों में लगभग 11 लाख 43 हजार 985 मामले लंबित हैं। यह आंकड़ा हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के अतिरिक्त भी है। अब जहां शीघ्र निपटारे की बात है, वहीं साल दर साल मामले लंबित होते जा रहे हैं। इस

पर सरकार को जल्द विचार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि करीब दस लाख की आबादी पर हर जिले में एक न्यायालय की स्थापना इस कानून के तहत होनी चाहिए। किन्तु बिहार व अन्य प्रदेशों में जिले की आबादी करीब 20 लाख से भी अधिक है।

मेरा अनुरोध है कि वहां पर सरकार जल्द से जल्द कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना करे। जजों की संख्या में वृद्धि की जाए, जिससे मामले का त्वरित निपटारा हो, साथ ही लंबित पड़े हुए मामलों का निपटारा हो, इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (**CUTTACK**): Sir, I stand here to deliberate on the Family Courts (Amendment) Bill, 2022, which has been moved by the Law Minister.

The Minister, while introducing the Bill for discussion and passing today, said that it is a very innocuous Bill and hardly two amendments are there. I agree, there are hardly two amendments which may not generate a great debate. But the basic question has already been put forth in a different way to the Treasury Benches.

If Mr. Omkar Sharma had not gone to the court and he had not raised this issue, who would have woken in this country? I should thank the lawyer of Mr. Omkar Sharma who brought this issue to light saying that the notification which was supposed to have been done by the Union Government to open family courts in respective States was not done. States can open a court or a number of courts but the ultimate notification has to be done by the Central Government. That did not happen either in 2019 when the Himachal Pradesh Government decided to open the court, or when the Nagaland Government decided to open the court.

Were they not aware of such provisions? I would just like to alert the Central Government. When such courts are being opened in respective States, is it not the duty of the Central Government also to find out whether notification has been done or not? Why should a court draw attention to the fact that there has been no notification at all?

Another significant thing which this amendment states today is that because of the decision in Mr. Omkar Sharma's case, all other decisions that were taken before, both in Himachal Pradesh and in Nagaland, became null and void. That is the crux of the issue. यह इतना सहज चीज नहीं है, जैसे हमारे मंत्री जी ने अभी यहां इसको पुर:स्थापन करते हुए कहा, ये सारी गलतियां हैं, इस गलती को सुधारने के लिए आपके कंधे पर दायित्व मिला है। मेरा निवेदन यह रहेगा कि ऐसी और भी कितनी गलतियां हैं, उसे भी ढूंढिए, ये गलतियां कई सालों से चली आ रही हैं।

मैं तो कहूंगा जब हिन्दू कोड बिल की इस हाउस में या दूसरे हाउस में चर्चा हुई थी, उस समय मैरिज के विषय में भी काफी लंबी चर्चा हुई थी।

हमारे सिस्टम, सभ्यता और संस्कृति में चार तरह के विवाह होते थे। एक, अरेंज्ड मैरिज, जिसे हमने अपनाया है। दो परिवारों का मिलन होता है, आपस में चर्चा होती है। अगर बात आगे बढ़ती है तो कन्या और वर मिलते हैं और उसके बाद शादी की तारीख पक्की होती है। यह अरेंज्ड मैरिज सिस्टम आज तक भी चला आ रहा है।

दूसरी मैरिज थी, गंधर्व मैरिज। गंधर्व शब्द से हम समझ सकते हैं, जैसे कण्व मुनि के आश्रम में शकुन्तला के साथ दुष्यंत की मैरिज हुई। बस दोनों यानी नारी और पुरुष ही जानते थे कि हमारी मैरिज हुई है। अगर कोई स्वीकार नहीं करता है कि यह मैरिज नहीं करूंगा तो उसमें दिक्कत आती है और यही दिक्कत शकुन्तला को भोगनी पड़ी। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने बेटे को पैदा करूंगी और भरत, जो बाद में चक्रवर्ती राजा बने, जिनके नाम पर यह देश बना, यह उन्हीं के पुत्र हैं। गंधर्व विवाह भी स्वीकार्य था।

तीसरी मैरिज स्वयंवर है, इसमें कन्या अपना वर चुनती थी। आज भी हमारे समाज में, किसी इलाके में या सम्प्रदाय में इस तरह की मैरिज होती है। स्वयंवर में कन्या used to decide whom to marry and whom not to marry. The parents do not have a say. Force is never applied, and it is an accepted fact. जैसे सीता जी ने जनक के दरबार में राम जी को चुना। जैसे द्रोपदी की शर्त थी इस तरह का कोई धनुर्धर मिलेगा तो ही मैं शादी करूंगी और वह धनुर्धर मिले। स्वयंवर की एक अलग व्यवस्था है।

एक व्यवस्था थी, which was the most derogatory way of marriage, वह है जबरदस्ती यानी किसी को जबरन ले जाना। … (व्यवधान) बिहार तो सब में आगे है। … (व्यवधान) अगर दोनों के बीच संपर्क है, संबंध है फिर भी पिता या भाई की तरफ से नाराज़गी है तो जबरन भी मैरिज होती है। जैसे कृष्ण जी और रुकमणी जी का विवाह हुआ था। ये सब उदाहरण हमारी सभ्यता और संस्कृति में हैं।

हिंदू कोड बिल की 50 के दशक में चर्चा हुई थी, उस समय का जो समाज था, उस समय की जो बिरादरी व्यवस्था में थी, उन्होंने तय किया था कि हम अरेंज्ड मैरिज को ज्यादा महत्व देंगे। हम सैपरेशन को नकारेंगे, नहीं तो हमारी फैमिली नष्ट हो जाएगी। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। परिवार को बरकरार रखने के लिए शादीशुदा आदमी अपने परिवार में ही रहे और अगर किसी का इंडीपेंडेंट विचार हो तो हम उसे ज्यादा महत्व नहीं देंगे।

इस तरह के विचार की चर्चा 50 के दशक में हुई थी। आप उस समय की जितनी भी डिबेट देखेंगे, उनमें उसी तरह की बात हुई थी। उस समय एक कॉम्प्रोमाइज भी हुई थी कि मोहम्मडन लोगों का सेपरेशन किस तरह हो? उसको हम कांस्टिट्यूशनल प्रोविजन में स्वीकार करेंगे। क्रिश्चयन कम्युनिटी का सेपरेशन किस तरह से हो?

उसको हम अलग से स्वीकार करेंगे। अगर उसी तरह से हिन्दू फैमिली में कुछ सेपरेशन के लिए होगा, तो उसको उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज में देखेंगे। लेकिन, आज भी जैसे एक प्रश्न कौशलेन्द्र जी ने रखा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, अभी 11,75,000 केसेज फैमिली कोर्ट में पेंडिंग हैं। उनके निपटारे के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? क्या उसको सिर्फ

राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाएगा? इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वर्ष 1984 में फैमिली कोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वर्ष 1955-56 में हिन्दू कोड बनने के 30 साल बाद समाज, चुने हुए सांसद और सरकार के मन में यह आया कि जो निर्णय हमने 50 के दशक में लिये थे, वे निर्णय अब बरकरार नहीं रह सकते। समाज परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील समाज में लॉ, आइन और विधि को उसी हिसाब से गढ़ना पड़ता है। इसलिए, वर्ष 1984 में फैमिली कोर्ट बना। उसमें यह विषय भी रखा गया था कि राज्य सरकारें फैमिली कोर्ट तो बनाएंगी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार नोटिफिकेशन करती है और उसी बीच यह सामने आ गया कि हमने हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए नहीं किया।

अभी देश में करीब 715 फैमिली कोर्ट चल रहे हैं। ये फैमिली कोर्ट 26 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तीनों फैमिली कोर्ट उसी हिसाब से चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं। हम उसके डिसीजन को उसी दिन से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए आज यह व्यवस्था ला रहे हैं। पार्लियामेंट एक सुप्रीम बॉडी है। लॉ को बदलने और उसको इफेक्ट देने के लिए हम इस विधेयक को पारित करेंगे। लेकिन, इसका इंटरप्रेटेशन कोर्ट करेगा। हम जो रेट्रोस्पेक्टिव शब्द का व्यवहार कर रहे हैं, उसका इंटरप्रेटेशन कोर्ट करेगा। जो डिसीजन में इफेक्टेड पार्टी हैं, वे भी कोर्ट में जा सकते हैं। उस समय कौन-सा कोर्ट उस डिसीजन को डिसाइड करेगा, वह भी तय करने की आवश्यकता है। मैं यही बात बताना चाहता हूं। फैमिली कोर्ट की व्यवस्था और सेपरेशन की व्यवस्था, ये सारे सिविल मैटर हैं। ये क्रिमिनल मैटर नहीं हैं। क्रिमिनल केस बनाने में काफी वकील माहिर हैं। फैमिली डिस्प्यूट और इस तरह के मैरिज के काफी वकील यहां बैठे हुए हैं। … (व्यवधान) हस्बैंड-वाइफ के विवाद को क्रिमिनल कलर देने और उस हरैस पर केस कराने वाले भी कई लोग हैं। हमारे समाज में ऐसे लोगों का अभाव नहीं है। लेकिन, मैं एक चीज यहां बताना चाहता हूं कि 14 सितम्बर, 1984 में फैमिली कोर्ट बना। फैमिली कोर्ट लॉ भी बना और उसका इफेक्ट भी आ गया। स्टेट ऑफ नागालैंड में दो और हिमाचल प्रदेश में तीन फैमिली कोर्ट्स हैं।

उन कोर्ट्स ने जो डिसिजन लिया है, जो उसका इफेक्ट है, उस हिसाब से आज हमारे निर्णय के बाद वह भी बरकरार रहेगा। मेरा यही एक निवेदन है कि एक केस को डिसाइड करने में कितना समय लगता है। जैसा कि पहले कहा गया है, जब 1984 एक्ट बना था, to promote conciliation, वह एक जरूरी चीज है। कंसिलिएशन फेल होने के बाद, इसको डिसाइड करने में और कितना समय लगेगा? कंसिलिएशन एक आउट ऑफ कोर्ट सिस्टम है और कंसिलिएशन करने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा भी जाता है।

तीन महीने, छः महीने, एक साल तक कंसिलिएशन भी होता रहता है। अगर आपस में थोड़ी-थोड़ी चीजों पर विवाद हो गया, तो समय के हिसाब से उसका फैसला कर लेना चाहिए।

मुझे तो याद आ रहा है, मैं एक बार एक बड़े वकील के पास बैठा था, इस बारे में उनसे पूछ रहा था, तब उन्होंने मुंबई के एक केस के बारे में बताया। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। The husband is now around 80 years old and his wife is around 75-plus years old and they have been fighting a separation case for more than 30 years. ये जो सन् 1984 में लॉ बना, तो किस हिसाब से उनके केस का निर्णय होगा? एक घर में ये रह रहे हैं और सड़क के उस पार बने घर में वो रह रही हैं। वे कह रहे हैं कि ये जो घर है, वह मेरे हिस्से में आएगा और महिला कह रही हैं कि नहीं, मैं यह घर नहीं दूंगी और ये केस चलता रहा।…(व्यवधान)

इसके ऊपर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि मंत्री जी कहेंगे कि कोर्ट के ऊपर हमारा कोई अंकुश नहीं है। हम उस हिसाब से विचार करेंगे। The purpose of the law is to have conciliation and speedy settlement, पर स्पीडी सेटलमेंट तो नहीं हो रहा है। स्पीडी सेटलमेंट करने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? अगर आप इसके बारे में हमें बताएंगे, तो बहुत बढ़िया होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on behalf of YSRCP on the Family Courts (Amendment) Bill, 2022.

The Bill proposes two amendments. The first amendment validates the establishment of three Family Courts in Himachal Pradesh and two Family Courts in Nagaland. At the same time, the second amendment says, 'a retrospective validation of these Courts'. The deeds -- which were done -- and the appointments -- which were made -- will be validated with today's amendments.

Hon. Chairperson, Sir, I would like to speak in Telugu.

माननीय सभापति: क्या आपने तेलुगु में बोलने के लिए नोटिस दिया है?

15.00 hrs

***DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL):** Yes, Sir. As there is a need to protect our Judiciary, YSRCP supports this amendment Bill the Union Government proved again that they are amending Bills on temporary basis. There is a need for comprehensive reforms in our Judiciary. We are still following laws made during Britishers' regime. We need to analyse and review those laws. Sir, we know that Justice delayed is Justice denied. Which means that if there is any delay in delivery of Justice, it is like denying Justice. Our country stands at no. 2 in population and there are large numbers of married people in our country. Also, there are several cases of divorce as well in our country. As per a survey 1% of married people are seeking divorce. In metropolitan cities it is 5% of married people who are opting for divorce. In their mechanical life, divorce has become an unavoidable outcome. There are many who are living separately, as they cannot go to Courts. At the same time,

---

* English translation of the Speech originally delivered in Telugu.

pending cases are a big challenge to our Judiciary. We should not forget that this is our responsibility to find a solution to this problem. If we look at the number of pending cases, we have 4.7 crore pending cases in our country. In Supreme Court there are 70,000 pending cases. In 716 family courts, there are more than 12 lakh cases that are pending. As per surveys, 15% of our population is suffering from mental disorders and around 35% of our population stated that they are not happy. There could be many reasons. Shortcomings and flaws of our family system is also one reason for this unhappiness. It is the responsibility of the Government to ensure happiness all around. Therefore, Government should amend laws for the well-being of people. India stands at 143, in World Happiness Index. Though we claim that we are the largest democracy, Government should be aware that people in our country are not happy.

Similarly, in judicial services we are not even providing 10% opportunities to weaker and backward classes. Women representation is also quite meagre. Judges arebeing appointed by the courts; legislative bodies do not have any powers in this matter. Accountability of Courts is a Question mark. I request the Government that this is the right time to overhaul our judiciary.

When we brought family courts Bill in 1984, we had these principal goals.

1. Disputes should be settled through reconciliation.
2. Cost effective Justice for people.
3. Timely delivery of Justice.

But even after 38 years of bringing this law, we need to introspect whether we achieved those goals. Sir, after studying family courts in our country. I found 12 challenges before us.

Counselors – Counselors change every three months. As a result, Judgment is getting delayed. Family members' problems are getting aggravated. Especially women face difficulty to explain their problem to new Counselors. Therefore, the Government should take steps to appoint Counselors on permanent basis.

Similarly, family courts cannot stop domestic violence. Victims are often advised to file a case under domestic violence. Common people cannot file two, three cases for small problems, which will further aggravate their problems and weaken them financially. I request the Government to note this difficulty of common man. As per principal law of Family Courts Bill, 1984- more than 50% of Judges should be women. I request Honorable Minister to state, how many women Judges are there in 716 Family Courts in our country.

Fourth challenge is that there are different rules in different States. A person from UP is married to a woman in Maharashtra and they may be living in Assam. If they have a family dispute, where should they file a case?

In Maharashtra rules are different, in UP they are different and in Assam also there could be different rules. When these rules are not uniform, what rules should these aggrieved parties follow? I ask this question to the government.

This law also ignored one important aspect. Who will take responsibility of people? We have provision to resolve disputes between a husband and a

wife in family courts. But children are subjected to immense stress. They are spoiling their life by visiting family courts. There is no such provision for children in family courts. Similarly, family also includes elderly parents. Whether this law provides any such relief to elderly parents? Therefore, I request Honorable Minister to look at this aspect as well.

Most importantly, police do not come under the purview of family courts. In such scenario who will implement judgment of a family court? On many occasions settlements are being done in a dubious manner. Who is responsible for this? The main objective of these courts is to provide justice to common people on time with little expenditure. We should ponder whether we achieved this objective or not? As implementation by police is not under the purview of judges, we need to think about this.

Regarding maintenance, if a Family Court Judge awards an alimony, who is going to enforce that judgment? These are being left for many years and the women are suffering in absence of that alimony. Therefore, amendments should be made to give powers to the courts. If required the assets of husband should be sold to provide alimony to the wife.

Who are appointing judges of family courts? They are being appointed either from magistrate courts or subordinate courts. They do not have special training; therefore they are functioning like a regular lawyer discharging regular cases. As a result, cases are getting delayed. I request that judges of family courts should be provided with special training so that these cases are discharged on time.

As per this law there is no role for lawyers in these courts. In special case, if judge permits one can use services of lawyer in these courts. In such a scenario, how uneducated people will deal with their cases? Whether we are providing relevant information to public in all languages? Whether we published any standard procedure? We should make available rules and regulations of family court in all Indian languages. This is my request to hon. minister, that this information should be published for the benefit of common people.

If there are no basic facilities in courts, Judges cannot give good output. As judges do not find good conditions to work cases are getting delayed. This has been mentioned by several learned men. There should be separate room for counselors in family courts. In family courts we should have permanent counselors with designated accommodation. There should be provision for counseling for children in family courts as well.

In our country we are used to panchayat system. Even after 75 years of Independence, this ill practice is still prevalent. It's is so unfortunate that family approaches some goons for settlement. That person exploits them and subjects them to miseries in the name of settlement. Even now, 10% of cases in family courts are being settled by goons in the villages. I request the Government to take initiatives to check such practices.

One more important point, we are making amendment on a temporary basis. Even after 75 years of Independence we don't have proper education; proper healthcare and we are not able to deliver justice to the people. I request the government that reasons should be analysed and complete overhaul of our

system should be done. The goal with which we created these family courts, whether we reached these goals or not we need to introspect. We support this amendment Bill for benefit of Himachal Pradesh and Nagaland. I thank our leader shri YS Jaganmohan Reddy for sending a person like me from an ordinary family to represent and express people's problems. I also thank hon. Chairman for giving this opportunity. Thank you.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): बहुत-बहुत धन्यवाद, आदरणीय अधिष्ठाता महोदय ।

आपने मुझे दि फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 को अमेंड करने वाला जो विधेयक आज यहां पर प्रस्तुत हुआ है, उस पर बोलने का अवसर दिया और यहां पर बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के वक्तव्य को रखने के लिए अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपके प्रति आभारी हूं।

महोदय, जब कोई कानून लागू होता है, वह किसी भी स्टेट में किस तारीख से लागू होगा, उसको तय करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। नागालैण्ड और हिमाचल प्रदेश में यह एक्ट अभी तक लागू नहीं हो पाया था। रिट्रोस्पेक्टिव केस से उन्होंने जो भी नीतिगत निर्णय लिए हैं, उनको लागू करने के लिए यह बिल लाया गया है। लेकिन यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर था जब हम इसके अंदर तीन प्रमुख बिन्दुओं में परिवर्तन करके इस देश को एक अच्छी दिशा देने का काम कर सकते थे। मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि महिलाओं का एक बड़ा तबका सत्ता पक्ष को वोट देने का काम करता है, लेकिन उनके लिए काम नहीं किया गया है। इसका एक सीधा उदाहरण मैं इस बिल के जरिए देना चाहता हूं। … (व्यवधान)

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, सूरतेहाल भी बदलनी चाहिए।

सर, सूरत-ए-हाल कैसे बदल सकते थे, उसके लिए ये तीन प्रमुख मुद्दे हैं। एक बात यह है कि न्यायपालिका में विषम लिंग अनुपात है। इसके ऊपर मैं अभी चर्चा करूंगा। दूसरी बात यह है कि फैमिली कोर्ट में जो अपील अदालतें हैं, इनकी स्थापना में एक प्रमुख आवश्यकता यह भी है कि

जब कोर्ट की अवमानना होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की शक्ति हो। तीसरी बात यह है कि जो परामर्शदाता होते हैं, जो मैरिज काउंसलर्स होते हैं, उनका जो समय या नियम तीन महीने का तय किया गया है, उसको बढ़ाने की बात है।

महोदय, सबसे पहले लिंग अनुपात की बात पर आता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी बिल के सेक्शन 4(बी) के तहत यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि "In selecting persons for appointment as Judges, preference shall be given to women." यानी कि जब जजेज़ को सेलेक्ट किया जाएगा तो एक श्रेष्ठता, यानी कि महिलाओं को ज्यादा वरीयता दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वरीयता दी जाएगी तो एक हिसाब से लिंग अनुपात महिलाओं का ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि जो भी जजेज़ हैं, उनमें ज्यादातर महिलाएं नहीं है। करीब 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारतीय परिवार न्यायालयों में न्यायाधीश की कुर्सी पर मात्र 20 प्रतिशत से कम महिलाएं हैं। बाबा साहेब बी. आर. अंबेडकर जी ने महिलाओं के मुद्दे को लेकर ही रिजाइन कर दिया था, लेकिन आज इतने सालों के बाद भी महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि न्याय विभाग की वेबसाइट के अनुसार निचली अदालतों में केवल 30 प्रतिशत महिलाएं हैं, उच्च अदालतों में 11.5 प्रतिशत महिलाएं हैं, सभी उच्च न्यायालयों में 627 न्यायाधीशों में से केवल 66 महिलाएं हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है, जब हम यह कहते हैं कि महिलाओं का सारा वोट हमको मिलने का काम होता है।

महोदय, कुछ और भी मुद्दे हैं। जैसे कामकाजी शक्ति का लगभग 10 प्रतिशत अभी भी महिलाओं के हाथ में ही है। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जब आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ उच्च न्यायालयों में एक भी महिला न्यायाधीश नहीं है। शीर्ष उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीशों में से सिर्फ 4 महिला न्यायाधीश हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है? अब इस बिल में यह मौका मिला हुआ था कि इसमें एक संशोधन किया जाए तथा इन महिलाओं को और सशक्तिकरण दिया जाए, ताकि फैमिली कोर्ट में उनकी बराबरी की हिस्सेदारी हो। सर, मैं पांच मिनट और लूंगा।

सर, पिछले 15 वर्ष के आंकड़े यह दिखाते हैं कि न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम रहा है। वर्ष 2006 और 2021 के बीच 150 महिला न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था, लेकिन उनमें से 84 पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुकी थीं और 66 अभी सेवारत हैं। महिलाओं को उन सभी जगहों पर सेवारत होना चाहिए, जहां उनके, आपके और समाज के लिए निर्णय लिया जा रहा है, जैसे इस बिल में अभी हम फैमिली कोर्ट की बात कर रहे हैं। अपील अदालतों में यह मेरा दूसरा मुद्दा है। अपील अदालतों में फैमिली कोर्ट की बेंच की स्थापना की बहुत ही जरूरत है।

सर, होता यह है कि जिले स्तर पर जो परिवारिक न्यायालय में किए गए फैसले होते हैं, जो समान सिद्धांतों के आधार पर किए जाते हैं, उनकी अपील के मामलों का फैसला करने में उसमें मदद मिलेगी। क्योंकि एक परिवार न्यायालय के पास एक सीमित दायरा रहता है और उस क्षेत्राधिकार में वह काम करते हैं। इसमें जब कोर्ट की अवमानना होती है या उनके किसी भी आदेश की अवमानना होती है तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। क्योंकि लोगों का यह मानना है कि किसी भी मजिस्ट्रेट की बेंच में और ज्यादा पावर होती है या वे दीवानी अदालत में अपने आप को सुरक्षित तथा मजबूत पाते हैं और उसका पालन करने में वह अपने आपको ज्यादा निपुण दिखाने का काम करते हैं। अगर हम इसी चीज को मजबूत करना चाहते हैं तो इनको हमें मजिस्ट्रेट और इन अदालतों में भी जगह देकर स्थापित करने की जरूरत होगी। यह होता है कि अगर याचिकाकर्ता पुरुष है और उसके खिलाफ फैमिली कोर्ट ने यह कहा कि आपको भरण-पोषण का भार उठाना पड़ेगा, वह उसको तब भी नजरअंदाज इसलिए कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि इस अदालत के पास इतनी ताकत नहीं है कि वह उसको एन्फोर्स कर सके। यह मौका मिला हुआ था, जब सरकार इसमें संशोधन ला रही थी और इसको करना चाहिए था, लेकिन इस मौके को गंवाने का काम किया है।

तीसरा, जो मैरिज काउंसलर्स होते हैं, यानी कि जो परामर्शदाता होते हैं, उनको पीड़ित के साथ तीन महीने तक लगाया जाता है, ताकि वे समस्याओं को समझें और उनको मैरिज काउंसिलिंग के लिए मदद करें। मगर होता यह है कि अगर कोई मामला तीन महीने से अधिक चला

जाता है, तो हमें यह देखने को मिलता है कि वह परामर्शदाता बदल जाता है। उन्हें नए सिरे से अपनी विडम्बना बतानी पड़ती है, उसको समझने में समय भी लगता है। यह इस लॉ में एक गहरी खामी है, जिसको दूर करने का मौका मिला था, इसे दूर करना चाहिए था।

सर, मैं आपके माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि आप फैमली कोर्ट से ही शुरुआत करिए। आप इसमें महिलाओं को आरक्षण दीजिए। यह उनके भविष्य की बात है। यहां पर सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं। हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। यह जायज़-सी बात है कि जब बेंच पूरी पुरुषों की रहेगी या उसमें ज्यादातर पुरुष रहेंगे, तो महिलाओं की बातें कम सुनी जाएगी। हम महिला सशक्तिकरण की बात जरूर करते हैं, हम बाबा साहेब की बात जरूर करते हैं, हम महिलाओं के वोट लेने के लिए बड़े-बड़े वायदें जरूर करते हैं, लेकिन जहां पर महिलाओं की हित की बात होती है, वहां पर हम कहीं न कहीं गलतियां कर बैठते हैं और पीछे हट जाते हैं।

आपके माध्यम से मेरा आदरणीय लॉ मिनिस्टर जी से निवेदन है कि इस पर पुन: विचार करें और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विचार करें। हालांकि मैं ओबीसी और एससी की भी बात कर सकता हूं, जिनको कोई आरक्षण नहीं मिलता है। क्योंकि यह बिल महिलाओं का है, इसलिए मैं इस पर सीमित रहूंगा, लेकिन इस मंच के माध्यम से उस पर भी विचार करने के लिए जरूर कहूंगा।

आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, thank you, for giving me this opportunity to speak on the small, limited, but very important piece of legislation.

Sir, we must admit, the Government must admit and the Ministry, particularly, must admit the gross lapse on its part in extending this legislation to Nagaland for nearly one and a half decades and also to Himachal Pradesh where family courts have been established in 2019 itself. This incident came to light only when a petition was filed in the High Court of Himachal Pradesh,

challenging the validity of family courts. Had there not been any petition, we would not be discussing this Bill at all.

Sir, governance is a continuous process. So, this kind of lapse is not acceptable and this kind of functioning of the Ministry is not accepted from this Government, at least.

So, taking advantage of this discussion, I wish to appeal to all Ministries of the Union to look into the Acts that are under their administrative control and to see whether there are any such lapses and, if there are any, kindly take suitable action. Or, I would like to suggest for consideration of the Government to constitute a Committee, the way we had done to repeal redundant and obsolete laws; and let this Committee scrutinise all the existing laws and recommend corrective measures to the administrative Ministries, wherever required. This is the first point I wish to make.

Sir, taking advantage of this Bill, I wish to speak on a few issues that are plaguing the family courts system in the country, be it relating to discrimination against fathers in custody cases or delays in judgement or misuse of this legislation.

We all must admit and the House must admit, that the family courts system in the country is not quite in the pink of health. One of the reasons behind this is the lack of infrastructure and shortage of judges and judicial officers at the lower level. The hon. Law Minister himself, in reply to a question in Parliament, said that 11.79 lakh cases are pending in 732 family courts and UP tops with 34 per cent of the cases.

It is all happening due to shortage of family courts, lack of infrastructure in the existing courts, and shortage of staff. The 14th Finance Commission did not give any money to the Ministry when it sought Rs.541 crore.

But look at the paradox. Instead, it was said that 235 more family courts should be set up between 2015-2020. Also, what projection the Ministry has made before the 15th Finance Commission and what it has received may kindly be shared with the House.

Sir, I have a few very quick suggestions which I would like to make for better management, functioning, and delivery of justice in family courts and then I will conclude.

Family courts can take the help of NGOs in settlement of disputes. Now, we have counsellors on temporary basis. We have to appoint counsellors on permanent basis and they should be given proper training. Judges in family courts need to be gender sensitized. Procedure in family courts should be simplified to pave speedy and hassle-free justice. The Government may give a thought of appointing qualified social workers and activists as Judges of family courts. Now, I think, a District with one million population should have a family court. The norm has to be changed, and we should make sure that every district irrespective of size of population, should have a family court. Judges can also act as Counsellors in the later part of counseling. Finally, ICT & AI have to be extensively used to settle the cases as early as possible.

So, Sir, with these observations, I support the Bill. Thank you.

DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Namasate! At the outset, the hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me a chance to speak on the Family Courts (Amendment) Bill, 2022, and I stand here to speak in favour of the Bill.

Sir, the Indian Judiciary has the largest backlog of pending cases in the whole world probably. This is not a problem of the system. It is primarily because of the size of population that we have. The number of marriages are also exceedingly high, and it is probably the highest in the world.

As per the National Judicial Data Grid (NJDG), there are around 4.7 crore cases which are pending before the courts. Out of this, 4.5 crore cases are in the District Courts/courts or the lower courts. High Courts have a backlog of around 50 lakh cases, and the Supreme Court has a backlog of around 72,000. Out of this, 11.75 lakh cases are pending in the family courts.

Sir, the regular courts are basically burdened with civil and criminal matters, and little or no attention is given to the family matters. But things are changing because judicial reforms are being looked into by this Government since 2014.

There are pressures from individuals, organisations, and NGOs for fast disposal of such matters. The 59th Report of the Law Commission in 1974 opened up a new paraphernalia. They suggested the establishment of family courts for early disposal and settlement of family matters. Based on the suggestions of the Law Commission of 1974, and basically to decongest those trial courts, the Parliament passed the Family Courts Act in 1984, and the edifice of this Act was built on two strong pillars, the first pillar being to promote

conciliation and the second pillar being the speedy settlement of the marriages disputes which are basically brought in front of the family courts.

All this marked a new beginning. The family courts started to get established all across the country. As per the guidelines, a city with more than one million population will have one family court, or as deemed fit by the State Government, they can establish the family court. So, basically, these were the two guidelines.

The Act of 1984 laid clear terms in jurisdiction, appointment of Judges, and powers and functions of these family courts. These were going on very efficiently in 715 courts established in 26 States of the entire county today.

As we look back now, the present amendment of 2022 is necessitated by the case of Onkar Sharma *versus* the State of Himachal Pradesh which has already been discussed.

Now, it is important to mention here that the verdict delivered by those courts, especially Nagaland in 2008 and Himachal Pradesh in 2019, needs to be validated by an Act of law which has to be passed from here. Our Law Minister, Mr. Karen Rijiju-ji has rightfully brought this amendment before the House.

I was hearing with rapt attention one of our learned Members speaking very nicely – Shri Bhartruhari Mahtab-ji. I am an ardent fan of his parliamentary deliberations. I mostly agree with what he spoke. About 99 per cent of it, I agree, but there is one per cent where I have a different opinion. He said that the case is not very innocuous; it has got ramification. It is

primarily because we have identified this problem. This Government has identified the problem.

The first step towards solution is the identification of the problem. So, I thank our Law Minister and our Government to identify the issue. The problem and the undoing of the previous Government has to be corrected and this is the reason why this issue has been brought in front of the House. The State of Himachal Pradesh, as rightly discussed, has three courts at Shimla Dharamshala and Mandi vide Notification dated 15.02.2019. The Nagaland State has two Family Courts at Dimapur and Kohima. Basically, this amendment validates those two courts and the Judgements which took place between 2008 in Nagaland and 2019 onwards in Himachal Pradesh.

Chairman, Sir, I have one small answer to make to one of our hon. Members who spoke on behalf of a party which is headed by a woman who happens to be a Chief Minister also. He spoke of women representation not being looked after by our Government. It is just to remind him one thing.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, किसी सदस्य द्वारा रखी गई बात का उत्तर आप मत दीजिए। आप केवल अपनी बात सदन में रखें। The reply will be given only by the hon. Minister.

… (*Interruptions*)

DR. RAJDEEP ROY: Okay, Sir. We have just elected a woman to the highest Constitutional post of the country. This Government is also credited, probably, in the history of Independent India, to have appointed the maximum number of women to the Council of Ministers which is very, very important and in stark contrast with what happened over the last 70 years.

In conclusion, from the perspective of dispute resolution, Family Courts are a step in the right direction, that is, by creating a separate set up, infused with differing procedural requirement than those found in the ordinary court system. The thirst for the preservation of family and protection of gender rights is also important and is being looked after. A family is the foundation of our culture and our civilisation and the preservation of this family unit needs to be looked after. It is also the prime responsibility of our Government.

Therefore, I end with a wholehearted support to the amendment that has been brought in by the Law Minister. Thank you.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति जी, सदन में आज कुटुम्ब न्यायालय विधेयक, 2022 पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व भी वक्ताओं ने एक से एक बढ़कर बात महिलाओं के हित के बारे में और उन पर बढ़ते अत्याचार और उत्पीड़न के बारे में कही है। विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करके विवाह तथा कुटुम्ब मामलों से संबंधित विषयों में सुलह और विवादों का शीघ्र समाधान करने का समर्थन करने के लिए अधिनियमित किया गया था। साथ ही आपने बिंदू संख्या-5 में बताया कि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य में कुटुम्ब न्यायालय अपनी स्थापना की तारीख से कार्य कर रहे हैं और राज्य सरकार के साथ कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को विधि मान्य करना और उसकी व्यावर्ती करना अपेक्षित है इसलिए उस अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

सभापति जी, मैं जिस प्रदेश राजस्थान से आता हूं, दुर्भाग्य है कि महिला अत्याचारों और महिला उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामलों में राजस्थान नम्बर-वन पर हो गया है। आज वहां ज्यादा संख्या में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और वर्तमान सरकार और लम्बे समय से जो व्यवस्था चल रही है, वही उसका कारण है। इस सरकार के साथ-साथ जो लम्बे समय से व्यवस्था राजस्थान में चल रही है, वह इसका सबसे बड़ा कारण है। वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा संसद में कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के माध्यम से पारिवारिक विवाद निपटाने के

लिए अलग से न्यायालय बनाया गया, जिसमें अलग से अपना विवाद रख सकते हैं। परिवार के विवाद भी सिविल न्यायालयों में सालों अटके रहते थे और पक्षकारों को न्याय नहीं मिल पाता था। इस परेशानी से निपटने के उद्देश्य से वर्ष 1984 में यह अधिनियम लाया गया था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1984 के बाद से अब तक कुटुम्ब न्यायालयों में लोगों को समय पर न्याय मिल रहा है या नहीं? इसके लिए आपने क्या समीक्षा की है और क्या स्थिति सामने आई है, क्योंकि इस बिल को लाने के बाद लम्बे अर्से तक निश्चित तौर पर कई चुनौतियां और सुझाव मिले होंगे। आपकी सरकार ने व्यापक सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं, जो कुटुम्ब न्यायालयों में पीड़ितों के लिए लाभकारी बने। मैंने विभिन्न आलेखों में पढ़ा था कि देश के विभिन्न पारिवारिक न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। बहुत ज्यादा समय लोगों को न्याय प्राप्त करने में लग जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि बहुत लम्बा समय लग जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है और यह बहुत चिंताजनक बात है।

सरकार को इस विषय पर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि 11 लाख से अधिक मामले विभिन्न पारिवारिक न्यायालयों में लंबित हैं। घरेलू झगड़ों के अनेक कारण हैं और विशेषज्ञों के अध्ययन की मानें तो पूरी दुनिया का भौतिकवाद की ओर अग्रसर होना भी इसका एक कारण है। ऐसे में कुटुम्ब न्यायालयों में जो मामले आते हैं, उनकी काउंसलिंग करके प्रथम चरण में ही निपटारा कराने की दिशा में कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है।

परामर्शदाताओं और मैरिज काउंसलर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर 3 महीने में मैरिज काउंसलर्स बदले जाते हैं। इस प्रकार यदि मामला 3 महीने से अधिक समय तक चलता है, तो महिला या पीड़ित व्यक्ति को नए परामर्शदाताओं के साथ तालमेल बिठाना तथा अपने कथन को कई बार दोहराना भी पड़ता है।

महोदय, इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव थे। वन स्टॉप सेंटर सहित घरेलू हिंसा को रोकने के लिए विद्यमान प्राधिकरण, लीगल शाखा आदि एक छत के नीचे लायी जानी चाहिए। पुलिस, न्यायालय पीड़िता के लिए कॉमन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जाए, ताकि उनको न्याय मिल सके। पारिवारिक न्यायालयों के काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्टों की संख्या भी बढ़ाई जाए।

महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि पारिवारिक न्यायालयों में समान सिद्धांत के आधार पर अपील के मामलों में फैसला करने में मदद मिलती है। चूंकि पारिवारिक न्यायालय के पास प्रतिबंधात्मक क्षेत्राधिकार होता है, लेकिन अवमानना के मामले पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती, इसलिए लोग पारिवारिक अदालतों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते, जितना कि वे मजिस्ट्रेट या दीवानी अदालत को लेते हैं। कई मामलों में जहां पति याचिकाकर्ता है और उसके विरूद्ध भरण-पोषण के आदेश पारित किए जाते हैं, लेकिन इन आदेशों का उल्लंघन करने के कारण उनके मामले आगे बढ़ते रहते हैं।

महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि महिलाओं को आगे लाने हेतु इतिहास भी गवाह है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कई महिलाओं ने बड़ी लड़ाई लड़ी । राजनीति में भी महिलाओं ने आगे आकर संघर्ष किया। कल द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की नई राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। यह भी इसका एक उदाहरण है कि गरीब, आदिवासी की बेटी देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है, जो सबके लिए सौभाग्य की बात है। ... * … (व्यवधान) क्योंकि आदिवासी, गरीबों की जो पीड़ा थी और जिस तरह की जिंदगी उन्होंने जी है, अपने बेटे खो दिए और जिन परिस्थितियों में वह पली-बढ़ी हैं,... * … (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया बिल पर ही रहें।

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, मुझसे पूर्व कई सांसदों ने बात कही कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्टियां बार-बार बात करती हैं कि महिलाओं को 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। मैं यह मांग करता हूं कि मोदी जी का दिल्ली में जो मंत्रिमंडल है, इसमें महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए। धन्यवाद।

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Hon. Chairperson Sir, thank you for allowing me to speak on such an important Bill. I rise to support the Family Courts (Amendment) Bill, 2022 which will amend the Family Courts Act, 1984.

Sir, if we go back to the history of the family courts, they were created in 1984 to resolve the disputes of marriage and family matters, ensuring speedy justice. The right to get speedy justice is a fundamental right as emphasised by the Supreme Court of India from time to time. The NDA Government, under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, has taken so many measures to uphold this fundamental right under Article 21 of the Constitution of India.

Hon. Chairperson Sir, the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, in a joint conference of Chief Ministers and Chief Justices in April this year, urged for easy and speedy justice. This Bill is in furtherance of his call for speedy justice, and I appreciate this Bill.

Hon. Chairperson Sir, the hon. Prime Minister has suggested the use of technology in the judicial system as an essential part of the Digital India Mission. In the light of our hon. Prime Minister’s call to use technology by courts, I urge the Government to support the Judiciary in serving online notices and conducting the virtual proceedings in family matters.

Our hon. Prime Minister has also recommended the use of local languages in the courts, so that the people of our country feel connected with the judicial process. Our hon. Minister of Law and Justice, Shri Kiren Rijiju Ji is of the opinion that the court cases should be resolved in three years. I really

appreciate that. He is persistently and sincerely working towards making it a reality.

Our family courts have been created to ensure speedy justice but there are over one million pending cases in various family courts in India. If we consider the report of Tamil Nadu, my State, nearly 30,000 families in Tamil Nadu alone are waiting to receive justice through family courts.

So, I request the Government, through you, Sir, to insert a uniform time limit for resolving family disputes across India. There is a time limit for resolving disputes for senior citizens within 90 days as per the Senior Citizens Act, 2007.

So, I request, through you, Sir, that there should be a time limit to resolve family matters, which may also be considered.

India has currently 715 family courts in 26 States and Union Territories. I hope this Bill will certainly help speed up the establishment of family courts in the remaining States and Union Territories. I also request the Government to make it mandatory, through this Bill, for all the States and Union Territories to establish family courts.

With these words, I support this Bill. Thank you.

माननीय सभापति : हनुमान बेनीवाल जी के भाषण में राष्ट्रपति चुनाव,… * शब्द डिलीट कर दिए जाएं।

श्री गोपाल शेट्टी जी।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जैसा मंत्री महोदय जी ने बताया और सभी माननीय सदस्यों ने बताया कि यह छोटा सा बिल है, लेकिन बिल की जो ग्रेविटी है, वह बहुत बड़ी है कि न्यायालय से संबंधित

* Not recorded

विषयों में भी इस प्रकार की कमियाँ रहती हैं और इनको दुरूस्त करने के लिए यह बिल यहाँ पर आया है। मैं अन्य पहलू में न जाते हुए कोर्ट/न्यायालयों में जो प्रकरण इन दिनों चल रहे हैं, लॉ मिनिस्टर भी कहेंगे कि गोपाल शेट्टी बार-बार इस मुद्दे पर आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार इस बात का संकेत दिया है, जो रिजीजू जी ने परसों हाउस में कहा है कि आने वाले दिनों में न्याय प्रक्रिया बहुत सरल हो, लोगों को आसानी से न्याय मिले, रीजनेबल रेट पर न्याय मिले, कम पैसों में न्याय मिले, इस प्रकार की व्यवस्था सभी प्रकार के केसेज में होनी चाहिए। खासकर यह फैमिली कोर्ट से संबंधित जो बिल यहाँ पर आया है, भगवान करे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में है, जब पति-पत्नी की शादी होती है तो सात जन्मों का बंधन लिया जाता है, लेकिन इन दिनों कुछ शादियाँ तो सात महीने, सात वर्ष भी नहीं टिकती हैं और बहुत सारे इस प्रकार के मसले न्यायालय में चले जाते हैं। न्यायालय में केस जाने के बाद इतने लंबे समय तक उसका आर्ग्युमेंट चलता रहता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दी जाती रहती है, लेकिन फैसला आने में बहुत विलंब होता है। दोनों पक्ष, चाहे वह लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, दोनों के घरवाले भी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वे उनके आगे के भविष्य के बारे में कुछ तय नहीं कर पाते हैं। मैं अगर बहुत खुलकर कहूँ तो एक नई मानसिकता भी इन दिनों में विकसित होती जा रही है। यहाँ पर मैं एक केस का उल्लेख करूँ तो दोनों का डिस्प्यूट हो गया और लड़की ने अपने पति को ही घर से बाहर निकाल दिया। उसकी पगार ज्यादा है और उस पगार में से मुझे इतना परसेंटेज मिलना चाहिए। अब पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कचहरी यह सब चल रहा है। दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं, पुरूष से भी गलती होती है, लड़कियों से भी गलती होती है। पहले के जमाने में तो घर-परिवार के लोग बैठकर, कुटुम्ब के लोग बैठकर, समाज के लोग बैठकर, जो गाँव के मुखिया होते हैं, वे सब बैठकर इस प्रकार के मसलों का समाधान खोजते थे, लेकिन अब एक सिस्टम इतना डेवलप हो गया है कि हर बात के लिए हमें न्यायालय में जाना पड़ता है और न्यायालय में जो कमियाँ और खामियाँ हैं, जजेज की कमियाँ हैं, न्यायालय की कमियाँ हैं और समय पर केसों का निपटारा नहीं होता है। इसके कारण बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। मैं लॉ मिनिस्टर से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा, आपको सुनकर बहुत अजूबा लगेगा, लेकिन इसमें दम है, इसमें ताकत है और लोग इसे

स्वीकार करेंगे। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के जो छोटे-छोटे मसले हैं, जिनमें किसी को कोई सजा नहीं होती है, अगर दोनों पक्ष के लोगों से कहेंगे कि आप स्वयं तीन-छह महीने, दोनों तरफ के वकील और दोनों परिवारों के लोग बैठो और इसका फैसला करके अंतिम रूप से कोर्ट में आकर बता दीजिए तो बड़े पैमाने पर इस तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी।

अब एक बार कोर्ट में जाने के बाद, माफ कीजिए कि जो वकील पक्ष के लोग हैं, सब का अपना-अपना व्यवसाय है, जैसे हम लोगों का एक व्यवसाय है, वैसे ही उनका भी व्यवसाय है। केस जितना लम्बा चलेगा, उससे उनका सारा गुजारा चलता रहता है। केस का निपटारा हो, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन हम सब लोगों को मिलकर एक मानसिकता बनानी चाहिए। देश के प्रधान मंत्री जी 'अमृत महोत्सव' के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब सारी समस्याओं का समाधान कोई कायदा बना कर ही होगा, ऐसा किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है और मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं तो मानता हूं कि आउट ऑफ द कोर्ट सारे मामले सैटल हो। बड़े-बड़े मामले जैसे खून, मर्डर हैं, जिसमें लोगों को जेल में जाना पड़ता है। उस प्रकार के सारे मामलों को स्क्रूटीनाइज करके या अलग करके बाकी सारे जो मामले हैं, दोनों पक्ष के वकील लोगों को बैठा कर निपटरा कर लो, ऐसा कहेंगे तो बड़े पैमाने पर इसका समाधान मिलेगा। ऐसा मुझे लगता है।

सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया और मैंने एक अलग विषय को छेड़ा है, इसलिए छेड़ा है कि हमारे जो न्याय मंत्री हैं, वे बहुत ही बारीकी और लगन से इस प्रकार के कामों में दिलचस्पी लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस छोटे से निवेदन को ध्यान में लेकर 15 अगस्त के पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन न्याय मंत्री कोई न कोई समाधान ढूंढेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

भारत माता की जय।

*[*] **SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA):** Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity. I would like to thank our leader Midhun Reddy Garu. I would like to speak in Telugu.

Sir, we have two strong systems in our society, family system and marriage system. Due to various reasons, the family system is getting weak and is on a decline, which is adversely affecting our children who are our future citizens. Especially when marriage system is going out of order, children's' future is in doldrums. As far as this Bill is concerned, this is a very small amendment still it is a very important Bill as far as the States of Nagaland and Himachal Pradesh are concerned.

In Andhra Pradesh, we have 13 districts till now but for administrative convenience, it has been increased to 26. And accordingly, we need 26 family courts. Kakinada, being a District Headquarter and a big district, still family court is being run in the premises of a subordinate court. Till now, permanent court could not be provided for family court. Even after 38 years of setting up of family courts, we are still having more than 12 lakh cases pending which is really unfortunate.

In our country, across Supreme Court to Lower Court, the number of pending cases is 4.7 crores. This is an example of "Justice Delayed is Justice Denied". We have to make this statement, because all sections of our society are not getting justice and are subjected to postponements. As people are not

---

[*] English translation of the Speech originally delivered in Telugu.

getting justice, they are compromising in most of the cases. They may be finding solutions, but they are not getting justice. Therefore, we need to ensure that there are judges appointed in all courts so that we can ensure timely delivery of justice.

Another request which I would like to make to the hon. Minister is that during covid 19 Pandemic, these family courts and courts dealing with domestic violence could not function. But now, when we are out of this pandemic, still cases are being postponed and maintenance and short stay orders are being delayed. Due to this pendency, people are suffering a lot.

In family courts, there are no permanent facilities. Families visit family courts with their children and also elder parents in some cases. They are given time of hearing at 10 am in the morning, but they have to wait till the wee hours of the day. Times have changed, and we have the benefit of information Technology. One hon. Member also stated that the husband may be staying in one State, wife in another State and children in some other State. In such situations, cases can be heard through online mode. If we can have online proceedings of these cases, it will benefit people. As far as children are concerned, there are no public conveniences available in the premises of these courts.

The number of judges and counselors are inadequate in family courts. Counselors do not have complete understanding of family disputes. Therefore, we should have expert counselors in family courts. All basic facilities should be provided in these courts.

People who are having family problems are also facing difficulties while visiting family courts. This is a difficult situation for them. In this context, I have three requests for the hon. Minister.

The DISHA Bill was passed by AP Assembly two years ago and sent to the Union Government for approval. The Home Ministry and Ministry of Women & Child Welfare examined the Bill and now that Bill is with the Ministry of Law. Therefore, that Bill may be approved at the earliest so that it takes the form of law. The DISHA Bill was made as a response to a heinous crime committed on a girl. This Bill ensures punishment to the culprit within 21 days of committing the crime. Therefore, this Bill may be approved at the earliest by the Ministry.

I also request for regional benches of Supreme Court in our country. They should be provided in East, West, North and Southern parts of our country. These regional benches should be set up, because we have 4.7 crore cases pending in our country. People are dying, waiting for justice. Therefore, for speedy justice we need to set up these regional benches.

If we look at women's reservation, in High Courts 11.5 per cent are women judges, in Lower Courts it is 30 per cent and in Supreme Court, we have only four women out of 33 Judges. Special interest should be taken to provide suitable representation for women Judges so that they are encouraged to take up this profession.

Lastly, this is pertaining to law professionals - as a lawyer, I would like to mention about junior lawyers. In Andhra Pradesh in 2019, "YSR Law Nestam" Scheme was introduced. Junior lawyers or pleaders can register their names

under this Scheme. They will be provided with a stipend of Rs. 5,000 per month for three years. This Scheme was introduced by our Chief Minister Shri YS Jagan Mohan Reddy. In similar lines, the Union Government should provide financial assistance to junior lawyers so that they can practice law well.

In family courts there are more than 12 lakh cases pending even after 38 years, so for speedy delivery we need to make arrangements. In Kakinada also, there should be permanent Family Court; and in Andhra Pradesh, we need permanent family courts in all 26 districts.

I thank you for giving me this opportunity.

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, 14 सितंबर, 1984 को जब हमने द फैमली कोर्ट्स एक्ट बनाया, तब उसका मकसद यह था कि हम कंसीलिएशन के ज़रिए, यानी बातचीत के ज़रिए, समझौते के ज़रिए मामलों को निपटा सकें। यह एक्ट सन् 1984 में बनाया गया था, आज तकरीबन 40 सालों के बाद अगर हम सब यह सवाल अपने आप से करें कि क्या यह एक्ट बनने के बाद, इस एक्ट के ज़रिए फैमली कोर्ट्स में जितने भी मामले आए हैं, उनको इंसाफ दिलाने में हम कामयाब हुए हैं तो दुर्भाग्यवश मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा जवाब नहीं में होगा। वरना आज 40 सालों के बाद करीब 12 लाख फैमली कोर्ट के मैटर्स हैं, वे अदालतों के अंदर इंसाफ का इंतज़ार नहीं कर रहे होते। एक्ट बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक्ट बनाने के बाद उसका इम्पिलिमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह भी इस सदन की ज़िम्मेदारी है कि इसके ऊपर नज़र रखी जाए। वर्ना एक्ट तो बन गया, लेकिन आज क्या वजह है कि इस 130 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर महज़ 715 फैमली कोर्ट्स चलाए जा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात के ऊपर आकर्षित करना चाहूंगा कि फैमिली कोर्ट का मतलब सिर्फ पति-पत्नी के बीच विवाद नहीं है कि बच्चा किसके कब्ज़े में जाएगा, बच्ची किसके कब्ज़े में जाएगी, एलिमनी का अमाउंट कितना होगा, वह कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, घर

किसके कब्ज़े में जाएगा, किसके हिस्से में जाएगा, फैमिली कोर्ट का मतलब हम सिर्फ यही समझते हैं और बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इन्हीं बातों का उदाहरण दिया है।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करना चाहूंगा कि हम एक ऐसे समाज के अन्दर रहते हैं जहां हम एक नई संस्कृति को देख रहे हैं कि हमारे बूढ़े माँ-बाप, जिन्होंने हमें पाल-पोस कर बड़ा किया है और जब वे बूढ़े हो जा रहे हैं, तो इस देश के अन्दर बहुत सारे ओल्ड-एज होम्स खोले जा रहे हैं, वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। क्या इनके लिए कोई कानून है कि जिन माँ-बाप ने अपने बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा किया है और जब वे बूढ़े हो गए, बच्चे की शादी हो गई तो बहू को माँ-बाप पसन्द नहीं आ रहे हैं, अपने सास-ससुर पसन्द नहीं आ रहे हैं। बेटा अपने माँ-बाप को बोझ समझ रहा है और एक दिन दोनों बेटे-बहू अपने बूढ़े माँ-बाप को उठाते हैं, ले जाते हैं और जिस तरह घर का कचरा उठा कर हम बाहर फेंक देते हैं, तो हम उन्हें ओल्ड-एज होम में ले जाकर छोड़ रहे हैं।

मैं तमाम सदस्यों से हाथ जोड़ कर विनती करना चाहूंगा। मैं भी दिवाली के वक्त मेरे चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद के एक ओल्ड-एज होम में गया था। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि एक रिटायर्ड जज वहां उस ओल्ड-एज होम में थे। मुझे यकीन नहीं हुआ। जब मैंने उसका नाम सुना कि उसके बेटे के पास इतना बड़ा घर है, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब है कि माँ-बाप को पाल नहीं सकते हैं, लेकिन एक रिटायर्ड जज को भी उस ओल्ड-एज होम में जब हमने देखा तब समझ में आया कि यह समाज कहाँ जा रहा है। फैमिली कोर्ट के जरिए ऐसे लोगों के लिए क्या कानून होना चाहिए?

पति-पत्नी के बीच विवाद तो ज़िन्दगी भर चलता रहेगा, इन्हें इन्साफ मिलना चाहिए, लेकिन वे बूढ़े माँ-बाप कहां जाएंगे? फैमिली कोर्ट के अन्दर कुछ ऐसा सेक्शन लाया जाए कि जो बेटा अपने माँ-बाप को कूड़ेदान समझकर, कचरा समझकर ओल्ड-एज होम में डाल रहा है, अख़बार के अन्दर उसे अपनी तस्वीर के साथ एक नोटिफिकेशन देना होगा कि मैं अपने माँ-बाप को ओल्ड-एज होम में डाल रहा हूं। ऐसे बच्चों को समाज के सामने हमें खड़ा करने की जरूरत है। ऐसे कानून लाइए वरना वे बूढ़े माँ-बाप, जो रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई कानून नहीं है।

उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने बच्चों को पाला-पोसा, बड़ा किया । पूना में किसी ओल्ड-एज होम के अन्दर जाइए । ज्यादातर उस परिवार के बूढ़े माँ-बाप मिलेंगे, जिनके बच्चे इंजीनियर हो गए । इंजीनियर होने के बाद वे यू.एस.ए. में पैसा कमाने गए । वे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन माँ-बाप के लिए एक कमरे का घर नहीं है तो उन्हें ओल्ड-एज होम में ले जाकर छोड़ रहे हैं। यह संस्कृति हम डेवलप कर रहे हैं।

मंत्री जी, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा कानून इन लोगों के लिए भी लेकर आइए जो बच्चे अपने माँ-बाप को आज यहाँ पर ले जाकर छोड़ रहे हैं। मैं मंत्री जी से एक सवाल करना चाहूंगा । अदालतें तो बन जाएंगी । आप फैमिली कोर्ट का यह जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, यह सिर्फ हिमाचल प्रदेश और नागालैण्ड से ताल्लुक रखता है । बहुत सारे सम्माननीय सदस्य ने यही कहा है कि 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ।' नागालैण्ड का एक्ट कब बना था? नागालैण्ड का एक्ट वर्ष 2008 में बना । अगर यहीं पर हम इतना डिले कर रहे हैं कि पुराने फैसले, जो बिना पार्लियामेंट के पास किए गए, आज अगर इतने सालों के बाद हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं कि नागालैण्ड में वर्ष 2008 के बाद जजेज ने जितने भी फैसले दिए हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से हम इसे आज पास कर रहे हैं यानी कि अगर गलती हमारे पास से ही हो रही है तो हम उन अदालतों से कैसे इंसाफ की गुहार लगाएंगे? अदालतें, एक्ट बनाना बहुत आसान है।

मंत्री जी, आप कुछ दिन पहले औरंगाबाद आए थे। वहां पर आपको लॉयर्स एसोसिएशन ने एक मैमोरैण्डम दिया। अगर सिर्फ महाराष्ट्र की अदालतों की बात करते हैं तो हाई कोर्ट जजेज के 91 पोस्ट्स सैंक्शंड हैं । आप वैकेन्सी देख लीजिएगा कि उसमें से महज 56 जजेज हैं यानी कि तकरीबन 40 प्रतिशत वैकेन्सीज़ हैं।

अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। जब हाई कोर्ट के जजेज अप्वाइंट किए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इसे डिसाइड करता है । सुप्रीम कोर्ट की पूरी कॉलेजियम ने अपना रिकमेंडेशन दे चुका है, लेकिन क्या वजह है कि सरकार ने इसे इतने सालों से रोक रखा है? सभी लोग कह रहे हैं कि अगर पेंडिंग केसेस हैं तो सरकार की क्या मजबूरी है कि हाई कोर्ट के जजेज और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम रिकमेंडेशन भेज चुका है तो सरकार क्यों रोक रही है? हम भी

जानते हैं, विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि क्यों रोका जा रहा है? आज जब आप जवाब देंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इन फैमिली कोर्ट्स के अलावा, क्योंकि आज आप अपने आँकड़ों के जरिए पास कर लेंगे, लेकिन सिर्फ इमारत बनाने से इंसाफ नहीं मिलेगा। उस इमारत के अंदर उस कुर्सी के ऊपर बैठने वाले, यह सदन कोई मायने नहीं रखता अगर स्पीकर की कुर्सी खाली रहे, स्पीकर की कुर्सी जितनी महत्वपूर्ण इस सदन के लिए है, उसी तरह अदालतों के अंदर जजेज की कुर्सी भी बहुत मायने रखती है।

अगर आप यह मानेंगे कि इतने करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, तो कौन उसका निपटारा करेगा, इसे आप ही करेंगे। मंत्री जी, इसे आप ही को करना है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम महाराष्ट्र के अपने जजेज का रिकमेंड कर दिया है तो सरकार उसे क्यों रोक रही है? इसका जवाब भी आपको देने की जरुरत है।

आप ट्रिपल तलाक का कानून लेकर आए थे। इसके जरिए यह भी फैमिली कोर्ट का मैटर है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उस वक्त जब ट्रिपल तलाक का मामला आया था तो बहुत सारे लोगों ने चीख-चीख कर कहा था कि हमें मुस्लिम बहनों के साथ इंसाफ करने की जरुरत है। आज वह फैमिली भी आपसे पूछना चाहती है, आपने यह एक्ट अपने आँकड़ों के जरिए बनाया। हमारे विरोध होने के बावजूद आपने एक्ट बनाया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप यह बताएं कि एक्ट बनने के बाद कितनी मुस्लिम बहनों को आपने इंसाफ देने का काम किया है? यह मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद ।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): जिस विषय को माननीय मंत्री जी ने कहा कि छोटा है और जिस प्रकार से सदन में विषय आ रहे हैं, खासियत तो यह है कि अभी यहाँ डेढ़-दो सौ लोग बैठे हैं। हम उस निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे देश के सवा सौ करोड़ लोग इस बात को स्वीकार करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को तब से बैठकर देख रहा हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि देश में कई निर्णय होते हैं। यदि पूर्वोत्तर का व्यक्ति, श्री किरेन रिजीजू भारत का लॉ मिनिस्टर हो, शायद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूर्वोत्तर का कोई व्यक्ति इतनी बड़ी कुर्सी पर हो। यही इस बात के

इंक्लूसिवनेस को दर्शाता है कि किस प्रकार से हम इस सदन में बहस करते हैं, बात करते हैं और अपने विषयों को रखते हैं।

15.58 hrs (Shri A. Raja *in the Chair*)

महोदय, उन्होंने बूढ़े माँ-बाप की जो बात कही, सचमुच वह एक विषय है, जो फैमिली कोर्ट में है। सौभाग्य से, 36 साल पहले पटना के उच्च न्यायालय में वकील के रूप में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था। तब मैंने समझा कि एक तरफ कानून बनाने वाला व्यक्ति जब कोर्ट में पेश होकर इन सब चीजों पर दलील रखता है, तो कानून बनाना, फिर उसको लागू करना और लोकतंत्र के तीसरे हिस्से एक्जिक्यूटिव उस पर कार्रवाई करे, कितना बड़ा एक मैट्रिक्स है, जो देश का यह लोकतंत्र है। इसके हम सब संरक्षक हैं, हम सब ताकत हैं और इस काम को लेकर चलेंगे।

मैं तब से यह बात सुन रहा था, लेकिन इसमें मेरा एक छोटा-सा ऑब्जर्वेशन है। कहीं-न-कहीं हम सब इस बात को मानते हैं कि महिलाओं के साथ त्रासदी रहती है, प्रताड़ना रहती है। लेकिन, फैमिली कोर्ट सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। मैं तब से सुन रहा हूँ, यह मर्दों के लिए भी है और उन बच्चों के लिए भी है, उनके माँ-बाप के लिए भी है, यह सब के लिए है। यह ठीक है, हमारे मित्र ने यहाँ कहा कि यह महिलाओं के लिए है। हम सब जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से इस बात की चर्चा होती रही है कि महिलाओं के साथ जो प्रताड़ना रही है, उसके कारण यह निर्णय हुआ और वर्ष 2022 में हम इसमें संशोधन कर रहे हैं। यह नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के उस विषय को सुधारने के लिए है। देश में मूलत: 715 फैमिली कोर्ट्स हैं। इसकी जरुरत है, माननीय मंत्री जी और हम सब लोग अपनी-अपनी राज्य सरकार को कहें कि इसका महत्व है और अधिक से अधिक कोर्ट बने। सवा सौ करोड़ देशवासियों के लिए यह बहुत जरूरी है, लेकिन यह विषय बहुत नया नहीं है।

16.00 hrs

It was in the 18th Century, जब कोर्ट में रिलीजियस डिवोर्सेज़ इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो 1800 ईसवी में इसका गठन आज से लगभग दो साल पहले किया गया। अमेरिका में भी इस कोर्ट की स्थापना वर्ष 1900 में हुई। इसका इतिहास तो है, लेकिन हमारे यहां जब लॉ

कमीशन ने 59वें प्रतिवेदन को वर्ष 1974 में दिया और इसके पश्चात जो Committee for Status of Women वर्ष 1975 में दिया, तो हम लोगों ने सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया। उसके पश्चात हम लोग यह एक्ट यहां लाये। It is a unique process for settlement of disputes. महोदय, हमारे एक मित्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेज़ हैं। उत्तर प्रदेश अगर अपने आपमें एक देश होता तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता। सेलेक्टवली कभी किसी राज्य को अगर आप इंगित करते हैं तो यह चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में जो बहुमत प्राप्त हुआ है, चाहे योगी जी हों, प्रधान मंत्री जी हों, उन्होंने ऐसी सरकार दी कि लोगों की आस्था जगी और बड़ी बहुमत के साथ जीतकर आए।

पार्लियामेंट के भाषण में कोई एक राज्य को उल्लेखित करता है तो वह उचित नहीं है। हर राज्य अपनी लिमिटेशंस के साथ काम करने का प्रयास करता है। मैं समझता हूं कि देश में सबसे ज्यादा फेमिली कोर्ट्स अगर कहीं स्थापित किए गए हैं तो वे मूलत: उत्तर प्रदेश में हैं।

पूरी दुनिया में डिवोर्स की क्या पोजीशन है, चाहे वह कस्टडी के लिए, एडॉप्शन इत्यादि के लिए हो? हमारे यहां जब इस प्रकार का फेमिली डिस्प्यूट जाता है तो भारत का जो औसत है, उसमें पांच वर्ष लग जाते हैं। स्वाभाविक है, डिस्प्यूट्स को सैटल करने में वक्त लगता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर मामले को आगे लेकर चले जाएं तो वह लंबी अवधि के लिए खिंच जाता है। एक बड़ी खुशी की बात है। भारत बहुत ही बड़ा देश है। अगर आप दुनिया की तुलना में देखेंगे, तो हमारी जो परम्पराएं हैं, हमारा जो परिवार है, जिस प्रकार से हम परिवार को लेकर चलते हैं, लग्जमबर्ग में डिवार्स के रेट्स 87 फीसदी हैं, अमेरिका में डिवोर्स के रेट्स 46 प्रतिशत हैं, रशिया में डिवोर्स का रेट 51 पर्सेंट है और स्पेन में डिवोर्स का रेट 65 पर्सेंट है और भारत में सिर्फ 1 प्रतिशत है। मैं समझता हूं कि हमारी जो परम्पराएं हैं, हमारा जो देश है, हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारे घर में हम आज भी बहुत बेहतर हैं। इस परिस्थिति में भी इस विषय को हम आगे लेकर चलना चाह रहे हैं।

महोदय, यह भी देखा गया है कि जो बहुत विकसित राज्य हैं, वहां डिवोर्सेज़ या फैमिली डिस्प्यूट्स की संख्या, चाहे वह गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, थोड़ा सा

यह देखा गया है कि जहां विकास अधिक है, वहां यह ज्यादा है। … (व्यवधान) महाराष्ट्र ज्यादा है, यह हमने कह ही दिया है। यह बड़ा चिंता का विषय है कि विकास के साथ यह डिसरप्शंस आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डेवलप्ड इकॉनामीज़ में family as a unit survive बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है। यह बहुत बड़ा एक विषय है।

मैं एक और विषय लाना चाहूंगा और इसमें माननीय मंत्री जी से थोड़ी सी भिन्नता भी लाना चाहूंगा। फैमिली डिस्प्यूट्स के सैटलमेंट का रिजोल्यूशन बहुत ही बढ़िया है। हम लोगों ने उसका पूरा प्रोसेस डिफाइन कर रखा है। डाउरी एक्ट के तहत, अगर महिलाओं के साथ अपराध होता है, आपराधिक वारदात होती है, तो उसमें कानून अपना कदम उठाए। लेकिन यह भी इस भारतवर्ष में देखने में आया है कि जो मर्दों का अधिकार है, उसकी चर्चा कई बार नहीं हो पाती है और डाउरी एक्ट के तहत बूढ़े मां-बाप को इसमें फंसाना, परिवार के एक दर्जन लोगों को फंसाना और फिर कोर्ट में वर्षों तक वह चलता रहता है। सरकार मेहनत करके अधिक से अधिक फैमिली कोर्ट्स बनाये और काउंसलिंग करे। मैं जानता हूं कि महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है, लेकिन कई बार इसका दुरुपयोग डाउरी एक्ट के तहत हुआ है। यह हम सबके प्रकाश में आता है। इस पर भी विचार करना चाहिए। महिलाओं का 90 प्रतिशत अधिकार हो, तो भारत में कम से कम 10 प्रतिशत मर्दों के भी अधिकार को कई बार स्वीकार करना चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं। हमारी महिला बहनें पीछे बैठी हुई हैं। कई बार जो घटनायें हमारे सामने आती हैं, उससे हम सब लोग काफी परेशान होते हैं। हमको लगता है कि यह नाजायज हो रहा है। पुरुष के घर में उसके अपने मां-बाप भी होते हैं। कई बार इस प्रकार के माहौल में वे लपेट में आ जाते हैं। इस प्रताड़ना से बचाने के लिए सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय सभापति: आपने मुझे फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट्स बिल, 2022 पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। बेसिकली फैमिली कोर्ट्स में जो केसेज जाते हैं, वे ज्यादातर सेटलमेंट के लिए जाते हैं। वहां आने से पहले परामर्श के जरिए काउन्सलर्स हसबैंड-वाइफ के बीच सुलह कराने की कोशिश करते हैं। आज हम यहां ऐसे बिल पर डिसकस कर

रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जहां हम सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, वहां हमें अपने गिरेहबान में झांक कर देखना चाहिए।

सभापति महोदय, सेटलमेंट तो आप हाउस में भी नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर विपक्ष की बेंचेंज खाली हैं, अगर यह परामर्श, सेटलमेंट, अच्छी नीयत और सबको साथ लेकर इस बिल को पास करते और इसमें सभी के व्यूज आते तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन हम अपने हाउस के अंदर भी सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, यह कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है।

मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्यों हुआ और क्या हुआ? हर सदस्य का अधिकार है कि वह चर्चा की मांग करे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए था। अगर विपक्ष महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहा है तो उनको सुनना चाहिए, सस्पेन्शन वापस लेना चाहिए। मेरी सरकार से अपील है कि जिन साथियों को यहां से सस्पेंड किया है, उनका सस्पेंशन वापस ले, मेरा पीठ से यह आग्रह है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please confine yourself to the Bill.

कुंवर दानिश अली : सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम यहां चर्चा के लिए आते हैं, यह हाउस चले। आप जानते हैं कि लाखों की तादाद में केसेज कोर्ट के अंदर पेन्डिंग हैं। यहां पर कानून मंत्री जी बैठे हैं। मैं इस बिल पर बोलने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि कोर्ट का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत कमी है।

मेरा अमरोहा लोक सभा क्षेत्र में हापुड जिला आता है और 40 प्रतिशत मेरा क्षेत्र हापुड़ जिले में है। अभी आसन पर राजेन्द्र अग्रवाल जी बैठे थे, उनका भी वही जिला है। मैं कानून मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वर्ष 2011 में हापुड़ जिला बना, लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वहां बिल्डिंग नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पांच जगहों पर चल रहा है। हम सस्ता न्याय दिलाने की बात करते हैं। वहां 32 एकड़ जमीन एक्वायर हो चुकी है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उस पर चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन पैसा सरकार नहीं दे रही है। हापुड़ जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाने के लिए सरकार से ही सरकार को जमीन खरीदनी है, लेकिन सरकार जमीन के लिए पैसा नहीं दे रही

है। यह कहां का न्याय है? हम सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की बात बहुत करते हैं, लेकिन धरातल पर ठीक इसके विपरीत हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय कानून मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हापुड़ जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नई बिल्डिंग बनाने में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर इसे जल्द से जल्द दूर कराएं।

यहां एक चीज और हो रही है, जिसे मैं पिछले कई सेशन से देख रहा हूं। सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कानून लाना शुरू कर दिया है। पिछले सेशन में नारकोटिक्स का एक बिल आया था, उसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था। आज फैमिली कोर्ट का बिल आया है, उसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। कल को कुछ और ऐसे बिल कानून न बनने लगे कि आप यहां पर प्लेकार्ड लेकर खड़े थे, विजय चौक पर धरना दे रहे थे, इसलिए नया कानून बन गया, इसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो जाए।

यह बहुत सीरियस इश्यू है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को जागरुक रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में फरवरी, 2019 में फैमिली कोर्ट बना दिया तो उसके नोटिफिकेशन के लिए क्या भारत सरकार का कानून मंत्रालय सोता रहा? उसका नोटिफिकेशन नहीं किया, यह किसकी जिम्मेदारी थी? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या मंत्री जी और सरकार इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? जब वह अपना जवाब दें तो बताएं।

मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यही कहूंगा कि मेरे से पहले महताब जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि यह सिविल मैटर है। फैमिली कोर्ट में सिविल मैटर्स डिसकस होते हैं। जाहिर सी बात है कि फैमिली डिस्पयूट्स सिविल मैटर्स हैं। इस देश की बदकिस्मती है, इस देश की माइनोरिटी कम्युनिटी की बदकिस्मती है कि जो फैमिली मैटर्स सिविल मैटर्स थे, इस सरकार ने एक कम्युनिटी के फैमिली मैटर्स को क्रिमिनल मैटर्स बनाने का काम वर्ष 2019 में इसी सदन में पास किया था और नारा दिया था कि हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी महिलाओं को आपने न्याय दिलाया है? आज देश भर में कितनी महिलाओं के घर बगैर नोटिस के तोड़े जा रहे हैं। क्या आप इस देश के अंदर यही न्याय दिलाना चाहते हैं?

सभापति महोदय, मैं उम्मीद करूंगा कि जब कानून मंत्री जी यहां खड़े होकर जवाब देंगे, खास तौर से उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग और वहां की जगह का जो इश्यू है, उसका संज्ञान लेते हुए जवाब देंगे। आप उसके लिए कुछ करें। उत्तर प्रदेश खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां से हम आते हैं, वहां के लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि उनको न्याय मांगने के लिए 800 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बीजेपी के लोगों ने … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please confine yourself to the merits and demerits of the Bill.

… (*Interruptions*)

KUNWAR DANISH ALI: Sir, I am concluding. … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do not jump over any other issues. It will invite controversy.

… (*Interruptions*)

कुंवर दानिश अली : मेरी यही दरख्वास्त है। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा अपने मेनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश में भाषणों में, आंदोलनों में कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बैंच लाएंगे। सरकार को 60 साल हो गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच मेरठ, मुरादाबाद में क्यों गठित नहीं की गई? क्या सरकार इसके प्रति कुछ काम कर रही है?

मैं चाहूंगा कि कानून मंत्री जी जब रिप्लाई करेंगे तो इसका संज्ञान लें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बैंच स्थापित की जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया।

[کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے فیملی کورٹ امینڈمینٹ بِل 2022 پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بنیادی طور پر فیملی کورٹ میں جو کیسز جاتے ہیں، وہ زیادہ تر سیٹلمینٹ کے لئے جاتے ہیں۔ وہاں آنے سے پہلے مشورہ کے ذریعہ کاؤنسلرس شوہر اور بیوی کے بیچ صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں ایسے بِل پر بحث

کر رہے ہیں، لیکن بد قسمتی اس بات کی ہے جہاں ہم سیٹلمینٹ کے لئے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہئیے۔

چیرمین صاحب، سیٹلمینٹ تو آپ ہاؤس میں بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہاں پر اپوزیشن کی بینچز خالی ہیں، اگریہ مشورہ، سیٹلمینٹ، اچھی نیت اور سب کو ساتھ لیکر اس بِل کو پاس کراتے اور اس میں سبھی کے وییوز آتے تو بہت زیادہ اچھا رہتا۔ لیکن ہم اپنے ہاؤس کے اندر بھی سب کو ساتھ لیکر نہیں چل پا رہے ہیں، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔

میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کیوں ہوا اور کیا ہوا۔ ہر ممبر کا حق ہے کہ وہ چرچا کی مانگ کرے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہئیے تھا۔ اگر اپوزیشن مہنگائی پر چرچا کی مانگ کر رہا ہے تو ان کو سُننا چاہئیے۔ سسپینشن واپس لینا چاہئیے۔ میری سرکار سے اپیل ہے کہ جن ساتھیوں کو یہاں سے سسپینڈ کیا ہے، ان کا سسپینشن واپس لیں، میری چیر سے یہی گزارش ہے (مداخلت)۔

چیرمین صاحب، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم یہاں چرچا کے لئے آتے ہیں، یہ ہاؤس چلے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں کیسز کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ یہاں وزیرِ قانون بھی بیٹھے ہیں۔ میں اس بِل پر بولنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کورٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں بہت کمی ہے۔

میرے امروہہ پارلیمانہ حلقہ میں ہاپوڑ ضلع آتا ہے، 40 فیصد میرا حلقہ ہاپوڑ ضلع میں ہے۔ ابھی چیر پر راجیندر اگروال جی بیٹھے تھے، ان کا بھی وہی ضلع ہے۔ میں وزیرِ قانون سے کہنا چاہوں گا کہ سال 2011 ہاپوڑ ضلع بنا، لیکن آج تک ڈسٹرکٹ کورٹ کے لئے وہاں بلڈنگ نہیں ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ پانچ جگہوں پر چل رہا ہے۔ ہم سستا انصاف دلانے کی بات کرتے ہیں۔ وہاں 32

ایکڑ زمین ایکوائر ہو چکی ہے، میں آپ سے ذاتی طور پر مل کر اس پر چرچا کرنا چاہوں گا، لیکن پیسہ سرکار نہیں دے رہی ہے۔ ہاپوڑ ضلع میں ڈسٹرکٹ کورٹ بنانے کے لئے سرکار سے ہی سرکار کو زمین خریدنی ہے، لیکن سرکار زمین کے لئے پیسہ نہیں دے رہی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم سستا اور سلبھ انصاف دلانے کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن زمینی سطح پر ٹھیک اس کے خلاف ہو رہا ہے۔

میں آپ کے ذریعہ سے وزیرِ قانون صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہاپوڑ ڈسٹرکٹ کورٹ کی نئی بلڈنگ بنانے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رُکاوٹوں کو اتر پردیش سرکار سے ملک کر جلد سے جلد دور کرائیں۔

یہاں ایک چیز اور ہو رہی ہے، جسے میں پچھلے کئی سیشن سے دیکھ رہا ہوں سرکار نے ریٹروسپیکٹیو ڈیٹ سے قانون لانا شروع کر دیا ہے۔ پچھلے سیشن میں نارکوٹِکس کا ایک بِل آیا تھا، اس میں بھی ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے۔ کل کو کچھ اور ایسے بِل قانون نہ بننے لگے کہ آپ یہاں پر پلے کارڈ لیکر کھڑے تھے وِجے چوک پر دھرنا دے رہے تھے، اس لئے نیا قانون بن گیا ہے، اس میں بھی ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہو جائے۔ یہ بہت سیریس ایشیو ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کو جاگرُک رہنا چاہئیے۔ ہماچل پردیش میں فروری2019 میں فیملی کورٹ بنا دیا تو اس کے نوٹیفِکیشن کے لئے کیا بھارت سرکار کی وزارتِ قانون سوتی رہی؟ اس کا نوٹیفِکیشن نہیں کیا، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا منتری جی اور سرکار اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ جب وہ اپنا جواب دیں تو بتائیں۔

میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے یہی کہوں گا کہ مجھ سے پہلے مہتاب جی بول رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سِوِل میٹر ہے۔ فیملی کورٹ میں سِوِل میٹرس ڈِسکس ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فیملی ڈِسپیوٹس سِوِل میٹر ہیں۔

اس ملک کی بدقسمتی ہے، اس ملک کے اقلیتوں کی بدقسمتی ہے کہ جو فیملی میٹرس سِوِل میٹرس تھے اس سرکار نےایک کمیونیٹی کے فیملی میٹرس کو کریمِنل میٹرس بنانے کا کام سال 2019 میں اسی ایوان میں پاس کیا تھا اور نارہ دیا تھا کہ ہم مسلم خواتین کو انصاف دلانا چاہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی خواتین کو آپ نے انصاف دلایا ہے؟ آج کتنی خواتین کے گھر بغیر نوٹس کے توڑے جا رہے ہیں۔ کیا آپ اس ملک کے اندر یہی انصاف دلانا چاہتے ہیں؟

محترم چیرمین صاحب، میں امید کروں گا کہ جب وزیرِ قانون یہاں کھڑے ہو کر جواب دیں گے خاص طور سے اتر پردیش کے ہاپوڑ ضلع میں ڈسٹرکٹ کورٹ کی بلڈنگ اور وہاں کی جگہ کا جو ایشو ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جواب دیں گے۔ آپ اس کے لئے کچھ کریں۔ اتر پردیش خاص طور سے مغربی اتر پردیش جہاں سے ہم آتے ہیں، وہاں کے لوگوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو انصاف مانگنے کے لئے 800 کلو میٹر دور جانا پڑتا ہے۔ بی-جے-پی- کو لوگوں نے (ّمداخلت)۔۔

میری یہی درخواست ہے کہ اس سرکار نے بھارتیہ جنتا پارٹی نے باقائدہ اپنے مینی فیسٹو میں اتر پردیش میں بھاشنوں میں، آندولنوں میں کہا تھا کہ مغربی اتر پردیش کے اندر ہائی کورٹ کی بینچ لائیں گے۔ سرکار کو 60 سال ہو گئے، مغربی اتر پردیش میں ہائی کورٹ کی بینچ میرٹھ، مرادآباد میں کیوں گٹھِت نہیں کی گئی؟ کیا سرکار اس کے لئے کچھ کام کر رہی ہے؟

میں چاہتا ہوں کہ جب وزیرِ قانون جواب دیں گے تو اس بات کو دھیان میں لیں کہ مغربی اتر پردیش میں ہائی کورٹ بینچ قائم کی جائے ۔ بہت بہت شکریہ ۔۔

(ختم شد)]

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कानून मंत्री जी द्वारा लाए गए इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अभी अपोजिशन के दो-चार लोग रेट्रोस्पेक्टिव कानून की बात कर रहे थे। महंगाई, ईडी, सीबीआई पर जांच की बात कर रहे थे कि इस पर डिसकशन होनी चाहिए।

चेयरमैन साहब, आप चेयर पर बैठे हुए हैं। डीएमके पार्टी कांग्रेस का साथ दे रही थी। ईडी और सीबीआई का केस हमारी सरकार ने ...* ऊपर नहीं किया है।

HON. CHAIRPERSON: You should not attribute political motive to the Chair.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : मैंने डीएमके के लिए कहा है, आपके लिए नहीं कहा है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No. Any person sitting in the Chair will not have political entity or political colour.

… (*Interruptions*)

DR. NISHIKANT DUBEY: I am sorry. … (*Interruptions*) मैंने डीएमके पार्टी के लिए कहा, डीएमके पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे रही थी। डीएमके के कुछ लोग जो जेल गए, कांग्रेस पार्टी ने ईडी और सीबीआई लगाया, हमने नहीं लगाया । ईडी और सीबीआई का किसने दुरुपयोग किया? यदि अपोजिशन चर्चा कराना चाहती है तो हम तैयार हैं। … (व्यवधान) अब मेरी बात सुन लो। … (व्यवधान) रेस्ट्रोस्पेक्टिव कानून की बात यदि बहुजन समाज पार्टी करती है तो शोभा नहीं देता है। अनुच्छेद 370 इस देश में लगा हुआ था। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं था। जिस चीज के लिए, जिस मुद्दे के लिए बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ, वह जिस शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट के लिए लड़ रही है, आजादी के 75 साल बाद भी यदि जम्मू-कश्मीर के शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं था, तब कहां गई थी आपकी आवाज़?

---

* Not recorded

यदि आज हमारे प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी और कानून मंत्री जी ने धारा 370 खत्म करके शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को राइट दिया तो क्या यह रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है? क्या आपको इसका समर्थन नहीं करना चाहिए? … (व्यवधान) जिस सरकार को बहुजन समाज पार्टी वर्ष 2011 में समर्थन दे रही थी, जिस सरकार को डीएमके समर्थन दे रही थी, उसने वर्ष 2011 में वोडाफोन के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव पलट दिया। उसका खामियाजा आज भी भारत सरकार भुगत रही है। करिए आप और भोगे हम। यदि आप बहस करना चाहते हैं तो मैं सभी विषयों पर बहस कर सकता हूं। मैं बिल से आगे नहीं जाना चाहता हूं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Are you yielding?

डॉ. निशिकांत दुबे : आप बोलिए।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति महोदय, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा दलितों, शोषितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है। जम्मू-कश्मीर में दलितों, शोषितों और पिछड़ों को लेकर समर्थन की जो बात हुई है, वह हमारे पार्टी के जो आइडियोलॉग हैं, उनका भी यही कहना था। हम कभी उससे पीछे नहीं हटे हैं। यहां यह बोलना बिल्कुल गलत है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No more arguments, please take your seat.

… (*Interruptions*) …*

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Dr. Nishikant Dubey.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, 75 साल में जब माननीय मोदी जी ने यह फैसला किया, तभी आपको याद आया ? … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Dubey, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded

HON. CHAIRPERSON: We are discussing a very important law. Please confine yourself to the merits and demerits of the Bill.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, मैं मेरिट पर ही आ रहा हूं। यह चर्चा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गयी। इसलिए, इसको सेटल करना बहुत जरूरी था।

सवाल यह है कि आज यह कानून आया है। आज नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के लिए भारत सरकार कानून लेकर आई है। यदि धारा 370 नहीं रहती, जो मुख्य विषय है तो जम्मू-कश्मीर के लिए भी इसी तरह से रेट्रोस्पेक्टिव कानून बनाना पड़ता। आज आपको भारत सरकार को, माननीय प्रधान मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और लॉ मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम एक कानून हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ जम्मू-कश्मीर नहीं है।

दूसरा सवाल यह है कि फैमिली कोर्ट के दायरे को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए सभी लोगों ने कहा है। हमारे मित्र रूडी जी, जलील साहब और दानिश अली साहब ने भी इसके बारे में कहा। यह फैक्ट है कि भारत की जो यंग पॉपुलेशन है, वह वर्ष 2040 में दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट जेनरेशन होने वाली है। जो बूढ़े-पुराने लोगों के साथ डिस्प्यूट बढ़ रहा है, समाज में जो वैमनस्यता बढ़ रही है, जो अपने माँ-बाप और दादा-दादी को नहीं देखते हैं, उसके लिए फैमिली कोर्ट के दायरे को बढ़ाने का सवाल है। लेकिन, सवाल यह है कि दुनिया को देखते हुए, जिस चीज के लिए रूडी जी कह रहे थे कि कहीं 65 परसेंट डायवोर्स है, कहीं 51 परसेंट डायवोर्स है, लेकिन भारत में एक परसेंट डायवोर्स है। लेकिन, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हम जिन देशों के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं, वे तुलना के लायक ही नहीं हैं। किसी की पॉपुलेशन 30 लाख है, किसी की एक करोड़ है, किसी की डेढ़ करोड़ है, किसी की तीन करोड़ है, लेकिन हम 130 करोड़ हैं। 130 करोड़ पॉपुलेशन में जो समस्याएं आई हैं, उनको देखने का सवाल है।

इस पार्लियामेंट को सोचने का सवाल है कि फैमिली कोर्ट में अब किस तरह के डिस्प्यूट आएंगे? जो कम्युनिस्ट मानसिकता है, जो कांग्रेस मानसिकता है, जो भारतीय सभ्यता-संस्कृति और हिन्दू संस्कृति के खिलाफ की मानसिकता है, वे लिव इन रिलेशन की बात करते हैं। बड़े प्रेम

से कहा जाता है कि हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। आप इस पर कोई रोका-रोकी और टोका-टोकी नहीं कर सकते हैं। लिव इन रिलेशन के बाद यदि बच्चे पैदा होते हैं और लिव इन रिलेशन के बाद यदि कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो उसका क्या दायरा होगा? क्या यह फैमिली कोर्ट में सोचने की बात और भारत सरकार के लिए सोचने की बात नहीं है कि किस तरह से इन्होंने पॉल्यूशन किया है? धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। यह बहुत बढ़िया बात है। यहां के कई मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इस विषय पर अपना प्राइवेट मेम्बर बिल लाते रहे और सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे । कांग्रेस पार्टी के ही लोग धारा 377 के लिए लड़ते रहे । लेकिन, मंत्री जी क्या आज यह देखने का सवाल नहीं है कि जब धारा 377 थी, तब कितने केस होते थे? जब धारा 377 खत्म हो गई, तब कितने केस हुए?

जो ये केसेज़ बढ़ रहे हैं, इस तरह से यह हमारी संस्कृति पर हमला है। हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की बात कर रहे हैं, उस पर हमारा पार्लियामेंट मौन है। कई एक चीजें हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं संविधान की किताब लेकर बैठा हुआ हूं। इसी पार्लियामेंट ने एनजीएसी पास किया और वह एकमत से पास हुआ। केवल एक वोट को छोड़कर, लोक सभा और राज्य सभा की सारी पॉलिटिकल पार्टी के सभी लोगों ने कहा था।

जलील साहब जिस चीज के लिए कह रहे थे।…(व्यवधान) सभापति जी आप भी थे कि हम कॉलेजियम सिस्टम में अपाइंटमेंट के लिए…(व्यवधान) भारत सरकार क्या कर रही थी? भारत सरकार यही तो कर रही थी कि आप जो अपाइंटमेंट कर रहे हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी का जो रिप्रेजेन्टेशन है, जैसे मैं झारखंड राज्य से सांसद हूं। आप अपना दर्द तो बता रहे हैं। इस कॉलेजियम सिस्टम का जो सबसे बड़ा दर्द है, आर्टिकल 368 कहता है कि भारत का संविधान इस पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि हम कोई भी कानून चेंज कर सकते हैं। इस संविधान में यदि मुझे कोई भी चीज लगती है कि वह गलत है, अच्छी है या आगे करनी है, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बड़ा क्वैश्चन मार्क है।

महोदय, मैं झारखंड राज्य से आता हूं। पहले बिहार और झारखंड एक ही राज्य था। उत्तर प्रदेश राज्य के बाद यदि इन दोनों राज्यों को मिला लेंगे, तो यह सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक भी जज न ही बिहार बार से है और न ही झारखंड बार से है। क्या देश को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है? इतनी बड़ी आबादी, जिस सुप्रीम कोर्ट में दो जज, तीन जज, चार जज, हमेशा बिहार के रहे हैं, आज वहां एक भी आदमी नहीं है। क्या यह कॉलेजियम सिस्टम चलना चाहिए? इस कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकार को ले रहा है, क्या यह चलना चाहिए?

आर्टिकल 377 उसने खत्म कर दिया, आर्टिकल 68(ए) उसने खत्म कर दिया। आज सोशल मीडिया से सारे लोग त्रस्त हैं, सारे लोग परेशान हैं। हम कानून बनाते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, हमारा पैसा है, भारत सरकार का पैसा है। कोर्ट में जो पेंडेन्सी है, वह अलग है, लेकिन वह हमारे अधिकार को छीन रहे हैं, क्या आज यह सोचने का सवाल नहीं है? इस पार्लियामेंट को सोचना चाहिए। पार्लियामेंट को सरकार को सुझाव देना चाहिए। मंत्री जी को सजेशन देना चाहिए। हम लोगों को डेलीगेशन के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से कहना चाहिए कि आप कस्टोडियन हैं। लोक सभा के स्पीकर को भी यह सोचना चाहिए कि आप इस संविधान के कस्टोडियन हैं और ये जो हमला हो रहा है, हम इस हमले को कैसे रोकेंगे?...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : निशिकांत जी, क्या सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है?

डॉ. निशिकांत दुबे : सरकार सब कुछ सुन रही है। वेस्टर्न और कम्युनिस्ट कल्चर के आधार पर अब एक नया नोशन चला है और जो सो कॉल्ड पेज थ्री के मास्टर हो गए हैं, सेम सेक्स मैरिज। वेस्टर्न कल्चर में इस तरह की बातें हैं। उसके लिए लोग कहते हैं कि कोई कैसे भी रहना चाहता है, क्या अधिकार है? ठीक है, नंगा ही रहिए। फैमिली कोर्ट में जो अगला डिस्प्यूट आना है, इस कल्चर से जो अगली लड़ाई है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये फैमिली कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यह है कि हम भारत की सभ्यता, संस्कृति और मायने को ध्यान में रखकर किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से डिस्प्यूट खत्म हो।

अभी दहेज की बात कही गई। मैं रूडी जी से एक कदम आगे बढ़कर कहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश में सबसे घटिया से घटिया कानून लगाए हैं, उसमें धारा 498 भी लगाई है। आप तो पुरुष की बात कर रहे हैं, मैं तो महिला की बात कर रहा हूं। एक महिला को बचाने के लिए धारा 498 लगी, मैं कहता हूं कि वह कानून बहुत अच्छा होगा, लेकिन कौन फंस रहा है? सास फंस रही है, ननद फंस रही है, गौतमी फंस रही है, वह महिला नहीं है। जो लोग अमेरिका में हैं, यदि किसी परिवार में डिस्प्यूट हो गया या कोई लड़की अमेरिका में रह रही है, तो वह फोन पर भाई से कह रही थी कि तुम लड़ाई करो। क्या आपको लगता है कि जो धारा 498 है, उसको रेट्रोस्पेक्टिव ठीक करने की आवश्यकता नहीं है? क्या महिलाएं इससे प्रताड़ित नहीं हो रही हैं? धारा 498 से पुरुष कम प्रताड़ित हो रहे हैं, बल्कि महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित हो रही हैं, क्योंकि वह महिला अपने घर में क्या कहेगी जो अमेरिका में रह रही है, जो कहीं बाहर रह रही है। जो ननद है, जो गौतमी है या मान लीजिए कोई पड़ोसी है। यदि आप धारा 498 में देखेंगे, तो एक महिला को बचाने के लिए 10 महिलाएं जेल जा रही हैं। ये सब वेस्टर्न कल्चर है। हम अमेरिका से कोई कानून ले आए, लंदन से कोई कानून आ गया, हमारा समाज इस तरह का नहीं है।

इसके बाद एक सवाल और भी है।... (व्यवधान) यहां पर बहुत सी बातें उठती हैं। यहां पर रवि किशन जी हैं, मंत्री के नाते गिरिराज जी हैं, उदय प्रताप सिंह जी हैं। खासकर रवि किशन जी ने उस दिन पार्लियामेंट में पापुलेशन कंट्रोल की बात बोली थी। मंत्री जी, जब कॉमन सिविल कोड और पापुलेशन कंट्रोल की बात आती है तो प्रत्येक बार यह विषय आता है कि हम मुसलमानों की आबादी को कम करना चाहते हैं।... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: सर, रवि किशन जी के चार बच्चे हैं।... (व्यवधान)

श्री रवि किशन (गोरखपुर): मेरे चार बच्चे हैं। उस गलती के बारे में मैं जानता हूँ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Dr. Nishikant Dubey says.

… (Interruptions) … *

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

*… (Interruptions) …**

HON. CHAIRPERSON: Nishikant ji, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

श्री रवि किशन : अगर यह बिल पहले कांग्रेस ले आती तो… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: There should be no crosstalk. Nothing will go on record.

… (Interruptions) … *

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, it is not fair on your part.

… (*Interruptions*)

श्री रवि किशन : बच्चों में जो कुपोषण होता है, यह बिल उसके लिए है। … (व्यवधान) अगर यह बिल कांग्रेसी लेकर आते तो सबके दो बच्चे होते।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please do not talk about that. Please come to the Bill.

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, आबादी कितनी कंट्रोल होती है, उसे तो भविष्य तय करेगा, लेकिन जब एक महिला का सवाल आता है, चूँकि आज के समय 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', महिलाओं को ज्यादा अधिकार देना, प्रधान मंत्री जी का उनके प्रति ज्यादा आग्रह होना, यह सब पिछले चार-पांच सालों से दिखा रहा है कि लड़कियों की जनसंख्या हरियाणा जैसे राज्यों में भी बढ़ रही है। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं और पूरे देश को उन्हें बधाई देनी चाहिए, लेकिन अभी रवि किशन जी एक बात कह रहे थे कि एक बेटे के लिए आप जिस तरह से टॉर्चर होते हैं कि एक बेटी हो गई, दो बेटियां हो गई, तीन बेटियां हो गई, नौ

* Not recorded

बेटियां हो गईं, 10 बेटियां हो गईं तो यह पॉपुलेशन कंट्रोल का विषय आबादी से ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा के सवाल का है। महिलाएं एनेमिक होती हैं। यहां पर डॉक्टर भारती जी बैठी हुई हैं। ये खुद एक डॉक्टर हैं। हमारे देश में एक-दो परसेंट ही महिलाएं ऐसी होंगी, जो एनेमिक नहीं होंगी। 98 परसेंट महिलाएं एनेमिक होती हैं। अगर ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो वे कुपोषण के शिकार होते हैं। क्या महिलाओं और बच्चों के लिए आज समय नहीं आ गया है कि हम इनकी सुरक्षा के लिए पापुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आए? जैसा अभी रवि किशन जी कह रहे थे कि जिसका आबादी से कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें ऐसी हैं, जिन्हें हमें देखना है। फैमिली कोर्ट भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए है। हम परिवार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

भारत सरकार का यही प्रयास है, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर हमारे यहां आ रहा है, चाहे सेम सेक्स मैरिज हो, चाहे लिव इन रिलेशन हो, चाहे धारा 377 हो, चाहे डाउरी का एक्ट हो, चाहे पापुलेशन कंट्रोल हो और चाहे जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है तथा जिस तरह से यह प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संसद पर हमला है, उसके लिए आज सभी लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, दलगत भावना से ऊपर उठकर इस सरकार की मदद करनी चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी का हाथ मजबूत करना चाहिए और इस संविधान की रक्षा करनी चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, this has been one of the most academic discussions that we are having. I think we should congratulate the hon. Member. Sir, I am giving compliment to you and to the House as well.

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सर, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। नागालैंड और हिमाचल के लिए आप यह जो बिल लेकर आए हैं, यह जरूर है कि आप देर आए, दुरुस्त आए। हम बिल के साथ हैं, लेकिन अभी सदन के अन्दर जो भी समस्याएं डिस्कस हुई हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और कानून मंत्री जी से

कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मैं समझता हूँ कि जब से इंसान पैदा हुआ है, तब से लेकर आज तक लोगों में प्यार-मोहब्बत, इश्क, लैला-मजनू और शीरीं-फरहाद के किस्से होते चले आ रहे हैं। अगर कोई इंटर कास्ट मैरिज कर लेता है या इंटर रिलीजन मैरिज कर लेता है तो उसके ऊपर मुसीबत आ जाती है।

उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत से मां-बाप उनको अपने से अलग कर देते हैं और ऑनर किलिंग तक होती है। अगर इंटर-रिलीजन मैरिज हो गई, इस पीरियड में हम बड़ी अजीबोगरीब बात देख रहे है, कि वह लव जेहाद हो जाता है। आज दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, हम भी जा रहे हैं, जरा सोचिए कि इस 21वीं सदी में एक लेडी अपने शरीके हयात को चुन रही है और उसे यह नहीं मालूम है कि वह किस रिलीजन का है? जब उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है या घर का प्रेशर होता है, घर में लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो मजबूरन वह कह देती है कि मुझे मालूम नहीं था कि यह आदमी मुसलमान था या हिन्दू था। इससे वह आदमी मुसीबत में आ जाता है, जेल चला जाता है और उसे कोई पूछने वाला नहीं होता है। मेरा मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इस पर गौर करें, आज इससे समाज में एक बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है।

सर, आपने तीन तलाक की भी बात की, क्योंकि यह भी इसी से रिलेटेड है। लोगों ने आपसे पूछा कि कितने लोगों को सजा हुई। मैं इसके साथ ही आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों ने इसका मिसयूज किया? मियां-बीवी के झगड़े आपस में हो जाते हैं, नाराजगी हो जाती है, बीवी उठाकर झट से 112 नम्बर पर फोन कर देती है, वैन आ जाती है, उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद समझा-बुझाकर, सुविधा शुल्क लेकर चले जाते हैं। ... (व्यवधान) यह सुविधा शुल्क की बात उत्तर प्रदेश की है। वे लेकर चले जाते हैं और लोग परेशान रहते हैं। ... (व्यवधान) इसलिए, सर, इस पर गौर करना पड़ेगा कि हम इसके मिसयूज को भी कंट्रोल करें।

अभी सय्यद ईमत्याज़ जलील साहब ने मां-बाप के लिए एक बहुत अच्छी बात कही। यकीनी तौर पर हम सब और पूरी पार्लियामेंट इससे सहमत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मां-बाप बूढे हो जाते हैं और उनके नाम पर प्रॉपर्टीज होती हैं तो यह देखा जाता है कि खिदमत कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे प्रॉपर्टी उनके नाम आती है, उसके बाद वे उनको फैमिली

हॉल में भेज देते हैं। ऐसे मां-बाप, जिनको धोखा देकर प्रॉपर्टी ले जाए और उसके बाद उनका ख्याल न रखा जाए, तो उसके लिए कोई ऐसा प्रॉविजन होना चाहिए कि माँ-बाप वह प्रॉपर्टी वापस ले सकें। अगर मां-बाप को यह राइट होगा तो मां-बाप की नाकद्री बच्चे नहीं करेंगे।

अभी डॉ. निशिकांत दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। हम सब धार्मिक लोग हैं, हर आदमी अपने धर्म से बंधा हुआ है। लिव-इन रिलेशनशिप को हमने रिकग्निशन क्यों दी है? इससे बेगैरती, बेहयाई और उरयानियत बढ़ने के अलावा दूसरी कोई बात नहीं हो रही है। होमोसेक्सुअलिटी को हम रिकग्नाइज करने लगे। क्या यह भारत की सभ्यता और तहजीब है? मैं मंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि इन सब चीजों को भी बैन करना चाहिए। कानून इनके लिए भी सख्त होना चाहिए। अभी डॉवरी एक्ट के बारे में डॉ. निशिकांत दुबे जी ने कहा है कि महिलाएं इनवाल्व्ड हो रही हैं। मैं आपको एक पर्सनल वाकया बताता हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। 90 प्रतिशत जली हुई एक लेडी मेरे पास आई। उसका ससुर 80 साल का और उसकी सास 75 साल की थी। उस लेडी ने डाइंग डिक्लेरेशन दी थी कि मेरे ससुर और सास ने मुझे पकड़ा और ननद ने तेल डालकर आग लगा दी। जब मैंने उससे उसके रूम में अकेले में इनक्वायरी की कि सच-सच बताओ की 80 साल के बुढ्ढे ने तुम्हे कैसे पकड़ लिया और तुम क्यों नहीं भागी? वह मुझसे कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मैं गुस्से वाली लेडी हूं, मैंने खुद आग लगाई है और इनके ऊपर इल्जाम डाला है। वह तो मर गई और उसके सास-ससुर और ननद जेल चले गए। डाइंग डिक्लेरेशन में भी लोग अब बेईमानी कर रहे हैं। इसलिए कानून मंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे सेंसिटिव मामले में डाइंग डिक्लेरेशन को आखिरी गवाही न समझी जाए।

मैं, इसी के साथ, नागालैण्ड और हिमाचल प्रदेश के लिए इस बिल का सपोर्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बातें कही हैं, उन पर मंत्री जी गौर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): सभापति जी, माननीय कानून मंत्री जी ने यह जो बिल रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत विवाह तथा कुटुम्ब मामलों के विवाद और उनसे जुड़े हुए मामलों में सुलह को बढ़ाने और शीघ्र निपटारा करने के लिए कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना की गई थी।

यह बात सही है कि वर्तमान समय में समाज का जो ताना-बाना है, जो कुटुंब विवाद लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रकरणों में सुलह और काउंसलिंग हो रही है। फिर भी यह जो बिल आया है, वह हिमाचल और नागालैंड के नोटिफिकेशन को लेकर आया है। मंत्री जी ने कहा है कि वास्तव में यह एक छोटा सा अमेंडमेंट है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कुल 26 राज्यों में 715 कुटुंब न्यायालय वर्तमान में काम कर रहे हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि 11 लाख 76 हजार से ज्यादा प्रकरण कुटुंब न्यायालयों में लंबित हैं। 14 वें वित्त आयोग में 541 करोड़ रुपये का प्रावधान 235 कुटुंब न्यायालय बनाने के लिए किया गया था।

मैं इसका समर्थन करते हुए यह सुझाव देना चाहूंगा कि कुटुंब न्यायालय की संख्या और बढ़नी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में एक ही कुटुंब न्यायालय है। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है। वहां साढ़े सात करोड़ की जनता है। वहां जिस प्रकार से प्रकरण बढ़ रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में कुटुंब न्यायालयों की संख्या बढ़नी चाहिए। जिन-जिन राज्यों में कुटुंब न्यायालय कम हैं, वहां भी इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती) : सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे फैमिली कोर्ट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2022 पर बोलने का मौका दिया। It is not related to Maharashtra but yes, it has come to the Parliament. So, we would like to speak on this issue. सर, जो भी फैमिली कोर्ट्स होते हैं, वहां हमें सबसे पहले इस पर जरूर गौर करना चाहिए कि जो फैमिली कोर्ट्स की बिल्डिंग होती है, इनको सेपरेट करना बहुत जरूरी है। जब भी कोर्ट में एकाध फैमिली कोर्ट का विषय आता है तो वहां पर छोटे-छोटे बच्चे उनके साथ आते हैं। बाकी जो क्रिमिनल्स उस कोर्ट में आते हैं, उनको देखकर बच्चों में एक अलग माइंडसेट का निर्माण होता है। आने वाले समय में उन फैमिलीज में उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने के संकेत हैं। फैमिली कोर्ट्स की बिल्डिंग और प्रेमाइसिस सेपरेट की जाएं, क्योंकि वहां पर बैठने की जगह नहीं होती है, वहां वॉशरूम जाने के लिए जगह नहीं होती है। वहां पर छोटे बच्चे आते हैं। वहां कोई एक साल का बच्चा लेकर आता है, कोई गोद में बच्चे लेकर आती है, कोई तीन-चार साल का बच्चा आता है तो उसके लिए वहां पर सब सुविधाएं होना बहुत जरूरी है। वह फैमिली कोर्ट है। अगर वहां पर बच्चा क्रिमिनल को देखता है या वह फैमिली के सामने आता है तो बहुत सारे इश्यू होते हैं।

सर, अभी हमारे एक सीनियर लीडर ने कहा कि यहां पर यह पार्टी थी, ऐसा किया तो देश में डिवोर्स के केसेज़ आ रहे हैं। किसी की भी जिंदगी में, किसी भी परिवार में ऐसा पीड़ित विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस देश की संस्कृति कुछ और सिखाती है। हम सतियों के देश में रहने वाली महिलाएं हैं। यहां पर महिलाएं सती होती थीं, हम ऐसे देश में रहते हैं। हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है कि आखिरी क्षण तक हम आधी रोटी और चटनी खाकर उस परिवार में रहें और उस जीवनसाथी के साथ रहें। हमें हर चीज में उस परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, संस्कृति हमें यही सिखाती है। हम वह करते भी हैं। एक परसेंट हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं, वह जिस तरह से बता रहे हैं। It is from the Party which I support in this Parliament House. कभी-कभी ऐसी चीजें आ जाती है, जिनको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि कम्युनिस्ट माइंड के लोग थे या कांग्रेस दिमाग के लोग थे, इसलिए आज डिवोर्स का

इतना बढ़ावा मिला है। सर नहीं, हमारे राइट्स और लड़ाई के लिए हमारे संविधान ने लिबर्टी दी है। उन राइट्स के लिए हम लड़ सकें तो हम लड़ रहे हैं। मैं इसके साथ-साथ मंत्री महोदय से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि कोर्ट में जाने से पहले हर डिस्ट्रिक्ट में जो काउंसलिंग सेंटर्स बनाए हैं, उसमें जो पीड़ा महिलाओं को होती है, उसको कोई माने या न माने। सर, हम बोलते हैं, हम बोलने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम लड़ सकते हैं और अपनी मजबूती से लड़ भी रहे हैं। जब डिवोर्स की बात आती है, कोर्ट में जाने की बात आती है, कोर्ट में लड़ने की बात आती है तो उस समय परिवार साथ छोड़ देता है, अपनी खुद की मां और पेरेंट्स, अपना भाई आपका साथ छोड़ देता है। उस समय सच्ची पीड़ा उस महिला को पता लगती है कि कोर्ट में मैं किस तरीके से जाऊंगी, जिसने कोर्ट का नाम सपने में भी नहीं सुना, जिसने काउंसलिंग सेंटर का नाम नहीं सुना। ऐसी महिलाएं जब काउंसलिंग में जाती हैं तो वहां पर उनके लिए बहुत सारे एनजीओज़ काम कर रही हैं।

मैं यह नहीं कह रही हूं कि एनजीओज़ अच्छा काम नहीं कर रही हैं, एनजीओज़ अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अगर उनकी जगह पर कोई एक्सपर्ट एडवोकेट, जो अनुभवी हो, वह काउंसलिंग करे तो मुझे लगता है कि जो कोर्ट में 10-10 साल का समय लगता है, वह नहीं लगेगा। अगर किसी की भी शादी टूटती है और 30 साल की एज में डिवोर्स होता है तो उसको 10 साल कोर्ट में लगते हैं। इस तरह से उसकी आधी जिंदगी निकल जाती है। उसका रीमैरिज करना, दूसरा संसार बसाना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें जो पीड़ा होती है, हमें उसके लिए भी सोचना चाहिए। काउंसलिंग सेंटर से लेकर, कोर्ट में जाने तक, कोर्ट में अलग-अलग बातें पुरुष को बहुत कम सहनी पड़ती हैं, लेकिन महिलाओं को बहुत ज्यादा सहनी पड़ती हैं।

अगर हमने उसके बारे में सोचा, this is not related to this Bill. मैं यह चाहूंगी कि काउंसलिंग सेंटर्स में एक्सपीरिएंस्ड, एक्सपर्ट्स लोगों और रिटायर्ड एडवोकेट्स को आप बैठाएंगे, तो वे करैक्ट तरीके से काउसलिंग कर सकेंगे। इससे महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा उनके भविष्य के लिए हो सकेगा। This is a very good Bill. It is meant for the States of Nagaland and Himachal Pradesh, but it is also meant for the females from

whole of India. वे आपको देख रही हैं कि इस पर भी बहुत सारी चर्चा होनी चाहिए । जो समस्याएं महिलाओं के जीवन में आती हैं, फिर वह यंग एज हो, मिडल एज हो या वे फिफ्टी एज क्रॉस करती हों, उनका ध्यान हम सभी को रखना बहुत जरूरी है । *Mahila* is the power of India. हम महिलाओं को ऐसे कमजोर नहीं होने दे सकते हैं। मैं आपसे जरूर विनती करूंगी कि ऐसे केसेज में उनके साथ भी कोई भी खराब ट्रीटमेंट काउंसलिंग सेंटर्स से लेकर कोर्ट में न हो। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट जरूर करूंगी।

Sir, I support this Bill.

Thank you.

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ़): सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम लोग बहुत सारी उम्मीदें लेकर पार्लियामेंट में आए हैं। मैं 21 तारीख से साढ़े दस बजे यहां आ जाता हूं। मैं यहां बार-बार एडजर्नमेंट होने के बाद भी रुकता हूं, ताकि पार्लियामेंट चले, तो मैं अपनी बात कह सकूं। मैं 21 तारीख को यहां आया था, तो मेरा विषय जीरो ऑवर में उठाने के लिए निकला था। मैं यही सोच कर आया था कि आज पार्लियामेंट नहीं चलेगा, जीरो ऑवर के लिए मेरा विषय निकला है, लेकिन मेरा भाग्य खराब है। मैंने यहां आकर देखा कि हल्ला-गुल्ला करने वाला कोई नहीं था। मैंने पूछा कि यह कैसे हुआ? मुझे पता चला कि ईडी से सम्मन आया था, तो वे सभी लोग बाहर हैं। मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। मुझे 18 तारीख से लेकर आज तक दूसरी बार यहां अपनी बात कहने का मौका मिला है। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, माननीय कानून मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2009 से अभी तक नागालैंड में दो कोर्ट्स में कितने फैसले हुए हैं? What is the number of cases that were filed between 2009 and 2022 and what is the number of cases disposed of in the lower courts as well as in the Appellate court? हिमाचल प्रदेश में भी वर्ष 2019 से अभी तक कितने केसेज का डिसपोजल हुआ था। जो लोग अपील में कह रहे हैं, मंत्री जी पुराने केसेज को रिवैलिडेट करने के लिए यह बिल लाए हैं, मंत्री जी एक और बिल लाए थे - Pension of High Courts and Supreme Court Judges (Amendment) Bill.

मंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहिए कि गलती किसी दूसरे ने की लेकिन आप उसे रिपेयरिंग करने के लिए आए हैं। जिन लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए आप बिल लाए हैं। उसके लिए मैं आपका पूरा का पूरा समर्थन करता हूं।

इसके साथ-साथ मैं यह विषय भी उठाना चाहता हूं कि इस बिल के संबंध में बोलते हुए सभी ने महामहिम राष्ट्रपति जी का जिक्र किया है। Empowerment of women. माननीय द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति बनी हैं। जो लोग बोले हैं, उनमें से कोई ओडिशा से नहीं हैं।

द्रौपदी मुर्मू जी जहां से आई हैं और महामहिम राष्ट्रपति बनी हैं, वह ओडिशा प्रदेश है। मैं भाग्यवान हूं कि मैं ओडिशा प्रदेश का माननीय सांसद हूं।…(व्यवधान) भर्तृहरि जी यहां हैं।…(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ लगभग 20-22 सालों तक नजदिक से काम करने का मौका मिला है। मैं उस अनुभव से कह रहा हूं कि Shrimati Droupadi Murmu is a very ordinary woman with extraordinary qualities.

एक एमएलए होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते, मैंने ओडिशा में उनको बहुत ही नजदीक से देखा है। मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान को एक बेहतरीन राष्ट्रपति मिला है। And that will create a new chapter in the history of Indian democracy.

उसके कारण हम लोग आजकल यह भी कहने लगे हैं कि this is not only a question of empowerment of women but also a question of empowering the society through women. This has been the beginning of the entire process of empowerment.

माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से इस विषय में मैं दो सलाह देना चाहूँगा और दो माँग भी करना चाहूँगा।

जब जजेज पेंशन बिल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, तो उस समय हमने यह विषय उठाया था, जो ओडिशा में पश्चिम क्षेत्र में एक परमानेंट बेंच स्थापित करने के बारे में था। इस संबंध में, आपने मुझे 'हाँ' कहा था। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुख्यमंत्री जी और ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, दोनों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखे हुए भी लगभग एक महीना हो गया है। You are not the first Law Minister but the fourth Law Minister who has written a letter to the Chief Minister and Chief Justice of Odisha to give a concrete proposal. एक महीना बीत गया है और अभी तक नहीं हुआ है। तीन-तीन लोग मंत्री हो गए हैं, मैं उनको भी कहता हूँ और आपको भी कहता हूँ। पता नहीं, इस चिट्ठी का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरी सलाह है कि… (व्यवधान) हम तो 20-25 साल से इंतजार कर रहे हैं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

… (व्यवधान)

SHRI SURESH PUJARI: I am concluding, Sir. I again appeal to the hon. Minister of Law to take up the matter with the Chief Minister of Odisha and the Chief Justice of the High Court of Odisha.

अभी महिला राष्ट्रपति बनी है । इसलिए फैमिली कोर्ट्स में भी अधिक संख्या में महिला जजेज होनी चाहिए। हमारे सोसायटी में महिला जजेज बहुत कम हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लॉ कॉलेजेज होने चाहिए ।… (व्यवधान) भाई साहब, आप चुप रहिए ।… (व्यवधान) आप बार-बार टोकना बंद कीजिए ।… (व्यवधान) जब आप बोल रहे थे तो हम लोग इंटरफेयर नहीं कर रहे थे ।… (व्यवधान) मैं देख रहा हूँ कि जब से आप बैठे हैं, कोई भी बोलता है, तो आप खड़े हो जाते हो ।… (व्यवधान) कभी-कभी दूसरे को सुनने की आदत तो डालिए ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (व्यवधान)

SHRI SURESH PUJARI: Please do not interrupt. … (व्यवधान)

अंत में, मेरा यही निवेदन है कि लॉ एजुकेशन की क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए । नैशनल स्कूल ऑफ लॉ का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत बेहतरीन है । अच्छा होगा यदि भारत सरकार की ओर से, मेरे संसदीय क्षेत्र में, बारगढ़ या झारसुगड़ा जिले में एक नैशनल स्कूल ऑफ लॉ स्थापित हो जाए, तो बहुत अच्छा होगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

KUNWAR DANISH ALI: Sir, the hon. Member has said that she is the first woman Rashtrapati but she is the second woman Rashtrapati. I said only this much.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He meant to say that she is the first woman Rashtrapati from the tribal community.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the Chief Minister of Odisha has replied relating to the establishment of a second permanent High Court in the western part of Odisha. It is not a problem but an issue. The issue is, the Minister may clarify, that the Chief Justice of Odisha High Court has to give consent. The Odisha Government has repeatedly stated that Odisha Government is prepared for whatever infrastructure is to be developed and money which is to be spent. I just want to make it clear.

श्री सुरेश पुजारी : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन उसमें अभी तक कम्पोजिट प्रपोजल नहीं आया है।

HON. CHAIRPERSON: When the hon. Minister would reply, he will take care of it.

Shri Pratap Chandra Sarangi.

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI (BALASORE): Hon. Chairman, Sir, I am very much thankful to you for allowing me to speak on this Family Courts (Amendment) Bill, 2022. I rise to speak in support of this Bill.

It is unfortunate that in a nation where Shravan Kumara and Ramachandra took birth, we are passing a Bill to protect the rights of parents. I do not know how many parents have protected their rights through legal suits.

Sir, the Family Courts Act was passed in 1984 to make provisions for establishment of family courts by the State Governments in consultation with the Hight Courts for amicable settlement of family disputes related to marriage. The objective of the original Act was very noble. Since many families have been totally ruined in litigations running from court to court to reduce the load of pendency of such cases in different courts and for quick settlement of family disputes through counselling and mediation, the Family Courts Act was enacted.

The Family Courts Act, 1984 came into force after receiving the Presidential assent on 14th September, 1984. Section 1(3) of the Family Courts Act, 1984 specifically provides that it shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different States. So, Central Government notification is the mandatory prerequisite as per the provision of the Act.

It was desired that the family courts are to be opened in each district. As per information available, 720 family courts are functioning in 26 States and Union Territories which have a total pendency of 11,43,985 cases as per the report of May, 2020. The necessity of this amendment was felt when a criminal

revision petition no.180 of 2021 was filed in the High Court of Himachal Pradesh by Shri Omkar Sharma, challenging the authenticity of the judgements of the family court since it has no sanction from the Central Government notification which is a prerequisite under Section 1(3) of the Family Courts Act, 1984. It might have been that the State would not have applied for a Central Government notification.Upon scrutiny, a similar situation was found in the State of Nagaland. So, if the contention of the petitioner is upheld then all the appointments and decisions of the family courts and all the actions of the Government to execute the verdict of the family courts will stand jeopardised.

But there is no provision to bring a Central Government notification with retrospective effect to protect and validate the decisions taken by such family courts. The purpose of the amendment of the Bill is very limited 'for incorporating enabling provisions of the family courts of Himachal Pradesh and Nagaland, where family courts are functioning without issuance of Central Government notification which is the mandatory prerequisite as per Section 1(3) of the Family Courts Act, 1984'.

Sir, family is the basis of our society. *Vasudhaiva Kutumbakam* was our ideal as propagated by our sages ages ago. Nuclear family idea which was imported from Europe has destroyed our structure of big families which were a protecting force of our culture. It is better late than never. We have to save our families. It would be a happy state of affairs if all such disputes could have been settled outside the court amicably through mediation and counselling.

Sir, Swami Vivekananda said that the great national sin is the neglect of masses and women. In our culture, in the Cabinet of Brahma, three great ministries were given to women. Finance Ministry was given to Devi Lakshmi; Education Ministry was offered to Devi Saraswati and Defence Ministry was offered to Devi Durga.

It is told here that women have been disrespected by this Government. Sir, in India women are not equal to men. Women are much higher than men. Veda says, "मातृ देवो भव:, पितृ देवो भव:, अतिथि देवो भव:, आचार्य देवो भव:"

"उपाध्यात् दश आचार्य: आचार्याणां शतं पिता

सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेण अतिरिच्यते॥"

Tuition master much inferior than the teacher. Dronacharya was a tuition master. His Shastriya Maanyata is Upadhyay, not Acharya, although his disciples called him acharya out of love. But his shastriya status was not acharya because he was living with Kauravas. He wanted to kill the talent of Ekalavya who was denied the right to get admission into the royal school.

Without the help of his Guru, he mastered and could excel to such an extent that he defeated in a battle all the105 disciples of Dronacharya -- the Kauravas and Pandavas, who were studying with Dronacharya for 14 years. So, to help his students, Dronacharya wanted to kill the talent of Eklavya.

The Acharya was sitting in his *ashram* and teaching students with free fooding, boarding and lodging. Sandipani and Parshuram were much greater. Upadhyayat Dasa Acharyah -- they were 10 times better than the tuition master Acharya. Today, we find that the tuition masters are running institutions to supply copies and doing malpractices.

Sir, we say, *Acharyram Satampita.* The father is 100 times more glorified than the teacher, and the mother is 1000 times greater than the Acharya. So, *Mathru Devo Bhava*. So, all powers lie with the women. We never consider them weak.

In this Government, Beti Bachao, Beti Padhao Yojana, Sukanya Samriddhi Yojana, Matru Vandana Yojana -- all these Yojanas resulted in increase in the ratio of men and women with 1000:1020. Not only that, in higher education also, 18 per cent women have been registered.

Sir, we have found that this Government selected a tribal woman from a remote corner, Mayurbhanj to occupy the highest Constitutional seat of India, that of the Rashtrapati-ji. Is it not an honour to women? Just blaming others with no basis, no substance is not good. It is not expected of the responsible parliamentarians.

Sir, who was the first woman advocate of the world? With pride, I can say that the first woman advocate of the whole world is from Odisha -- Sudhanshubala. She was the daughter of our great Madhusudan Das. During that time, Europe including England or nobody else was giving licence to a woman for advocacy. Even in America, there was no woman advocate. Sudhanshubala applied for a licence in the Kolkata High Court but she was not granted a licence. She was refused. Then, Madhusudan went to Privy Council for getting her licence. The Privy Council was also not in favour of granting a licence to a woman advocate. Then, a legislation was brought in the VR Legislative Council, and Sudhanshubala occupied that glorious seat of

becoming the first woman advocate in the whole world. Is it not an honour to women?

I have seen the miserable plight of the children and the old parents in family disputes. I have seen many bureaucrats, many IAS officers, many leaders, many great businessmen and many wealthy persons whose family life is very, very precarious and miserable.

Sir, in one court I was present witnessing the case of a father and a mother. The mother married to another person. The boy's biological father was out of station as he was a military official. Even after the court verdict, both parties fought to snatch the boy who was just five years old. With much intervention by the police, the boy was again given to his original father. This was such a precarious situation.

Sir, I remember another peculiar story from America. One Indian couple went to America. They stayed with a family there. After some time, they found that there was a hue and cry going on. On hearing the news, the Indian couple was astonished. The male member told his wife to go and see as to what was the problem going on inside. After 15 minutes, the lady came out and told him: "Oh, my dear, your children and my children were quarrelling with our children." This was not intelligible for the Indian couple. They asked: 'what is the matter? You are saying, your children, our children, my children, their children." He said: "No, No. She is my 13th wife.

Before marrying me, he had got some children from the court as per her share; they were separated. Now, from her share, she has her children. I am her 15th husband. Before my marriage to this lady, I had my own share from

the court when we separated, and so they are my children. Now, after our marriage, we have some children, and they are our children. So, there are three types of children in our family.'

Sir, these things never happen in India although a few such instances are there in India also. But why are they there? It is just because of the nuclear family concept coming from Europe and America. We have a great Indian culture. The Indians taught knowledge and culture from time immemorial, to the whole world.

17.00 hrs

Sir, we should inspire the citizens to lead a prestigious life with love and mutual respect. Sir, justice delayed is justice denied. I am quite proud that such type of legislation has been brought here just to correct a legal crisis for Himachal Pradesh and Nagaland.

I am sure that this will help the victims who are mostly ladies. But there are also a few victims who are male members.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now.

… (*Interruptions*)

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI: Sir, some learned members said that women are not respected. I have cited many examples how women are being respected. I remember one case, the Shah Bano case, and how women were respected in previous Governments. The then Prime Minister had thrown out the verdict of the Supreme Court. He had crossed all Constitutional limits and amended the Constitution for his own benefit. Is it democracy? Is it an honour to the women? They have never honoured the women. All those critics were

silent by that time. They had never opposed it. It was like Pitamah Bhishma, a great warrior, who remained silent in Mahabharata.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now. One more Member is there to speak. Thereafter, the Minister has to reply.

… (*Interruptions*)

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI: Yes, Sir. This Government honours the women in the best way. I support this amendment. I appeal all the Members of this House, cutting across party lines, to support this amendment.

With this, I conclude.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

Sir, the amendment, on the face of it, is small but the implication of this amendment is large. Basically, the Government had taken cognizance to redress the grievances of all those people in whose case the judgment was given after 2008 in the State of Nagaland and after 2019 in the State of Himachal Pradesh. So, the Government has taken cognizance of this fact and I rise here to support this amendment.

Sir, basically, the amendment is to validate all the orders with retrospective effect. The Parliament is competent to enact such type of laws with retrospective effect to validate all the orders or judgements given by those courts which were established in 2008 in the State of Nagaland and in 2019 in the State of Himachal Pradesh. I fully support this amendment. I would also like to say that this amendment is, basically, for the establishment of courts by way of notification within the domain of the Government of India. Now, the

Government of India is bringing this amendment under Section 13 because the courts are required to be established at the relevant time. Since it was not done at that time, therefore, it is being done now. Now, the proviso has been added under Section 1, sub-section 3 of this Bill whereby the court has been deemed to be established with effect from the date when the respective State Government established the Family Courts in their States. So, this legislation has been brought in with respect to the State of Nagaland and with respect to the State of Himachal Pradesh with effect from 2008 and 2019 respectively. It is because during this period, thousands of orders and judgements were passed. All these orders shall be deemed to be validated. This suffices validation under Section 3(a) without any validation or further order or without further amendment. With effect from the date when the courts were established in respective States, all the judgements shall be deemed to be validly passed by the competent court having the jurisdiction to pass the same.

As far as Section 3 (a) is concerned, for validation of certain action, Sections 3(a) (1), (2), (3) and (4) were added.

Now, I would like to seek clarification from the hon. Minister regarding Section 3A which talks about validation of certain actions. In Section 3A (3), it is mentioned:

> "Every order of appointment of a person as a Judge of a Family Court and every order of posting, promotion or transfer, as the case may be, made under this Act in the States of Himachal Pradesh and Nagaland prior to the commencement of the Family

Courts (Amendment) Act, 2022 shall be deemed to be validly made under the provisions of this Act."

Here, I have some doubts whether this provision will stand judicial scrutiny or not. Suppose some cases might be pending with respect to the promotion or transfer of a particular individual, and if that particular court of competent jurisdiction quashes that promotion, then, there will be an analogous situation. So, in my view, this provision is superfluous and it creates confusion. I do not think that this provision is needed. If the purpose is served by providing establishment of a family court under Section 1 (3), then, this set of provisions is not required.

Apart from this, I would also like to make it clear that for appointment of the Judges of High Court or Supreme Court, there is no doubt the involvement of the Government of India and also the involvement of the respective High Courts and the Supreme Court but for the appointment in subordinate Judiciary, it is the involvement of the respective State Governments and the respective High Courts. A large number of vacancies are available. On account of the availability of vacancies, arrears of cases are there. In family courts also, the parties are suffering hardships. As Mahtab*ji* has stated, for 30 years, the cases in the family courts remain pending. So, this situation is prevailing not only in one State but also in other States. There is no doubt that the Government of India has issued advisories to the respective State Governments and the High Courts from time to time for making the appointments and filling up all the posts of the subordinate Judiciary in their States. It is because, in family courts, the officers from the subordinate

Judiciary can only be appointed. So, once the vacancies are filled up, the agony which the families are facing and the issue of justice not being imparted on time can be redressed to a greater extent.

Sir, Nishikant*ji* had raised the issue regarding NJAC. So, I would like to add that Article 366 of the Constitution of India, which is basically a definition clause, defines various words used in the Constitution of India. But at the time of framing the Constitution of India, the word ‘consultation’ was also used. The word ‘consultation’ was used at least at 18 to 19 places in the Constitution of India. But at two places, where the appointment of the High Court Judges and Supreme Court Judges is mentioned, the word ‘consultation’ has been defined as ‘concurrence’ by the Supreme Court. So, whenever the President of India is taking the consultation from the Supreme Court of India, then that consultation is treated as binding. But the word ‘consultation’ appearing in so many other provisions of the Constitution of India is not binding. Now, an analogous situation has been created. So, in view of this, it is the right time to bring an amendment to the Constitution of India under Article 366 of the Constitution wherein the word ‘consultation’ is required to be defined as the same given in the dictionary. So, the natural dictionary meaning should be placed there. The word ‘consultation’ does not mean concurrence, and it is not binding. Once it is done, the power of the Government, which was there at the time of the enactment of the Constitution of India shall be restored and the power of Parliament, which is the supreme body for enacting laws, shall also be restored.

Thank you very much.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Thank you so much, Sir. I stand here to support the Family Courts (Amendment) Bill, 2022. मैं फैमिली कोर्ट्स को लेकर कुछ बोलना चाहता हूं। वह यह है कि जिस विषय पर माननीय सदस्य महताब जी ने भी कहा है और नवनीत राणा जी ने भी कहा है, आज की तारीख में पूरे हिन्दुस्तान में फैमिली कोर्ट्स के जितने भी मैटर्स पेंडिंग हैं, कई लाखों मैटर्स पेंडिंग हैं। हमारा लॉ यह कहता है कि एक स्टीप्यूलेटेड टाइम में यह खत्म होना जरूरी होता है।

हर इंसान का, जो कपल होते हैं, वे भले ही चाहे हसबैंड हो या वाइफ हो, दोनों अगर साथ में रहना चाहते हैं, तो साथ में रहें, उनका कंसीलिएशन हो, लेकिन एक सही तरीके से हो। कंसीलिएशन की हरेक चीज़ों को रिकॉर्ड में भी लिया जाए। सर, मैं जितना जानता हूँ, कंसीलिएशन भले ही कुछ महीनों तक चल रहा है या कुछ-कुछ कंसीलिएशन स्टिपुलेटिड टाइम में चलने के बावजूद भी 6-7 महीने के लिए डिले हो जाता है और उसमें जो-जो बातें होती हैं, जिस तरह का डिसकशन होता है, उसको कभी कंसीडर किया नहीं जाता है, for the case matters. वह उसके बाद ट्रायल के लिए जाता है। ट्रायल में जो लंबी समय-सीमा होती है, उससे किसी को कुछ फायदा नहीं होता है।

Sir, what I have understood in my life about everyone's marital discords, असल में किसी की जीत अंत में नहीं होती है। न पति जीतता है, न पत्नी जीतती है, दोनों की हार ही होती है। लेकिन सिर्फ इसी हार को ले कर कई सालों तक अपनी ज़िंदगी, सामने वाले की जिंदगी और उन दोनों के साथ जुड़े परिवारों के जितने सदस्य या दोनों से जुड़े हुए जितने लोग, आम इंसान होते हैं, उन सबकी ज़िंदगी भी प्रभावित होती है। फैमिली कोर्ट्स में एक बहुत गंभीर विषय यह है, जिसके बारे में मैं इस पार्लियामेंट में पहले भी बोल चुका हूँ और मैं दोबारा उसको दोहराना चाहूंगा कि फैमिली कोर्ट्स में छोटे बच्चों को जिस तरह से लिया जाता है, मैंने देखा है कि माँओं को छोटे बच्चों को अपने साथ ले कर आना होता है और उस हालात में माँ भी रोती रहती है और बच्चे भी रोते हैं। सर, पिता भी आते हैं बच्चों से मिलने के लिए, लेकिन दोनों में से कोई भी एक साथ बच्चों से मिल नहीं पाता है। कोर्ट इज़ाजत भी नहीं देती है और हो सकता है कि लॉयर्स

भी उसको जानबूझ कर डिले करते रहते हैं। With due respects to all the lawyers. I am not saying this about all the lawyers. शायद कुछ लॉयर्स हैं, जो ऐसा करते हैं। सर, लेकिन इससे वे बच्चे प्रभावित होते हैं। बच्चों का अधिकार biological and legitimate right अपने माता-पिता दोनों पर होता है। परंतु जो बच्चा 18 साल की उम्र का नहीं है, वह तब तक वोट नहीं दे पाता है, तब तक अपना नेता नहीं चुन पाता है। अब तो हम महिलाओं की विवाह की उम्र भी 21 साल की करने की सोच रहे हैं। जब हम एक 4 साल, 5 साल, 6 साल या 10-12 साल के बच्चे को कोर्ट में बुला कर उनसे पूछते हैं कि बेटा या बेटी आप किसके साथ रहना चाहते हो, पिता के साथ या माता के साथ तो इसका क्या मतलब बनता है? बच्चे का हक तो दोनों पर होना चाहिए। हमें किसने अधिकार दिया है कि बच्चे को हम बाप से अलग करें या माँ से अलग करें।

यह बहुत गंभीर विषय है। मैंने माननीय मंत्री जी से भी इस विषय पर पर्सनली आलोचना की थी। मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से भी इस बारे में आलोचना की थी और मैं चाहूंगा कि इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाए। इस पर जल्द से जल्द कोई अमेंडमेंट लाया जाए। सर, दूसरी बात यह है, मैं और ज्यादा नहीं बोल कर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। I am saying about the family. सर, पहले कहा जाता था कि एक पूरा गांव जो होता था, वह हर घर के बच्चे को जानता था कि यह बच्चा इनका लड़का है, या यह बच्ची इनकी बेटी है। लेकिन उसके बाद दौर आया, धीरे-धीरे कम हो कर वह छोटा हो कर जॉइंट फैमिली में परिवर्तित हुआ, जिसमें दो भाई, तीन भाई या चाचा-चाची सब मिल कर एक साथ एक परिवार में रहने लगे, सभी जरूरत के वक्त पर या त्योहारों पर एक साथ होने लगे। सर, उसके बाद nuclear families का दौर आया। न्युक्लियर फैमिली में पति-पत्नी अपने बच्चों को ले कर अलग रहने लगे। सर, यहीं पर जॉइंट फैमिली की प्रथा खत्म हो गई और न्युक्लियर फैमिली होने लगी। सर, उसके बाद live in relationship का दौर आ गया और लिव इन रिलेशनशिप के साथ-साथ ऐसा भी हुआ है कि बच्चों को किसी हॉस्टल में भेज दिया जाता था। बच्चे हॉस्टल में रहते थे और माँ-बाप अपने काम में बिज़ी रहते थे। आज की तारीख में जो समस्या है, जो पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, वह यह है और जॉइंट फैमिली का मीनिंग यह है कि अगर एक पति अपनी पत्नी के साथ या एक पत्नी अपने

पति के साथ रह जाए तो उसे कहलाया जाता है जॉइंट फैमिली। सर, यह बड़े दुख की बात है। हमें सोचना चाहिए कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल का मना रहे हैं, लेकिन देश आगे जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से प्रगति कर रहा है, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीजें और विशेष कर मैं न तो पुरुषों के खिलाफ बोलूंगा और न महिलाओं के खिलाफ बोलूंगा, मैं दोनों के सापेक्ष्य में बोलूंगा और दोनों के लिए बोलूंगा कि दोनों को हक है, समान अधिकार है इज़्ज़त से जीने का, दोनों का समान अधिकार है, अपनी मान-मर्यादा से जीने का और ऐसी चीज़ों में, ऐसे वक्त में जब मैरिटल डिस्कॉर्ड्स चलती हैं, कहीं पर इनमें बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव मीडिया ट्रायल्स का भी पड़ता है।

सर, अगर किसी रिश्ते का कहीं भी थोड़ा-सा भी चांस होता होगा कि वह जुड़ जाए या री-यूनियन हो जाए या वह सही हो जाए, हमारा लॉ भी यही चाहता है, जब हम कन्सिलिएशन करते हैं तो यही सोचकर उसे करते हैं कि यह हो सकता है कि दोनों की सोच में थोड़ा परिवर्तन हो जाए, दोनों फिर से इकट्ठे हो जाएं क्योंकि दो ज़िन्दगियां बड़ी मुश्किल से जुड़ती हैं, बहुत प्यार से जुड़ती हैं। We are the result of thousands of loves, इसलिए जब हम इसे कन्सिलिएशन में लाते हैं, इसमें चांसेज भी हों, तब भी मीडिया ट्रायल के जो बुरे तरह से शिकार होते हैं, वे केवल कपल्स ही नहीं होते हैं, बल्कि उनके परिवार और उनसे जुड़े लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सभी होते हैं। इस पर रोक लगाने की बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से बोलना चाहूंगा कि many things connected to other Ministries are also inter-related and connected to this matter.

I would like to tell the hon. Minister, Shri Kiren Rijiju ji that, undoubtedly, the Family Court (Amendment) Bill is really good, लेकिन, कुछ और चीजें भी हैं, जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मैंने मीडिया ट्रायल्स की बात कही है। Please look into these matters also. ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं।

Once again, at the end, before closing my remarks, I would also request that बच्चों के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई जाए। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि hon. Minister is unable to do that. No, she is efficient enough and doing it very dynamically.

पर, अगर एक स्पेशल डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री बनेगी तो यह हो सकता है कि उनकी सोच पर, उनके दिमाग को हम किस तरह से विकसित करें, बच्चों के लिए वह बने, जो हमारी दुनिया और देश के भविष्य हैं, उनके लिए कैसे अच्छे से काम करें, इस पर और गौर कर सकेंगे।

Thank you very much, Sir.

Jai Hind. Vande Mataram.

श्री किरेन रिजीजू : चेयरमैन सर, इस सदन में आज कई माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक में हिस्सा लिया और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 को अमेंड करने के लिए यह जो अमेंडमेंट बिल हम लाए हैं, यह प्रावधान छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा है। जितना इस बिल के बारे में चर्चा की गई है, इसके अतिरिक्त कई ऐसे सुझाव भी आए हैं, जो मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण हैं।

सर, वैसे भी, काफी दिनों के बाद हाउस अच्छी तरह से आज बैठा है और अच्छे से चल रहा है। इससे माहौल अच्छा हुआ है और चर्चा का स्तर भी काफी ऊपर उठा है। खासकर, जैसा कि हमारे सदस्यों ने जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उसको अगर पूरा रिस्पॉण्ड टाइम के चलते नहीं भी कर पाया, मगर मैं संक्षिप्त में उसको रिस्पॉण्ड करने की कोशिश करूंगा।

सर, सबसे पहले, इतने सारे मेम्बर्स ने आज की इस चर्चा में हिस्सा लिया है, उनके नाम लेकर मैं कहना चाहूंगा - सुनीता दुग्गल जी, कौशलेन्द्र कुमार जी, भर्तृहरि महताब जी, डॉ. संजीव कुमार शिंगरी जी, रितेश पाण्डेय जी, जयदेव गल्ला जी, राजदीप राय जी, हनुमान बेनिवाल जी, पी. रविन्द्रनाथ जी, गोपाल शेट्टी जी, गीता विश्वनाथ जी, **ई**मत्याज़ जलील जी, राजीव प्रताप रूडी जी, दानिश अली जी, निशिकांत दुबे जी, डॉ. एस.टी. हसन जी, शंकर लालवानी जी, श्रीमती नवनीत राणा जी, सुरेश पुजारी जी, श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी और अनुभव मोहंती जी, इतने लोगों ने इतने सुझाव दिए हैं कि अगर सभी को रिस्पॉण्ड करूंगा तो वह आज रात भर में भी नहीं हो पाएगा। लेकिन, मैं मुख्य रूप से इनका रिस्पॉण्ड करने से पहले इस बिल को लाने का जो कारण है, उसे फिर से संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं।

हिमाचल प्रदेश और नागालैण्ड हमारे देश के दो महत्वपूर्ण राज्य हैं । हमारे सामने जो इश्यूज आए हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है कि हमने नज़र अंदाज किया।

उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है । भारत सरकार को राज्य सरकार की ओर से लिखना पड़ता है कि अपने राज्य में फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत वहाँ गठन करना चाहते हैं और उसके लिए नोटिफिकेशन दिया जाए। यह एक प्रक्रिया है और इसे लिखना पड़ता है। अगर वहाँ से नहीं लिखा तो केन्द्र सरकार अपने-आप से ढूँढ कर भेजे, इस प्रकार ढूँढने की कोई प्रक्रिया नहीं है। हमारे देश में 26 ऐसे राज्य हैं, जहाँ फैमिली कोर्ट नियम के तहत बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। लेकिन, उन 26 में दो ही राज्य हिमाचल प्रदेश और नागालैंड हैं, जिनकर आज हम लोग इस अमेंडमेंट से सहायता कर रहे हैं। उसके अलावा, पाँच राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने हमसे परमिशन माँगा, नोटिफिकेशन भी दिया, लेकिन उन्होंने गठन नहीं किया। वहाँ की राज्य सरकार ऐसा सोच रही है कि इसकी जरुरत नहीं है। इसमें अंडमान-निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दमन एंड दीव तथा दादर एंड नगर हवेली, गोवा और मिजोरम है। ये पाँच राज्य हैं, जिनका हमने नोटिफाई किया है, लेकिन उन्होंने गठन नहीं किया है। इसके साथ ही और पाँच राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने न परमिशन माँगा और न ही आगे कुछ कार्य किया।

इसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है । इन राज्यों ने भारत सरकार से नोटिफिकेशन के लिए परमिशन नहीं माँगा है और आगे कुछ कदम भी नहीं उठाया है।

अभी काफी लोगों ने सेक्शन 1 का सब-सेक्शन 3 को प्वाइंट आउट किया है। उसमें हम लोगों को तीन जगहों पर एक प्रोविजो ऐड करना था। उस प्रोविजो के बारे में कई माननीय सदस्य भी जिक्र कर चुके हैं। फिर भी, मैं सभी के लिए एक बार पढ़ देता हूँ। मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूँ-

> "(a) a proviso in sub-section (3) of section 1 to provide for the establishment of Family Courts in the State of Himachal Pradesh with effect from the 15th February, 2019 and in the State of Nagaland with effect from the 12th September, 2008; and

(b) a new section 3A to retrospectively validate all actions under the said Act taken by the State Governments of Himachal Pradesh and Nagaland and the Family Courts of those States prior to the commencement of the Family Courts (Amendment) Act, 2022.”

बैकग्राउण्ड में आप लोगों ने चर्चा की है। अगर हम यह अमेंडमेंट आज नहीं लाते तो हजारों केसेस पड़े हुए हैं, उन लोगों का क्या होगा? किसी ने यह भी कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव करते रहते हैं। अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे तो आज हम यहाँ अमेंडमेंट ला रहे हैं, लेकिन हजारों केसेस, जिनका निर्णय हो चुका है, उनका क्या होगा? उसको वैलिडेट करना हमारा दायित्व है। इसलिए, हम यह अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव और सभी पर्पस के लिए लाये हैं। इससे हम हजारों फैमिली के अच्छे के लिए दुआ कर सकते हैं कि उनका सैट्ल हो जाए।… (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : उन्हें करना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से बी.जे.पी. की ही स्टेट सरकार थी। अब स्टेट सरकार, एक ही पार्टी की स्टेट सरकार में, सेंटर और स्टेट में इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है।… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: अभी आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपने जो पूछा है, बाद में मैं उसका जवाब नहीं दूँगा।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, let the Minister reply. Thereafter, if you are having any valid suggestion, you can put it.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, he spoke on the Bill.

The hon. Minister is going to reply. If you are not satisfied with his reply, then you may ask some questions.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: When you are having a Member or colleague like Kunwar Danish Ali, then you get derailed totally.

Sir, relating to the retrospective effect, I will be asking a question after the Minister's reply is over. So, you may please allow me on this issue of retrospective effect because it will have an effect. I will ask that question.

श्री किरेन रिजीजू: सर, आज हम दो राज्यों का विषय लेकर यहाँ आए हैं। इस वक्त देशभर में 715 फैमिली कोर्ट्स हैं। हमारे पास जो टोटल संख्या है, मई महीने के शुरुआत में 11,49,907 केसेस पेंडिंग हैं।

मई महीने तक का रिकार्ड मेरे पास है, मैं उसे बता रहा हूं। इसमें 69,464 नये केसेज़ दर्ज हुए हैं और जो नंबर ऑफ केसेज़ डिस्पोज्ड हुए हैं, मैं मई महीने का आंकड़ा दे रहा हूं, 75,386 केसेज़ डिस्पोज्ड हुए हैं। मैं रिसेंट महीने का बताऊंगा तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितने केसेज़ आ रहे हैं और कितने केसेज़ डिस्पोजल हो रहे हैं। मई महीने तक टोटल पेंडिंग केसेज़ 11,43,985 हैं। हमारे यहां जो लेटेस्ट कलेक्शन हुआ है, यह उसका रिकार्ड है।

सर, कई मेंबर्स ने इस बात को सामने रखा कि हमारे भारत का एक फेमिली सिस्टम है। हमारी एक संस्कृति है, हमारी परम्परा है, हमारा एक सिस्टम है, लेकिन इंडिया के अंदर भी अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग सिस्टम है। अलग-अलग समुदायों में अपना-अपना सिस्टम है। लेकिन यह बात लगभग सभी के बराबर है कि फैमिली हमारे देश में एक यूनिट होती है। पश्चिम के देशों में इंडीविजुअल आदमी एक यूनिट के रूप में काम करता है। एक आदमी अपना अधिकार, अपना फ्रीडम, अपना राइट, वे अपने आपको सब कुछ मानते हैं, लेकिन हमारे यहां परिवार ही सब कुछ होता है। परिवार का एक बंधन होता है। एक परिवार का जब दूसरे परिवार से रिश्ता जुड़ता है तो फिर दो परिवारों का मिलन होता है। दो लोगों की जब शादी होती है, तो सिर्फ दो लोगों की नहीं, यह दो परिवारों को, दो समुदायों को जोड़ती है। इसलिए जब फैमिली कोर्ट्स की बात आती है, तब वह सेंसेटिव होती है। आपने कई इश्यूज़ रखे हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। फैमिली कोर्ट्स को स्ट्रेंग्थेन करने के बारे में आपने कहा। जो फैमिली टूट जाती है, उसे बचाने के लिए और अगर कोई

कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है तो भी सुलह, शांतिपूर्वक समाधान हो जाए, इसको कैसे करना है, इस बारे में सरकार बहुत गम्भीरता से सोच रही है और कई कदम भी उठाए हैं।

सर, शुरू में सुनीता जी ने इस डिबेट को सामने रखते हुए कहा कि हमारे देश में जो फैमिली कोर्ट्स हैं, उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए और उनको समर्थ बनाना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी एक रिव्यू लेने वाला हूं। आने वाली 30 तारीख को, आज 26 तारीख है, 30 तारीख को डिस्ट्रिक्ट जजेज़ की एक कान्फ्रेंस यहां बुलाई गई है। इसमें प्रधान मंत्री जी रहने वाले हैं, मैं भी रहूंगा, चीफ जस्टिस रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेज़ भी रहेंगे। पहली बार डिस्ट्रिक्ट जजेज़ को दिल्ली बुलाया है। हमने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ एक कान्फ्रेंस कराई, इसमें बहुत अच्छी बात हुई और हमने बहुत सी चीजों पर फैसला लिया है।

डिस्ट्रिक्ट जजेज़ को जब हम बुलायेंगे, तो फैमिली कोर्ट्स के मैटर और कई जो इंपोर्टेंट इश्यूज़ हैं, उन पर मैं रोशनी डालने वाला हूं और डिस्ट्रिक्ट जजेज़ को अपील करने वाला हूं।

कौशलेन्द्र जी ने मुझसे बिहार के बारे में सवाल पूछा। बिहार में कोर्ट्स की संख्या के बारे में उन्होंने कहा कि दस लाख की जनसख्ंया में एक कोर्ट होना चाहिए। उन्होंने फैमिली कोर्ट का जिक्र किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं राज्य सरकार से बात करूंगा। आपने हमें जो यहां निवेदन दिया है और अपनी बात रखी है, उसको लेकर बिहार में फैमिली कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए, इस विषय में मैं जरूर आपके मुख्य मंत्री से बात करूंगा और वहां के चीफ जस्टिस को भी कहूंगा।

महताब जी ने कुछ मुद्दे उठाए। आपने कुछ हाईलाइट्स भी किए हैं, हमसे कुछ सवाल भी पूछे हैं और अभी आपने कहा कि अंतिम में आप कुछ क्लेरिफिकेशंस पूछेंगे।

मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। यह एक्ट वर्ष 1984 में पास हुआ। इसमें भारत सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने से किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में उसका जुरिस्डिक्शन बनता है। वर्ष 2008 में जब ग्राम न्यायालय एक्ट पास किया गया। जब ग्राम न्यायालय एक्ट पास किया गया तो उसी समय यह प्रावधान बनाया गया होता कि सारे देश का नोटिफिकेशन करने से सब का हो जाता है। अगर फैमिली कोर्ट के लिए वर्ष 1984 में प्रावधान कर दिया होता कि एक नोटिफिकेशन

से पूरे देश का हो जाता है तो यह नौबत ही नहीं आती। हमें बार-बार हरेक राज्य के लिए अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। जब वर्ष 1984 में इसे पास किया गया था, तब करना चाहिए था।

लेकिन आगे जो सुझाव आया है तो हम इस पर सोचेंगे, लेकिन अब ज्यादा राज्य बचे नहीं हैं, जैसा मैंने कहा कि अब 5 राज्य ही बचे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में बहुत ज्यादा इश्यू नहीं होगा। आप में से कई लोगों ने जोड़ा है कि नम्बर ऑफ केसेज को कम कैसे किया जाए और जो लोग इस केस में जुड़े हुए हैं, उसकी हम क्या मदद कर सकते हैं?

हम मिडिएशन बिल भी लेकर आने वाले हैं। कई फैमिली, कमर्शियल इश्यूज के लिए मिडिएशन में जा सकते हैं, कंसिलिएशन का प्रोसस है, कन्सिलिएशन की परंपरा है, हम लीगल काउन्सिलिंग देते हैं। नालसा और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिला और तहसील की लीगल सर्विस अथॉरिटी है। हमने अभी-अभी नालसा के साथ एग्रीमेंट किया है कि लीगल एड काउन्सिलिंग इस साल से पूरा फ्री किया जाएगा। अभी मैं जयपुर में एनाउन्समेंट करके आया हूं। हमारे देश में अगर किसी नागरिक के पास पैसा नहीं है और उसको लीगल एड नहीं मिल रहा है, लोगों को छोटा-छोटा केस के लिए भटकना पड़ता है, उसके लिए पूरी सरकार नालसा के माध्यम से पैरा लीगल वोलेंटियर्स, कॉमन सर्विस सेंटर का इस्तेमाल करते हुए लीगल एड देने के लिए तैयार है। हम टेली लॉ के माध्यम से, न्याय बंधु तरीके से सबकी सेवा करने के लिए, मोदी सरकार पूरा जोरदार काम कर रही है।

संजीव कुमार जी ने जो बात उठायी है, मेरे ख्याल से वह काफी लिंक्ड है। आंध्र प्रदेश से गल्ला जी ने जो विषय उठाया है, लगभग बराबर उसका इश्यूज है। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए दस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए तीन हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, पॉस्को एक्ट के तहत, जैसे वलनरेबल वेलनेस डिपोजिशन सेंटर, लीगल क्लब हाउस, लीगल एड क्लिनिक के लिए दो हजार करोड़ रुपये दिया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे टॉयलेट, लाइब्रेरी, कोर्ट बिल्डिंग

और कमर्शियल बेंच के लिए तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस तरह से हमने कई कदम उठाए हैं।

सेंट्रली स्पॉनसर्ड स्कीम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पास किया है। नौ हजार करोड़ रुपये का स्पॉनसर्ड स्कीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर जुडिशियरी के लिए वर्ष 2021 से 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उसी के माध्यम से लोअर कोर्ट के लिए हम इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में समर्थ होंगे।

अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के रितेश पाण्डेय जी मेरे पास आकर बोले रहे थे कि जवाब दीजिए। मैं उनको कहना चाहता हूं ... (व्यवधान) बाकी मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जब मैं आपका नाम लेकर जिक्र कर रहा था। अब आप आ गए। आपने दो-तीन मुद्दे रखे, महिलाओं के लिए आपने बहुत जोर-शोर से उठाया, सभी का मत एक ही है। महिलाओं के लिए हम सभी की संवेदना है। मैं सरकार की ओर से कहना चाहता हूं कि महिलाओं को जुडिशियरी में प्राथमिकता देने के लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जजेज बनाना चाहिए।

जजेस की एपाइंटमेंट का प्रॉसेस और विषय अलग है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके सीनियर जो कोलिजियम हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोलिजियम को अपनी तरफ से आग्रह कर चुका हूं कि चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब वहां से जजों का नाम सरकार के पास एपाइंटमेंट के लिए भेजें तो हम चाहते हैं कि आप सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखें कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का नाम आए। इसके साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी आदि का भी ध्यान रखें। मैं यह रिपीटेडली हाई कोर्ट के हर चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस से आग्रह करता हूं। मैं पत्र भी लिखता हूं और मैं आगे भी यही करता रहूंगा।

महोदय, यहां यूपी का जिक्र हुआ। यूपी ही नहीं बल्कि हमें सारे प्रदेशों का आकलन करना चाहिए। यूपी में ज्यादा केस पेंडिंग होंगे। किसी सदस्य ने और निशिकांत जी ने भी इस बात को कहा कि जनसंख्या इतनी बड़ी है तो केस ज्यादा होंगे। यह प्रपोशनेट होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट

में कम से कम से एक फैमिली कोर्ट बने, हमें यह प्राथमिकता रखनी चाहिए। मैं हर राज्य सरकार को फिर से कहूंगा कि भारत के हर जिले में फैमिली कोर्ट जरूर बनना चाहिए।

महोदय, जैसे मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में कहा, गीता जी, गल्ला जी ने रिक्वेस्ट की है। आंध्र प्रदेश में दिशा नाम का बिल हमारे मंत्रालय में पेंडिंग है, मैं इसके लिए आगे कार्रवाई करूंगा।

महोदय, रीजनल बैंचिस के बारे में चर्चा की गई है। भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। कई आवाजें आईं कि सुप्रीम कोर्ट की कम से कम चार या पांच बैंच बननी चाहिए। यह बड़ा विषय है। एक मत यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कांस्टीट्यूशन मैटर ही सुने। सुप्रीम कोर्ट बेल केस में क्यों पड़े?

सुप्रीम कोर्ट छोटे-छोटे केस में क्यों अपना समय गंवाए? यह एक मत है। लेकिन दूसरा मत यह भी है कि जब किसी को हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो उसका दरवाजा सुप्रीम कोर्ट में खुलता है। ऐसा भी मानना है। इस बात पर काफी बहस हो चुकी है। लॉ कमीशन की तीन रिपोर्ट आ चुकी हैं। पॉर्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी है कि एक पायलट के तौर पर कम से कम सुप्रीम कोर्ट की एक रीजनल बैंच का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा भी सुझाव आया है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा कांस्टीट्यूशनल विषय है। एक बहुत बड़े ग्रुप का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे अभी चल रहा है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जब हमने यह मैटर चीफ जस्टिस को रैफर किया तो चीफ जस्टिस ने अपनी टीम के साथ बैठक की और फैसला करके हमें सूचना दी कि सुप्रीम कोर्ट का मत है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का विभाजन नहीं करना चाहिए। जैसे अभी एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ऐसे ही चलना चाहिए। अगर आगे इस विषय पर बात होगी तो हम जरूर इस पर खुले मन से सोचेंगे। भारत बहुत बड़ा देश है। इस विशाल देश के अलग-अलग राज्यों और रीजन्स की अलग-अलग विशेषताएं हैं, इन्हें देखते हुए अगर चर्चा करनी पड़ेगी तो हम जरूर चर्चा करेंगे।

महोदय, एक-दो और सेंसटिव मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं, मैं इस पर जरूर रिस्पांड करूंगा। निशिकांत जी ने जिक्र किया, जलील साहब ने भी जिक्र किया और कई लोगों ने जिस बात को इनडायरेक्टली सामने रखा है, वह एपाइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में है। जलील साहब ने सबसे

पहले बात उठाई, आप सही नहीं हैं। सात दिन पहले हमने महाराष्ट्र में नौ हाई कोर्ट जज एपाइंट किए हैं, नोटिफिकेशन कर चुके हैं। अभी और नई लिस्ट आई हैं, 15 लिस्ट आई हैं, मैंने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को भेज दी है। हमारे पास महाराष्ट्र का कोई केस पेंडिंग नहीं है। यह बहुत सेसंटिव मामला है। जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि सरकार क्यों रोकती है तो आपको पहले तर्क को देखना चाहिए। यह सेंसटिव मामला है।

जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज अप्वाइंट करते हैं, तो हम बहुत केयरफुल रहते हैं। हम चाहते हैं कि वैकेंसी कम हो। आज रेकॉर्ड में कहना चाहता हूं कि मैं जिस दिन से इस देश का विधि और न्याय मंत्री बना हूं, आज तक भारत के इतिहास में जितने भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजेज अप्वाइंट किए गए हैं, हमने रिकॉर्ड नंबर्स में अप्वाइंट किए हैं। इसमें माननीय प्रधान मंत्री जी का मेरे लिए क्लियर कट गाइडेंस है कि अप्वाइंटमेंट या इस तरह की चीजों को आप जितना तेजी से कर सकते हैं, उसमें आप आगे बढ़िए। जो भी प्रक्रिया है वह अपनाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना है, तो आप कंसल्ट कीजिए। लेकिन, आप एक लॉ मिनिस्टर के रूप में आगे बढ़िए। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उस हिसाब से हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट से हमें काफी सपोर्ट मिल रहा है। चीफ जस्टिस साहब भी काफी को-ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन, कई विषय ऐसे होते हैं, जो जज बनने जा रहे हैं और उसके लिए जो नाम हमारे पास आए हैं, यदि हमें लगता है कि ये जज बनने लायक नहीं हैं, फिर भी आप कहेंगे कि हम आँख बंद करके उस पर साइन कर दें, तो वह नहीं हो सकता है। सरकार का ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है।

हमारे पास तंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम के पास वह तंत्र नहीं है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे जजेज का बैकग्राउंड, उनके कारनामे, उनके करतूत, उनके अचीवमेंट्स, ये सारे इंफॉर्मेशन सरकार के पास होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम को तो हम सजेशन देते हैं। पिछली बार सदन में तृणमूल के सांसद ने बार-बार चार-पांच नामों को लेकर जिक्र किया था, जो ठीक नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने इन नामों का अप्वाइंटमेंट क्यों नहीं किया? यदि हम इस तरह से नाम लेकर सदन में चर्चा करेंगे तो एक परम्परा साबित होगी। इसलिए, सरकार की तरफ

से अप्वाइंटमेंट में कोई विलंब नहीं किया गया है। लेकिन, हमने किसी नाम पर साइन नहीं किया तो उसका वैलिड कारण होता है। हम ऐसा किसी को दबाने के लिए या किसी को रोकने के लिए नहीं करते हैं। हमारा मन बहुत साफ है।

निशिकांत जी ने यहां महत्वपूर्ण बात रखी है। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास दो वैकेंसी है। बिहार और झारखंड से सुप्रीम में कोई जज नहीं है। लेकिन, ऐसा कोई रूल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में कहां से और कौन-से हाई कोर्ट से कितने लोग आएंगे। लेकिन, एक परम्परा है, एक कन्वेंशन है कि यह देश का सुप्रीम कोर्ट है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

… (*Interruptions*) …*

श्री किरेन रिजीजू : आप बाद में सवाल पूछ सकते हैं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: After reply, if at all, you can accommodate.

… (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: I can respond later, not now. In the Supreme Court, there is no established rule on how many Judges will come from which High Court but there are certain practices, conventions, and observations, which we all see that Judges are represented from all the High Courts. We have 26 High Courts in India. Some High Courts like Allahabad High Court have a strength of 160 Judges, and the Sikkim High Court has three Judges. So, you cannot compare the strength of the High Courts on an equal footing. Definitely, the Supreme Court will not have an equal number of Judges from each High Court. But there are certain conventions which say that each region, and each High Court are invariably represented. If it is a small High Court, then turn-wise, but a large High Court normally has a member as a Judge in the

---

* Not recorded

Supreme Court at all times. For example, presently, there are five Judges from Maharashtra-one from Bar - but primarily, four Judges from Bombay High Court are working as Supreme Court Judges; four Judges from Delhi High Court are working as hon. Judges of the Supreme Court; two from Uttar Pradesh; two from Rajasthan.

Likewise, there are many High Courts which do not have a member as hon. Judge in the Supreme Court. When Nishikant Dubey *ji* made a point that Bihar and Jharkhand, which were in a composite form, had one High Court, they are not having any Judge in the Supreme Court, I agree with that.

This is a sentiment. Since I cannot decide who will become judge, and the Government do not send the names, as a Law & Justice Minister, I can pass on this sentiment to the Collegium. So, I assure the House that I will echo the sentiment of the House to the hon. Collegium and let in the wisdom of the Collegium take a collective call. Then, it will have to come to the Government and the Government ultimately will make the appointment after Rashtrapati ji signs the notification and my Ministry issues the appointment order. These are some of the important issues.

महोदय, आप इनको बैठा दीजिए, ताकि मैं सभी सदस्यों को जवाब दे सकूं।...(व्यवधान) जैसा कि मैंने कहा है कि कई बातें और मुद्दे उठाए गए हैं, मैं रिस्पॉन्ड तो करना चाहता हूं, अगर मैं सभी को रिस्पॉन्ड करूंगा, तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।...(व्यवधान) मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में बता दिया है।...(व्यवधान) महोदय, सभी ने यहां पर जो बड़ी बातें रखी हैं कि 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड', हमारे जो पेंडिंग केसेज़ हैं, बाकी कोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अगर मैं इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, तो आप भी सचमुच में मानेंगे कि पिछले 50-60 सालों में जो काम नहीं हुआ, हमने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वह काम 8

सालों में किया है। हमने जिस स्पीड से खासकर लोअर जूडिशिएरी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, हालांकि लोअर जूडिशिएरी और हाई कोर्ट के इन्फ्रास्ट्रक्चर्स को देखना राज्य सरकारों की प्राइमरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम सप्लीमेंट करते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ई-कमेटी बनाई है, पैनडेमिक के दौरान भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन और हर तरीके को अपनाते हुए, जितने केसेज़ डिस्पोज़ किए हैं, यह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। कई देशों ने इसका जिक्र किया है कि भारत के कोर्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे कोर्ट्स ने जितना अच्छा काम किया है, अगर इसमें विधि एवं न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग साथ नहीं देता, न्याय विभाग आगे बढ़-चढ़कर उनके लिए सुविधा क्रिएट नहीं करता, तो आज कोर्ट्स ने जो अचीवमेंट प्राप्त किया है, वह कभी भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपके सामने अपनी सरकार की बात रखते हुए, मेरे न्याय विभाग के सभी अधिकारियों, हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ में काम करने वाले जजेज़ हों या लॉ ऑफिसर्स हों, हमारे लीगल वॉलंटियर्स गांवों के दूर-दराज के इलाकों में जाकर लीगल सर्विसेज़ देते हैं, ऐसे लाखों लोग हैं, मैं आज लोक सभा के इस सदन के माध्यम से उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, मुझे मालूम है कि इसके बाद भी बहुत से चैलेंजेज़ हैं। जब मैं मंत्रिमंडल में आया था, अब लगभग एक साल हो गया है, इस दौरान पेंडिंग केसेज़ 4.5 करोड़ से 5 करोड़ के आंकड़े की तरफ जा रहे हैं। इस देश में जो कुल केसेज़ पेंडिंग हैं, वे 5 करोड़ के आंकड़े की तरफ जा रहे हैं, यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। बहुत से लोग बहुत हल्के में कह देते हैं कि सरकार क्या कर रही है। इतने करोड़ केसेज़ पेंडिंग हैं, लॉ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से वे बहुत आसानी से सवाल पूछ लेते हैं, तब मुझे दुख होता है। जब आप गंभीर सवाल पूछते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? आपको उसके अंदर तक जाकर देखना चाहिए। लोग कोर्ट को भी गालियां देते हैं। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं कि कोई कोर्ट्स के बारे में गलत बात करे। खासकर सदन में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कोर्ट्स के

लिए भी काफी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस सारी चीज को समझना चाहिए। जो जज होते हैं, वे भी मेहनत करते हैं, लेकिन जो पेंडिंग केसेज़ हैं, उसका कारण कुछ और है।

इसके कई कारण हैं और उन कारणों पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितने केसेस सैटल किए जा रहे हैं, उनसे डबल केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए केसेस पेंडिंग हो रहे हैं। It is not that cases are not settled. More cases are settled but double the number of cases are being filed every day. आज लोगों में अवेयरनेस आ गई है। इस आधुनिक युग में लोग ज्यादा कोर्ट जा रहे हैं। लोग छोटे से लेकर बड़े मैटर में कोर्ट जा रहे हैं। आज करोड़ों केसेस कोर्ट में जा रहे हैं इसलिए कई-कई जजेस एक दिन में 200-300 केसेस सैटल करते हैं। इसकी मैंने सार्वजनिक रूप से तारीफ भी की है। उस दिन मुम्बई हाईकोर्ट में एक जज ने 300 से ऊपर केसेस एक दिन में डिस्पॉज किए थे। ऐसा भी होता है कि वे सुबह नौ बजे से लेकर रात को नौ बजे तक भी बैठते हैं। इस तरह से हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इश्यूज़ हैं। मुझे भी लगता था कि अगर हाउस में पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर चर्चा होगी तो आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार ने कितना काम किया है और यह भी पता चलेगा कि कितना काम कोर्ट को करना चाहिए और राज्य सरकारों को कोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें कई चीजें होती हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। यहां पर काफी लोग लीगल बैकग्राउन्ड से हैं। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि कभी-कभी लोग पेंडिंग केसेस को लेकर सीधे लॉ मिनिस्टर से जवाब मांगते हैं। मैं कभी अच्छा काम करता हूँ या मीटिंग करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि लॉ मिनिस्टर यहां पर क्या कर रहे हैं, वहां 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। इस तरह से जो सवाल आते हैं, उनका जवाब देने में मुझे तकलीफ होती है। सभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले यह कह सकता हूँ कि ज्यूडिशरी को मजबूत करने में, ज्यूडिशरी की स्वतंत्रता को बरकरार रखने में मोदी जी ने जो करके दिखाया है, जो हिम्मत दिखाई है, जो मेहनत की है, जो सपोर्ट किया है, ऐसा आज तक किसी भी प्रधान मंत्री ने नहीं किया है। यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है।

आज इस महत्वपूर्ण फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल पर चर्चा में आप लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सुझाव दिए हैं। मैंने कई सुझावों को लिखा है। मैं उनका यहां पर जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैंने उन सुझावों को नोट किया है और मैं उन पर जरूर कार्रवाई करूंगा।

धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Danish Ali, you have to put a straight question. No speech.

कुंवर दानिश अली: सर, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ**,** लेकिन इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्किट बैंच की बात कही है, मैं कहना चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पिछले कई दशक से यह मांग कर रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच होनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को 800 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। मेरी आपसे यह बार-बार मांग रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक हाई कोर्ट की बैंच दे दीजिए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Point well taken. The Minister has taken note of your point.

कुंवर दानिश अली: सर, हापुड जिले में एक भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record.

… (*Interruptions*)… *

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, मुझे काफी उम्मीदें थीं कि मान्यवर मंत्री जी हमारे विषयों पर जवाब देंगे। मेरे साथ नवनित राणा जी भी इंतजार में बैठी थीं कि आप कब जवाब देंगे। मुझे आपसे सिम्पली दो-तीन पॉइंट्स पूछने हैं। जब फैमिली कोर्ट्स में कंसिलिएशन होता है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Put your question straight. No more discussion please. It is already 5:55 pm.

---

* Not recorded

श्री अनुभव मोहंती: सर, आपने कहा कि सरकार इस पर बहुत गंभीरता से सोच रही है तथा ऑलरेडी बहुत से स्टेप्स ले चुकी है कि केसेस कैसे जल्दी से जल्दी डिस्पॉज ऑफ हों, लेकिन उनके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं? अगर आप हमें यह अभी नहीं बता पाए तो बाद में डिटेल्ड में दे दें।

Strict laws against malicious and wrongful prosecution are necessary. And, Sir, no judges from Odisha are represented in the Supreme Court of India. इसमें ओडिशा की भी भागीदारी होनी चाहिए।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी (कैराना): माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के सम्मुख एक विषय रखना चाहता हूं कि जैसे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली कोर्ट का प्रॉविजन किया गया है। जिस जिले के अंतर्गत केसेज की पेंडेंसी ज्यादा है या आबादी के हिसाब से वहां दूसरी कोर्ट का भी प्रॉविजन कर दिया जाए।

दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की एक बेंच की आवश्यकता बहुत लम्बे समय से चली आ रही है, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इस पर गंभीरता से चिन्तन जरूर कर लिया जाए।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, संविधान बनाते हुए हमारे फोरफादर्स ने यूनिफार्म सिविल कोड की बात कही। मैंने कई एक सोशल इश्यूज के बारे में बोला है, चाहे वह सेम सेक्स मैरिज की बात हो या लिव-इन रिलेशन हो या जो कई फण्डामेंटल कुरीतियां डेवलप हुई हैं, इसमें कई राज्य ऐसे हैं जो यूनिफार्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं। गोवा पहले से ही था और कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड इस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि आज जब हम आज़ादी के 75 साल बाद 'अमृत महोत्सव' मना रहे हैं और सीआरपीसी सभी धर्मों के लिए बराबर है। यह देश एकमात्र ऐसा देश है, जहां की सीआरपीसी पर न हिन्दू, न मुसलमान, न सिख और न ईसाई, किसी को परेशानी नहीं है। हम अपनी सोसाइटी को कैसे रखें, सिविल कोड कैसा हो, मां का बेटे के साथ, बेटे का पिता के साथ,

पिता का पत्नी के साथ किस तरह का रिलेशन हो, इसके लिए क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि हम यूनिफार्म सिविल कोड लागू करें? भारत सरकार इसके बारे में क्या सोचती है?

HON. CHAIRPERSON : Mr. Suresh Pujari.

… (*Interruptions*)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, may I have a word … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Those Members who have participated in the discussion on the Bill are entitled to ask simple questions, please.

… (*Interruptions*)

श्री सुरेश पुजारी : सर, मुझे एक छोटी सी जानकारी चाहिए कि जो केसेज अपीलेट कोर्ट में डिसपोज-ऑफ हो गए हैं, holding that there is no notification, अब यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होने के बाद, उन केसेज में जो ऑर्डर हुआ है, वह ऑटोमेटिकल रिस्टोर होकर नया ऑर्डर होगा या एप्लीकेंट को फिर एक बार पेटीशन देना पड़ेगा। … (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, you yourself are an eminent lawyer. You have fought your own case and have got a success. My question to the Law Minister is regarding cause and effect. Cause has been identified by the court and correction is being done by the Government. What will be the effect? What Mr. Pujari just now mentioned, once the retrospective effect is made into action, what will happen? … (*Interruptions*) When a court has decided in Himachal Pradesh or in Nagaland in favour of one party and has gone against another party, whether that court has to notify it again; otherwise, the affected party will go to the court again saying … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please, put your question.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: That is the point. It is because it becomes an effect. How are we going to deal with that effect? That is why I mentioned in my speech that ultimately it is the court of law which will interpret this.

HON. CHAIRPERSON: Sardar Simranjit Singh Mann. Be brief. Put your question only, please.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Mr. Chairman, Sir, I am only going to speak very briefly.

HON. CHAIRPERSON: No speech; please put your question. What do you want from the hon. Minister?

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: The question is this. The Law Minister is worried about no Judge being from Bihar and Jharkhand. But I am worried that there is no Sikh Judge in the Supreme Court.

Then, the Law Minister has said, Rashtrapati. … (*Interruptions*) I want to know whether the … (*Interruptions*) Listen to me. ... *… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: This is highly derogatory. … (*Interruptions*)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: How is it derogatory? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: We will discuss it separately. It should not be a part of the proceedings. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I want to know the sense of the House. Time is already 6 p.m. This Bill has to be passed today. If the House agrees, we can extend time of the House till the Bill is passed.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended till the Bill is passed.

18.00hrs

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, महताब साहब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया के बारे में जो बातें आईं, वह कॉन्स्टिटुएंट असेंबली सेटल कर चुकी है, हम लोग इसको सेपरेट्ली करेंगे। इसको पार्ट ऑफ प्रोसिडिंग से एक्सपंज कर दिया जाए।

HON. CHAIRPERSON: That has been taken care of.

SHRI KIREN RIJIJU: First of all, hon. Members have raised the issue of Odisha Bench and U.P. Bench. There is a set norm. The proposal has to come from the State Government, and the proposal has to be sent to the Chief Justice of the respective High Court for his consent. In the case of both Odisha and U.P., if the matter is discussed with the Chief Justice of Odisha High Court and Allahabad High Court, then I can definitely give some concrete or positive reply to this august House. Since there has already been an established system which is being practised for a long time, it will not be proper for the Law Minister to give a definite statement without the consent of the Chief Justice of the High Court. I know the background. I have received the letters. I have sent the request letter. But formally, the Odisha Government or the Chief Justice of Odisha High Court will have to confirm that they have agreed to have a Bench. In the case of U.P. also, these are the matters which are to be discussed with the Chief Justice. Otherwise, I will be breaching the convention.… (*Interruptions*)

With regard to the sensitive matter, as I have said earlier, there is no reservation on the basis of religion or caste to become a Judge of the Supreme Court. I had just mentioned some of the conventions and practices. I had responded about Bihar because there was a question from the hon. Member, Shri Nishikant Dubey for Bihar and Jharkhand. So, it should not be construed that I am concerned only about Bihar. It should not be treated that way.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are not allowed to speak.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing, except what the Minister says, will go on record.

… (Interruptions) …[*]

SHRI KIREN RIJIJU: Shri Anubhav Mohanty and Shrimati Navneet Ravi Rana have raised very important questions. The small children suffer because of the fight between the adults or their parent. This is a very sensitive and emotive issue. I promise you that I will definitely take up this matter. I will have consultations with all the stakeholders. We must do something in this regard. Children should not suffer because of the conduct of adults.

With regard to what type of cases or family disputes can be taken up, I would like to say that the nature of cases which can be taken up in the Family Courts, have been defined. If any changes are required to be made, we will do it. This House is for that only.

---

[*] Not recorded

यह लोक सभा क्यों है, कानून बनाने के लिए और अगर पुराने कानून सही नहीं हैं तो हम उनको बदलने के लिए बैठे हैं। हमारी गवर्नमेंट और हम लोगों की बात सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से आश्वासन देता हूं कि अगर किसी मुद्दे पर आज हम चर्चा नहीं कर पाए हैं तो उसको फ्यूचर में जरूर कहूंगा। निशिकांत जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे पूछा है तो आपको मालूम है कि हमारी सरकार की सोच क्या है? इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो सोच है, हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसे देश की ही आइडियोलॉजी समझिए। हम जो सोचते हैं, भारत देश के लिए.... (व्यवधान)

KUNWAR DANISH ALI: Sir, how can the Minister say… (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: I am proud of that.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, please conclude.

श्री किरेन रिजीजू : पार्टी से ही तो सरकार बनती है। .... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That the Bill further to amend the Family Courts Act, 1984 be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI KIREN RIJIJU: Hon. Chairperson, Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again on Wednesday, 27th July, 2022, at 1100 a.m.

<u>18.06 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 27, 2022 / Sravana 5, 1944 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)